(1)

राजस्थान विधान-सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 9] पंचम विधान सभा के नवम् सत्र का पहला दिवस [संख्या 1

सोमवार

28 जुलाई, 1975

विधान सभा की बैठक म. पू 11.03 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

दिवंगत श्री दुर्गाप्रसाद धर के प्रति

श्री अध्यक्ष: शोक प्रस्ताव।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के पिछले सत्र के बाद में हमारे बीच में से इस देश की एक महान विभूति उठ गई। श्री डी. पी. धर इस देश के उन महान पुत्रों में से एक थे जिनके ऊपर आज का भारत और आने वाली पीढ़ी हमेशा गर्व करती रहेगी। श्री धर भूतपूर्व जम्मू एण्ड कश्मीर रियासत में पैदा हुए थे, किन्तु उनका व्यक्तित्व केवल हमारे देश तक ही सीमित नहीं था, उसका प्रभाव विदेशों में भी था। वे एक महान् देश भक्त, विचारक, प्रशासक एवं कार्यनिपुण व्यक्ति थे। हमने उन्हें विभिन्न स्थितियों में काम करते हुए देखा है, जम्मू एवं काश्मीर रियासत के मन्त्री के रूप में, इस देश के महान् मित्र-देश के राजदूत के रूप में, इस देश में विदेश-नीति के निर्धारण के लिए निर्मित संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में और फिर भारत संघ के एक मन्त्री के रूप में भी। अध्यक्ष महोदय, ये तो वे स्थान थे जहां पर रह कर उन्होंने पब्लिकली काम किया किन्तु पर्दे के पीछे इस देश की जो सेवा उन्होंने की, आने वाला इतिहास भी उसको भुला नहीं सकेगा। भारत सोवियत मैत्री के सम्पादन में उनका क्या रोल रहा, आज के भारत के इतिहास के अन्दर जो सबसे बडा क्राइसिस आया था-एक करोड शरणार्थियों के पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आने पर, उन्हें वापिस अपनी जन्मभूमि में भिजवाने, उसके लिए देश-व्यापी वातावरण पैदा करने, उन सब लोगों को उनका मनचाहा बंगलादेश दिलवाने और भारत की विदेश-नीति, भारत की अर्थ-नीति और भारत की गृह-नीति के अन्दर उनका क्या योगदान रहा है, उसको आज का आदमी कह नहीं सकता, लिख नहीं सकता।

अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते थोडा हैं और प्रचार ज्यादा करते

(2)

शोकाभिव्यक्ति–28 जुलाई, 1975–एवं श्रद्धांजलि

ी हरिदेव जोशी)

कुछ ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं जो कुछ नहीं करके भी यश पा जाते हैं। श्री डी पी. धर उन लोगों में से थे जो न जाने कितना करते थे पर कहते बहुत कम थे । उन्होंने कभी भी अपने आपको सामने लाने की कोशिश नहीं की, अपने बारे में बात बतलाने की कोशिश नहीं की। श्री धर एक रियासती जीवन में से निकले हुए व्यक्ति थे इसलिए राजस्थान और राजस्थान के लोगों के साथ में उनकी विशेष प्रकार की सहानुभूति थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों को उनके सम्पर्क में वैसे तो आने का मौका मिला था किन्तु योजना मन्त्री के रूप में उनके विशेष सम्पर्क में आने का हमें मौका मिला। इस देश की ज्वलन्त समस्याओं के प्रति वे जागरूक थे और देश के पीडित मानव के प्रति उनके मन में एक प्रकार की टीस थी, पीडा थी । जैसे आग का शोला धधकता रहता है उसी तरह से उस पीडा से वे धधकते रहते थे।

कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के एक कैम्प में रणकपुर में वे आये थे और वापिस जाने को थे। अध्यक्ष महोदय, उनका प्लेन लेट हो गया और वे जा नहीं सके थे। तब मुझे निरन्तर कई घण्टों तक उनके साथ बैठने का मौका मिला। ऐसा लगता था, जैसे ये एक नये भारत का स्वप्न देखते थे उस भारत का जो उनके स्वप्नों का देश था।

जिस समय वे मास्को से यहां आने को थे तब अजीब-सी थी । वहां से उनका टेलीफोन आया मेरे पास कि मैं तुम्हारे पास ही ठहरना चाहता हूं, तुम्हारे घर ठहरना चाहता हूं। मैंने समझा, वे जयपुर आयेंगे, इस ट्रिप में यहां रहेंगे। ठीक से बात नहीं हो सकी थी। हमने यहां से मैसेज भेजा, आप जयपुर किस प्लेन में पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे? उनका मैसेज आया, जयपुर में नहीं, मैं दिल्ली में तुम्हारे साथ रहूंगा। दिल्ली में वे राजस्थान गैस्ट हाउस में ठहरे। मैं वहां नहीं पहुंच सका था, अध्यक्ष महोदय। उनका फिर टेलीफोन आया, मेरी तुम्हारे राजस्थान के गैस्ट हाउस में ठहरने की बात नहीं हुई थी। मैंने कहा था, मैं तुम्हारे साथ ठहरूंगा। मैं वहां गया, एक महान् मित्र, एक महान शुभ चिन्तक, महान् विचारों का उनके अन्दर अवगाहन हो रहा था। रात को दस बजे मिलो तब भी, रात को बारह बजे मिलो तब भी, सवेरे जब भी देखो तब भी--हमारी योजनायें, हमारे लोग, हमारी समस्यायें। मैं, मेरा घर, मेरे लोग। वे काश्मीर गये, दो दिन की छुट्टी लेकर। हृदय रोग से पीडित तो थे ही। वहां और पीडित हो गये। वापिस आये तो और अस्वस्थ हो गये। सब लोग यह आशा करते थे, जल्दी स्वस्थ होकर इस भारत मां का भार उठाने के अन्दर वह और योगदान दे सकेंगे। लेकिन विधि का विधान कुछ दूसरे प्रकार का था। वे स्वस्थ नहीं हो सके और एक महान् देश भक्त, एक महान् चिन्तक, प्रशासक और राजस्थान का एक महान् मित्र हमारे बीच में से चला गया, हमेशा हमेशा के लिए चला गया।

अध्यक्ष महोदय, इस देश के लिए तो एक बहुत बड़ी क्षति है ही, मगर उनके मित्रों के लिए भी एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती।

ऐसे एक महान देश भक्त, एक महान् मित्र के प्रति मैं हार्दिक श्रद्धांजलि

Page No 3

(3)

(श्री हरिदेव जोशी)

अर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को वर्दाश्त करने की परमात्मा शक्ति प्रदान करें।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का मेरे दल तथा अपनी ओर से समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के नेता की जानिब से रखा गया था, उसका मैं और मेरा दल पूरी तरह समर्थन करता है।

अध्यक्ष महोदय. डी. पी. धर की उम्र इस काबिल नहीं थी कि वे जल्दी रुखसत हो जाते। वे 1918 में पैदा हुए और 55–56 की उम्र में वे हमेशा के लिए चले गये। वे एक राजनीतिज्ञ थे और मुख्तलिफ हैसियत में उन्होंने हिन्दुस्तान की खिदमत की और काश्मीर रियासत की भी उन्होंने पूरी खिदमत करने में, उठाने में मदद की। काश्मीर में शेख अब्दुल्ला के जमाने से लेकर जितने मंत्रि-मण्डल बने, करीब-करीब उन सबमें वे मंत्री की हैसियत से काम करते रहे। उनकी सदा एक गैर मामूली थी, वह सदा यह थी, वे जब किसी अजनबी से गुफ्तगू करते तो अजनबी इस तरह प्रभावित होता था कि वह लमहा जिन्दगी भर नहीं भूलता था। यह किरदार उनका एक ऐसा रोशन किरदार था, जिसने मुल्कों की दोस्ती में एक रहनुमा इजाफा किया। अध्यक्ष महोदय, जैसी इस सदन को जानकारी है उन्होंने रूस और हिन्दुस्तान के तल्लुकात को खुशगवार करने और रूस और हिन्दुस्तान की दोस्ती बढ़ाने में एक बड़ा रोल अदा किया। बंगला देश और हिन्दुस्तान के ताल्लुकात खुशगवार हों, ज्यादा दोस्ती बढ़े–इसके बारे में एक अहमियत के ढंग की किरदारी रही। आपस की दुश्मनी को दूर करने और मुल्कों के ताल्लुकात को बढ़ाने के लिये उन्होंने जिन्दगी भर एक ऐसा काम किया जिसकी मिसाल हिन्दुस्तान के इतिहास में नहीं मिल सकती, यहां तक कि हमारे ताल्लुकात जो बंगला देश की लड़ाई के बाद पाकिस्तान के साथ खराब हुए थे, उसमें भी यह उन्हीं का काम था कि जिसके जरिये हमारे ताल्लुकात खुश गवार हुए।

वे जिस वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी में तालीम पाते थे उस वक्त मार्क्स लिट्रेचर से प्रभावित हुए थे। वे नक्शा देख रहे थे, वह चाह रहे थे, हिन्दुस्तान में एक समाजवाद कायम हो जिसमें जो बड़े-छोटे तबके हैं वह बाकी नहीं रहें, जिसमें किसी किस्म की कठिनाई बाकी नहीं रहे और हर एक व्यक्ति को राहत मिले। उनके वे ख्वाब तामिल नहीं हुए और वे हसरत लेकर गये। वे इसलिए परेशान भी थे।

वे एक बहुत बड़े किरदार थे। उनको लिट्रेचर से मोहब्बत थी। जिस वक्त उनका देहान्त हुआ, एक किताब उनके सीने पर रखी हुई थी। वे नहीं समझते थे कि दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। उन्होंने अपने पी.ए. को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूं किताबें मेरे पास रहें। डाक्टर ने आराम लेने के लिए कहा था। उनको सख्त हिदायत थी उसके बावजूद उनका कुछ पढ़ने का इस किस्म का शौक था कि बीसों-सैकड़ों किताबें इद

Page No 4

(5)

[श्र]ी मोहम्मद गफ्फार अली)

[...]र्द रहतीं। कोई छोटा सा उर्दू शायर [उ]नके पास पहुंच जाता था तो सब चीजों को छोड कर उनकी आवभगत करते।

एक तरफ राजनीतिज्ञ थे, दूसरी तरफ इन्सानियत के बहुत बड़े हामी थे और इसके साथ-साथ जितने भी लिट्रेचर थे, चाहे काश्मीरी चाहे उर्दू लिट्रेचर हो, चाहे अंग्रेजी लिट्रेचर हों–उन सबसे मोहब्बत थी। इन सदाइयों का मोमी इन्सान हमारे बीच में नहीं रहा--इसका बहुत बड़ा रंज है। काश्मीर में वे एक पुर-असर शान रखते थे। शेख अब्दुल्ला ने उनके लिए लफ्ज कहे, एक दोस्त रुखसत हो गया, हालांकि उम्र में तदारुक था, लेकिन किसी उम्र का आदमी हो उनके साथ वे घुलमिल कर बैठते थे। जैसे हमउम्र हों। आज ऐसा इन्सान हमारे बीच में नहीं है। हम उनके लिए अखरीब पेश करें इसके सिवाय कोई चारा नहीं।

इन अलफाज के साथ सदन के नेता ने जो तजवीज रखी है, उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं और दुआ करता हूं कि मारदीन को मालिक इस नुकसान को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के नेता ने श्री धर की असामयिक मृत्यु के बाबत रखा है, उसका मैं, मेरी पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गाप्रसाद धर के निधन के सम्बन्ध में जो सदन के माननीय नेता ने विचार व्यक्त किये हैं और सदस्यों ने इसका समर्थन किया है, उसमें मैं भी अपने आपको सम्मिलित करता हूं।

धर साहब जैसे हमारे सबके जाने-पहचाने व्यक्ति रहे हैं। उनका हमारे देश में कई रूप में, देश के जन जागरण में, देश की स्वतन्त्रता प्राप्त करने में, प्रशासन में और देश को आगे बढाने में बहुत बडा हिस्सा रहा है। काश्मीर की आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो उसमें सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया और वहां के जो उस समय के शासक थे, श्री हरिसिंह प्रतिगामी शक्तियों के प्रतीक थे उनसे लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग अंजाम किया। उसके बाद जब वह प्रशासन में आए उसमें भी वह काश्मीर के मंत्री के रूप में रहे तो भी उनका काम बहुत ही सराहनीय रहा और आम तौर से लोगों ने उनकी विचारधारा की प्रशंसा की। जब केंद्र में वह योजना मंत्री हुए तब से आपको तो मालूम ही है कि वह प्रगतिशील विचारधारा के लिए प्रसिद्ध थे और उसकी क्रियान्विति भी देखना चाहते थे। वह केवल एक विचारक ही नहीं थे बल्कि व्यावहारिक थे और उनका निधन हो जाने से देश की ऐसी विचारधारा को क्षति हुई है। अगर वह जीवित रहते तो जो ताकत उस विचारधारा को मिलती उसमें एक निर्बलता आई है। तो ऐसे महान् व्यक्ति की क्षतिपूर्ति होना मुश्किल है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को भी शांति मिले।

अब आपसे प्रार्थना करता हूं कि दो मिनिट के लिए मौन खड़े होकर उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सदन ने दो मिनिट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

शासकीय संकल्प

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के कतिपय नियमों का निलम्बन

श्री अध्यक्ष : शासकीय प्रस्ताव।

श्री खेतसिंह (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, "यह सदन संकल्प करता है कि विधान सभा के चालू सत्र का स्वरूप कतिपय अत्यावश्यक एवं महत्वपूर्ण सरकारी कार्य संव्यवहारित करने के लिए एक आपातिक सत्र होने के कारण, इस सत्र के दौरान केवल सरकारी कार्य ही संव्यवहारित किया जाय तथा कोई भी अन्य कार्य, किसी भी प्रकार का, किसी प्राईवेट सदस्य द्वारा स्वप्रेरित प्रश्न, ध्यानाकर्षण एवं अन्य कोई कार्य सम्मिलित करते हुए, इस सत्र के दौरान सदन के समक्ष न लाया जाए अथवा न संव्यवहारित किया जाय तथा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में उक्त विषय संबधी समस्त सुसंगत नियम एतद्द्वारा उस विस्तार तक निलंबित किए जाते हैं।"

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक एमर्जेन्सी सेशन है और खास मकसद से बुलाया गया है। खास-तौर से जो संसद के दोनों सदनों ने 39 वां संविधान विधेयक पारित किया है उसका अनुसमर्थन करने के लिए आज विधान सभा का सत्र बुलाया गया है। इसलिए इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैंने उक्त संकल्प विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है। मुझे विश्वास है कि सर्वसम्मति से सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव इस सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन करे, ऐसे प्रस्ताव से सिद्धांततः मेरी सदन में मौजूदगी होने के उपरांत निर्विरोध पारित करने में मैं विवशता अनुभव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष एक विशाल देश है। अगर संकटापन्न स्थिति कोई खास स्थानों पर सरकार या राष्ट्रपति के अनुमान से विद्यमान है तो कम-से-कम मैं ऐसी कोई स्थिति राजस्थान के अन्दर होना अनुभव नहीं करता। मुझे ऐसी कोई स्थिति राजस्थान में हो, दिखाई नहीं पडी। ऐसी परिस्थिति में भी अगर माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन हो, प्रश्न काल सस्पेंड हो, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कोई रख नहीं सकता, स्थगन प्रस्ताव पर कोई बोल नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति के अन्दर विरोधी पक्ष का सार्थक रूप से इस सदन की कार्य-वाही के अन्दर भाग लेने का कोई अर्थ नहीं निकलता। मैं आज की परिस्थिति को देखते हुए कोई विशेष इस पर विश्लेषण नहीं करना चाहूंगा किन्तु मैं इस प्रस्ताव के प्रति सहमति भी नहीं प्रकट करना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो शासक दल के मुख्य सचेतक की ओर से रखा गया है जिन परिस्थितियों का उल्लेख इस प्रस्ताव में किया गया है कि आज देश में संकटापन्न स्थिति है और उस स्थिति को मीट करने के लिए हमारे देश को संसद का अधिवेशन हो रहा है और उस अधिवेशन में संविधान में कुछ ऐसे आवश्यक संशोधन किए

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गए हैं, जिससे कि जिन कारणों से यह संकटापन्न स्थिति उत्पन्न हुई, उसका सही तरीके से मुकाबला किया जा सके। जनता मोर्चे के नेता ने कहा है कि देश में या राजस्थान में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है।

मुझे ख्याल था कि शायद यह सब कुछ खुराफातें होने के बाद अब तो कुछ लोग इस बात को समझने लगेंगे। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की कार्यवाहियां इस देश में जिस तरीके से कुछ दल द्वारा प्रजातन्त्र के नाम पर, देश में महंगाई को समाप्त करने के नाम पर, देश में बेरोजगारी को समाप्त करने के नाम पर, देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के नाम पर, देश में गरीब जनता को समग्र क्रान्ति के नारे देकर बहकावे में लाकर जिस प्रकार से हिंसा की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की गयी थी। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का षड्यन्त्र इन लोगों ने किया था, जिस प्रकार से 29 जून के रोज इन लोगों ने षड्यन्त्र करने की कोशिश की और खास तौर से राजधानी में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की गयी जिससे देश में फॉसिस्ट तरीकों से मार-पीट करके, लूट-पाट करके देश में आगजनी करके, देश में हत्यायें करके एक ऐसा ताण्डव करने की कोशिश की गई जिससे कि स्थिति ऐसी बन जाय कि वह लोग अपने हाथ में देश की सत्ता को ले सकें।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कुचेष्टा की गयी वह सिर्फ कुचेष्टा इस देश के कुछ लोगों के दिमाग की ही कुचेष्टा नहीं थी और न ही कुछ दलों के लोगों की कुचेष्टा ही थी बल्कि यह कुचेष्टा, अध्यक्ष महोदय विश्व के कुछ साम्राज्यवादी देश की थी जिसमें अमेरिकी साम्राज्यवाद और ब्रिटेन जैसे देश हैं। हमारे देश में अमेरिकी साम्राज्यवाद के खूनी पंजे, सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स एजेन्सी काम कर रही थी। अध्यक्ष महोदय यह सैन्ट्रल इन्टेलीजेन्स एजेन्सी प्रत्येक देश में काम कर रही है। यहां पर यह एजेन्सी अमेरिकी पैसा लगाकर इस प्रकार के षड्यंत्र कर रही थी कि देश में अराजकता फैले अध्यक्ष महोदय, अमेरिकी गवर्नमेंट के प्रेसीडेन्ट फोर्ड ने जिस प्रकार यह कहा था कि हम इस प्रकार के प्रगतिशील देशों को, जो कि नोन एलाइन्ड पोलिसी को मानने वाले हैं और खास तौर से वह देश, जो कि समाजवादी देशों से अपने संबंध रखते हैं उन्हें हम समाप्त कर देंगे। उन सरकारों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस तरीके का एलान करने वाले साम्राज्यवादी देश की अमेरिकन सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स एजेन्सी ने यहां पर षडयन्त्र किया और उसकी वजह से 26 जून को हमारे देश की प्रधान मन्त्री ने ऐन मौके पर हमारे देश में एमर्जेन्सी लागू की। इस एमर्जेन्सी को सही वक्त पर लागू करने से हमारे प्रधानमंत्री ने उस षडयन्त्र को विफल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, अगर इस षड्यंत्र को ऐन वक्त पर असफल नहीं किया जाता तो हमारे देश में प्रजातन्त्र के नाम पर, संगठनों के नाम पर, देश में ऐसी हालत हो जाती कि जिसके परिणाम हम सभी को भुगतने पड़ते। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार फासिस्टों के कारण दूसरे महायुद्ध में करोड़ों इन्सानों की जाने चली गयीं उसी तरह की हालत यहां भी हो जाती। हमें भी उसी तरह की हालत हमारे देश में देखनी पड़ती।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थितियों में हमारे देश की प्रधान मंत्री ने ऐसी बुद्धिमता से काम लिया जिससे कि फॉसिस्ट लोगों के सपने असफल हो गये। हमारी प्रधानमंत्री ने बड़ी हिम्मत और कुशलता से ऐसे कदम उठाये कि जिससे हमारे देश में खून-खराबा लूट-पाट, आगजनी होते-होते बची। हमारी प्रधानमंत्री के ऐसे कदम उठाने से न केवल हमारे देश की जनता ने बल्कि दुनिया के तमाम समाजवादी देशों ने और उन तमाम देशों ने, जिन्होंने अभी आजादी हासिल की है, इसका समर्थन किया है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमन्त्री के इन कार्यों का अगर किसी ने विरोध किया है तो उन देशों ने जो कि अमेरिकन साम्राज्यवादी नीति के हामी हैं या उन पार्टियों ने विरोध किया हैं जो कि इस देश की सरकार को उखाड़ने का षडयंत्र कर रही थीं। अध्यक्ष महोदय, उन पार्टियों का षडयंत्र अध्यक्ष महोदय, सिर्फ हमारे देश की राजधानी दिल्ली तक ही नहीं था, बल्कि सारे देश के प्रान्तों में था। जिस प्रकार यहां अभी जनता मोर्चे के नेता ने यह कहा कि कम-से-कम राजस्थान में तो इस बात का वजूद नहीं था।यह, अध्यक्ष महोदय, बिलकुल गलत कहा गया है। हमने देखा है कि किस तरीके से राजस्थान में राजाओं के महलों, में किस तरह से जागीरदारों की कोटड़ियों में, किस तरीके से हमारे यहां के बड़े-बड़े सेठों के यहां पर इस तरह षडयंत्र रचा ये जा रहे थे कि किसी प्रकार हमारे देश की लोकतान्त्रिक सरकार को समाप्त कर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, न केवल यहां तक ही बल्कि राजस्थान के अन्दर आर.एस.एस. के जो दफ्तर हैं वहां पर बड़ी-बड़ी मात्राओं में हथियार बरामद किये गये। इसी प्रकार आनन्द मार्ग के दफ्तरों में काफी मात्रा में हथियार और नरमुन्ड बरामद किये गये। अध्यक्ष महोदय, इन आनन्द मार्गियों ने लोगों को कत्ल करके लोगों के सिरों को इकट्ठा किया। अध्यक्ष महोदय, यह कोई कल्पना की बात नहीं है यह तो वास्तविकता है। यह तथ्य की बात है कि आर.एस एस. के दफ्तरों में व आनन्द मार्ग के दफ्तरों में इस प्रकार की चीजें प्राप्त हुई है। उसमें रुपये मिले हैं और कितने ही ऐसे दस्तावेज पकड़े गये हैं जिनसे यह पता चलता है कि यह षडयन्त्र न केवल दिल्ली तक ही सीमित था बल्कि प्रान्तों-प्रान्तों में फैला हुआ था। अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी सदस्य जानते हैं कि जिस तरीके का षड्यंत्र यहां पर था, यहां पर जयप्रकाशनारायण को बुलाया गया और उसके लिए धन एकत्रित किया गया। जय प्रकाशनारायण को धनराशि भेंट की गयी थी उसमें कई संस्थायें थीं जिसमें, अध्यक्ष महोदय, ऐसी संस्थायें भी थीं जो कि राज्य सरकार से एडेड हैं। जैसे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने जयप्रकाशनारायण को थैली भेंट की। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार धनराशि देकर इस आन्दोलन को पनपाया जा रहा था। राजस्थान में, जो कि दिल्ली के नजदीक है एक ग्राउन्ड पैदा किया गया, अध्यक्ष महोदय, अब यह बात छिपी नहीं रही कि 29 जून को इन लोगों का ऐसा षडयंत्र था कि जिससे यह लोग देश में अराजकता फैला देते। अध्यक्ष महोदय, इस सारे षड्यंत्र के लिए अलग अलग लोगों को काम दिये गये। कहीं पर सत्याग्रह के नाम पर जनसंघ के नेता नाना जी देशमुख आर. एस.

(8)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एस. के इन्चार्ज थे और इनके साथ में आर. एस एस. के बीस हजार सिपहसालार थे। इनके पास दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, यू. पी. और हरियाना में अराजकता फैलाने का काम था। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों के पास नामों की लिस्ट बनी हुई थी और उस लिस्ट में ऐसे-ऐसे बड़े लोगों के नाम थे जिनको इन पार्टियों द्वारा मजबूर किया जाता कि तुम इस्तीफा दो और अगर वह लोग इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें खत्म कर दिया जाता। और बाद में यह लोग इस प्रकार देश में आगजनी, लूट पाट और हिंसा करते और एक ऐसा वातावरण बनाते, ऐसी स्थिति यहां पर पैदा करते और बाद में जाकर प्रधानमन्त्री से कहते कि देश का वातावरण ऐसा है कि आप इस्तीफा दे द।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि कांग्रेस के अन्दर इस तरह का एक वातावरण बना रहे थे कि जिससे इन्दिरा गान्धी प्रधान मन्त्री नहीं रहें। इसमें कांग्रेस के कुछ ऐसे लोग भी थे जो जयप्रकाश नारायण का आन्दोलन सफल बनाने की कोशिश करते थे। उन लोगों ने जयप्रकाश नारायण से सांठ-गांठ भी की और प्रधान-मन्त्री से भी उनसे बात करने को कहा और और वह लोग ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते थे कि जिससे प्रधान मंत्री इन्दिरा गान्धी प्रधान मन्त्री पद को छोड़ दें। उन लोगों की योजना थी कि फॉसिस्ट तरीके से ऐसी परिस्थितियां पैदा की जायं कि जिससे प्रधानमन्त्री को अपना पद छोड़ना पड़े। यह लोग, जो कि आर. एस. एस. दल के और ऐसे तबके के लोग हैं जो कि जिस तरह जर्मनी में हिटलर ने सत्ता हाथ में ली थी उसी तरह से यहां पर भी सत्ता हाथ में लेकर देश की तमाम प्रोग्रेसिव नीतियों को समाप्त करतीं, देश की तमाम प्रोग्रेसिव पार्टियों को समाप्त कर देते। और यहां पर फ्यूरर बनकर देश की तमाम प्रोग्रेसिव योजनाओं का समग्र क्रान्ति के नाम पर सभी को समाप्त कर देते। अध्यक्ष महोदय, इन तमाम फॉसिस्ट पार्टियों के पीछे अमेरिका के व्हाइट हाउस के पेन्टागन की मदद थी। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आज यह कहा जाय कि इस प्रकार की स्थिति नहीं है, इस प्रकार की स्थिति राजस्थान में भी नहीं है मैं बहुत ही अदब के साथ निवेदन करना चाहूंगा यह दूसरा धोखा है। यह दूसरे धोखे में डालने की कोशिश है। यह बात बताने की कोशिश है कि हम कुछ नहीं करना चाहते थे और कुछ करना चाहते थे तो उसका फल मिल गया। लोग जेलों में बन्द हैं। कसूरवार नहीं थे, लिख कर दे दिया, माफी मांग कर आ गये और यहां मौजूद हैं।

जो बेकसूर थे उनको सरकार ने भी मान लिया। कसूरवार अन्दर हैं। अब क्या खतरा है, क्या संकट है अब, अब उसकी चिन्ता करने की क्या जरूरत है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने अपने दल की ओर से, जयप्रकाश नारायण का उदय जब हिन्दुस्तान में शुरू हुआ, हमारी पार्टी ने यह कहा था कि यह सर्वोदय नेता इस देश के उत्थान की बात नहीं कर रहा है, यह सर्वोदय नेता फॉसिज्म की बात कर रहा है। यह सर्वोदय नेता देश में कीमतें गिराने की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, इस देश में भ्रष्टाचार खत्म करने की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, यह तो हिटलर की बोली

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
बोल रहा है, फासिस्टवाद की बोली बोल रहा है। देश में पार्टी डेमोक्रेसी की भाषा अयूब की भाषा है और तानाशाही कायम करना चाहता है।

अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों ने हमारी बात मानी और कुछ ने नहीं मानी, कुछ ने हमारी खिल्ली उड़ायी और हमारा मजाक भी उड़ाया। लेकिन समय की स्थितियों ने वास्तविकता को सामने रखा है। जयप्रकाश नारायण अपने को देश का फ्यूरर कहने वाला है, दिल्ली में खुलेतौर पर उसने पुलिस, फौज और सिविल सर्विसेज को भड़काया और ताकत नहीं आयी थी और फ्यूरर नहीं बना था, उस वक्त उसने यह कहा था कि जिन्होंने सरकार के हुक्म को माना है उनको सजा दी जावेगी. देखना हमारे हाथ में सत्ता आने वाली है; 29 तारीख को सत्ता सम्भालने वाला हूं; जो भी पुलिस और फौज हुक्म मानेगी इन्दिराजी का उनको सजा दी जावेगी।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां भी कई लोगों ने मनसूबे बनाये होंगे अपने अपने को सूबेदार बनाने के। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस वक्त इस तरीके से काम्प्लेसेन्स बरती गयी। पिछली बार, 21 मार्च को, विधान सभा के सामने कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एन्टी-फासिस्ट प्रदर्शन किये गये, तो हमारे प्रदर्शन पर हमले किये गये, हमारे लोग यहां आ रहे थे तो उन पर हमले किये गये। जब वापिस जा रहे थे तो हमले किये गये और विधान सभा में तरह तरह से अलग अलग मोशन्स लाकर हमारे ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की गयी। उस समय भी हमने यह कहा था कि यह हम अपनी पार्टी के लिये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन यह सारे देश के लिये लडाई है, दुनिया की लड़ाई है। फासिज्म के खूनी पंजों से दुनिया कराह चुकी है। इसलिये जहां पर भी यह कदम उठाया गया है, इसका डट कर मुकाबला किया जाना चाहिये और कोई इसमें कन्सेशन नहीं दिया जाना चाहिये।

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज यह अपील की जा रही है, आज यह कहा जा रहा है कोई खतरा नहीं है और कम से कम राजस्थान में कतई खतरा नहीं है, यह बात बिलकुल गलत है। तथ्यों से विपरीत है। यह सजगता को भुला देने वाली और नींद में ला देने वाली बात है। अभी तो संघर्ष शुरू हुआ है। पहला कदम उठाया गया है। आगे कदम उठाना है। यह तमाम शक्तियां, यह फासिस्ट शक्तियां पैदा हुई हैं, उपजी हैं, इनका विकास हुआ है, उनके संगठन आज भी ज्यों के त्यों मौजूद हैं, विषैला प्रचार मौजूद है, आज भी छिपकर नहीं तो और तरीके से मुस्तैद होकर पर्चा बांटा जारहा है, गोष्ठियां हो रही हैं, षडयन्त्र किये जा रहे हैं। मौका ताका जा रहा है कि फिर मौका पाकर उसी प्रकार नापाक कोशिश को पूरा करने की कोशिश करें।

गुजरात समुद्री तट पर है। वहां पर विदेशों से सम्बन्ध कायम किये जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर उन पार्टियों की शक्तियों की सरकार है। ये लोग वहां इकट्ठे होकर इस प्रकार का षडयन्त्र रच रहे हैं। इस प्रकार विदेशी ताकतों से सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश करें। गुजरात के पड़ौस में पाकि-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

स्तान है जिससे आपके अच्छे सम्बन्ध नहीं हैं। पाकिस्तान को अमेरिका पूरी तरह से शस्त्रों से लैस कर रहा है। गुजरात समुद्र के किनारे पड़ता है जहां पर जहाजों का आना आसान है। सी. आई. ए. की एक्टीविटीज जिस गति से देश में बढ़ रही हैं उसके बारे में यह सदन पूरी तरह जानकार है।

इसलिये, राजस्थान या हिन्दुस्तान को यह कहना कि खतरा नहीं है यह सचाई के प्रति आंख मूंदने की कोशिश करना मात्र है, अपने को भुलावे में डालने वाली बात है। इसलिये पूर्णतया मैं इस बात से सहमत हूं कि दिल्ली में संकटापन्न स्थिति है और उसका मुकाबला करने की आवश्यकता है, तेजी लाने की आवश्यकता है और इस काम को आज पहल देने की आवश्यकता है। सबसे पहले प्रायोरेटी देने की आवश्यकता है इसलिये कितने भी मतभेद आपस में हों, वे तमाम लोग, जो कि फासिस्टवाद को खत्म करना चाहते हैं, उन तमाम षडयन्त्रों को नाकामयाब करना चाहते हैं जो देश में प्रजातन्त्र को एक वास्तविक प्रजातन्त्र देखना चाहते हैं, उसको मजबूत करना चाहते हैं, उसको वास्तव में आम जनता का प्रजातन्त्र बनाना चाहते हैं मैं समझता हूं, उन सब लोगों को एक जुट होकर, एकताबद्ध होकर, इस ओर जुड़ जाना चाहिये। इसीलिये यह शासकीय संकल्प रखा गया है और इसी प्रयोजन के लिये इस सदन को बुलाया गया है, जो पालियामेन्ट में संविधान में संशोधन हुये हैं उन्हीं संशोधनों को रैक्टिफाई करने के लिये बुलाया गया है और इसलिये इस काम को प्रायोरिटी दी जानी चाहिये। माननीय सदस्यों के अपने अधिकार हैं, वे अक्षुण्ण हैं और अक्षुण्ण रहने चाहिये। लेकिन हमारे अधिकारों की सीमाओं को थोड़े समय के लिये, आज तक के लिये ही जैसा कि कार्यक्रम है, सीमित रखा गया है, मैं समझता हूं कि प्रायोरिटी रैटिफिकेशन के प्रोग्राम को पूरा करने के लिये देनी चाहिये इसलिये आज न एडजोर्नमेन्ट मोशन का सवाल है, न प्राइवेट बिल और न ही प्राइवेट रे का सवाल है और इसीलिये अधिकारों के हनन का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि इन शक्तियों ने जिस तरीके से विधान सभाओं और संसद का दुरुपयोग किया है प्रजातन्त्र के नाम पर, जिस तरह प्रजातन्त्र का गला घोटने की कोशिश की है उसमें आज यह भी आवश्यकता है गम्भीरता से विचार करने की, इस बात की आज जरूरत है कि किस तरह से हम इन साधनों को देश की मेहनत कश जनता के काम में आने वाली संस्था के रूप में बनाया जाय और वे शक्तियां जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट वाली हैं, जो इसको डिबेटिंग क्लब बनाना चाहती हैं, जो कि वेस्टेड इन्ट्रेस्ट की रक्षा के लिये बनते हैं और जनता का काम हो तो ऊधम मचा कर हाउस को डिस्टर्ब करके रोडा बनती हैं इस सम्बन्ध में बुनियादी तौर पर सोचने की जरूरत है। डेमोक्रेसी की ये संस्थायें वास्तविक सेन्स में जनता के अधिकारों की रक्षा के लिये और उनको आगे बढ़ाने के लिये, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिये, एक चैनल बने न कि निहित स्वार्थों की रक्षा करने के लिये डिबेटिंग क्लब बनें जहां लोगों को बोलने का अधिकार देने का मतलब झूठा प्रचार करने के साधन न बनें इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, और इन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
स्थितियों में, जिन स्थितियों में यह प्रस्ताव लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री मोहर सिंह (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस अजीब स्थिति में आज देश की जनता अपना कार्य कर रही है, उसी की छाया आज सदन के सामने एक प्रस्ताव के रूप में हमें देखने को मिल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ हो रहा है यह तो जिस वक्त यहां प्रस्ताव के रूप में रखा जायगा, संकटकालीन स्थिति के ऊपर उस समय बोलना ठीक रहेगा लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जैसा कि आज देश की 60 करोड़ जनता को बांध दिया गया है, कस दिया गया है, अखबार वालों को कस दिया गया है, विपक्ष को कस दिया गया है और विपक्ष को ही नहीं अपने बाहर–भीतर फैले भ्रम को भी कस दिया गया है। रोजाना की ये हालात हैं जिनसे हमें आंखें नहीं मींचनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि कुछ बातें इस प्रकार की होती रही हैं जिनके लिये आपके विचार में जो कुछ रूप महसूस हुआ है उससे हमें इन्कार नहीं करना चाहिये। लेकिन इस बात से भी आपको इन्कार नहीं करना चाहिये कि आज जो देश के अन्दर किया गया है क्या यह लोकतन्त्र के अनुरूप है ? अखबारों का गला घोंट देना, जनता को पीस देना···

श्री दीपंकर (लाडनूं) : कहीं गला नहीं घोटा गया है।

श्री मोहर सिंह : आप घबड़ायें नहीं, हड़काया हुआ जानवर आपको भी खा सकता है। आज आप नारे लगा रहे हैं, यह सबकी सब चीज आपके लिये भी दुखदायी हो सकती है। हम 30–40 साल के अनुभव से कह रहे हैं।

राजा-महाराजाओं ने जो कुछ किया हम उससे कम तंग हालात में नहीं हैं। ये सारे हालात, जो पैदा किये जा रहे हैं आपके लिये भी दुखदायी हैं। आपको गर्व नहीं महसूस करना चाहिये कि आप शासकीय कुर्सियों पर बैठे हैं और आप पर कुछ नहीं हो सकता है। आज जो कुछ हो रहा है यह ठीक नहीं हो रहा है, उपयुक्त नहीं हो रहा है। इससे देश लोकतन्त्र की तरफ बढ़ने वाला नहीं है और इस कटु सत्य से इन्कार नहीं करना चाहिये।

श्री दीपंकर : यह कौनसा सन्देश सुना रहे हैं ?···

श्री मोहर सिंह : कभी आपको भी खाने के लिये दौड़ेगा। खेत सिंह जी से पूछो उनकी आंखें क्या बता रही हैं ? अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ जो सदन के मैम्बर्स को दबाने की कोशिश की जा रही है और कि अपने दिल की आवाज नहीं रख सकेंगे, इस प्रकार की एक तरफा चीज है तो मैं समझता हूं सदन के माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा के, और सदन की परम्परा के अनुकूल नहीं है इसलिये मैं खेत सिंह जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, उसका विरोध करता हूं।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य सचेतक महोदय द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है उसके पक्ष में और विपक्ष में जो विचार व्यक्त

(श्री हरिदेव जोशी)

किये गये हैं, उन विचारों को हमको गंभीरतापूर्वक विश्लेषण करना चाहिये। वैसे तो यह सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार न करे और यह प्रस्ताव न भी आता तब भी अध्यक्ष महोदय, आपको अधिकार थे कि सदन के द्वारा पारित जो रूल्स हैं उसको आप स्वयं भी सस्पेन्ड कर सकते थे। यह कार्य किन्हीं रूल्स को सस्पेन्सन करने का है और ऐसा पहले भी हुआ है। यह पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। फर्क इतना सा ही है कि जब सदन का कोई एक पक्ष यह सोचता है कि मेरी बात को प्रायोरिटी दी जानी चाहिये तब हम पीक करते हैं इस बात को। दूसरे रूल्स को सस्पेन्सन करने की बात है—यही तो बात है न ? और यही बात इस पार्टी की ओर से सदन के समक्ष रखी गई है—एक मोशन के रूप में यह स्वीकार होगा तब हम सस्पेन्ड करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना नहीं करके और इस सदन से प्रार्थना करने का तात्पर्य क्या है ? यह सदन से प्रार्थना करने का अर्थ यही है कि सदन सर्वोपरि है और सदन यह उचित समझता है, तब यह हो सकेगा। यह तो एक केवल इस प्रस्ताव की सीमा तक की बात है। कुछ बात राजनैतिक भी कही गई है अध्यक्ष महोदय। मेरी इच्छा नहीं थी कि इस प्रस्ताव पर मैं बोलूं, इस बात की मेरी इच्छा थी कि आने वाला जो संकल्प है जिसके लिये इस सदन को आहूत किया गया है, उस सम्बन्ध में बोलने की। मगर एक माननीय सदस्य ने यहां पर मुद्दा खड़ा कर दिया और उन मुद्दों को मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति इग्नोर नहीं कर सकता है। इसलिये मैं सदन के समक्ष अपनी बात को, सरकार की बात को और अपनी पार्टी की बात को कहने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश इस महान देश का एक अंग है। जैसे शरीर के एक अंगुली में चोट लगती है तो पूरा शरीर पीड़ा अनुभव करता है। ठीक उसी प्रकार से पूरे देश में एक प्रकार की स्थिति है और राजस्थान में वह नहीं है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। राजस्थान में भी वही हालात हैं जो हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में हैं, राजस्थान में भी वही प्रयत्न हैं जो हिन्दुस्तान के किसी कोने में हैं। हिन्दुस्तान की फौज और राजस्थान की फौज कोई अलग अलग नहीं है। आज अगर इस मुद्दे के ऊपर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम यह समझें कि राजस्थान में अगर कोई दंगा फिसाद नहीं है, झगड़ा टन्टा नहीं है तो हिन्दुस्तान किसी चीज से बरी है, मुक्त है। चीन ने आक्रमण किया हिमालय की सीमाओं पर तो स्वाभाविक था कि चीन भागकर राजस्थान की सीमाओं पर नहीं आता था लेकिन उसको हिन्दुस्तान का हमने अग्रेसर समझा देश के लिये। पाकिस्तान ने हमला किया और तामिलनाडू से फौज नहीं जा सकती थी लेकिन हम पाकिस्तान का केवल तामिलनाडू पर ही आक्रमण नहीं समझ सकते थे। अब हम एक मानकर चलते हैं तो जो कन्डीशन बिहार में है उससे आंख बन्द कर नहीं चल सकते हैं—कन्डीशन दिल्ली में भी वही है तो राजस्थान में भी वही है।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं आपातकालीन स्थिति को केवल लॉ एण्ड

(श्री हरिदेव जोशी)
आर्डर की सिचुएशन के लिये महदूद करें और उस तक ही सीमित रूप रखने के लिये ही आपातकालीन स्थिति नहीं की गई है बल्कि 29 तारीख को कहीं कोई प्रदर्शन होने वाला था, और उसमें हिंसा होने वाली थी, यह चीज नहीं है बल्कि एक राजनैतिक और आर्थिक कार्यक्रम को अधिक गतिशील बनाना भी इसके पीछे एक दृष्टिकोण है। राष्ट्र के अन्दर और राष्ट्र के बाहर जो ताकतें इस राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहीं हैं उनके खिलाफ एक मोर्चा लेना भी इस प्रसंग का एक अंग है इसलिये हम इन सारी चीजों को एक आईसोलेशन के रूप में नहीं ले सकते है।

एक माननीय सदस्य ने एक बात कही कि सारे देश को कस दिया गया है और अब विधान सभाओं को भी कसना चाहते हैं। मुझे तो कहीं कसावट दिखी नहीं। आपको कहीं दिख रही हैं? क्या दिख रही है?

श्री मोहरसिंह : इससे ज्यादा और क्या होगा?

श्री हरिदेव जोशी : मैं आप बोल रहे थे तो बीच में नहीं बोला था। मैं बोल रहा हूँ। आपकी केवल एक चीज को कसा गया है और वह यह है कि फालतू की हड़तालें नहीं हों। एक बात को कसा गया है कि विद्यार्थी स्कूल और कालेजों में पढ़ें। एक बात को कसा गया है कि व्यापारी लोग ब्लेक मार्केटिंग नहीं कर पायें। एक बात को कसा गया है कि अखबार फालतू के करेक्टर असेसीनेशन नहीं करें। एक बात को कसा गया है कि विद्रोही ताकतें इस देश के अन्दर खेल न खेल सकें इस बात को एक्सपोज किया गया है कि जार्ज फर्नान्डेज ने माओत्सेतुंग को चिट्ठी लिखी है....

श्री मोहर सिंह : उसका मौका दीजिए।

श्री हरिदेव जोशी : और इस देश के लोग हड़तालें करवाकर भुट्टो से, याह्या खां से, माओत्सेतुंग से प्रेरणा पाने की कोशिश करते हैं तो उनको कसा जायेगा। उनको कसने से नहीं रोका जायेगा...

श्री दीपंकर : अब मोहरसिंह जी नोट कर लें।

श्री मोहर सिंह : अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हड़तालें करना उचित नहीं है? क्या मजदूरों को नहीं कसा जा रहा है?

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप बोल रहे थे तो यह सुन रहे थे और अब आप बोल रहे हैं तो आप सुनें।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे मालूम है माओत्सेतुंग का नाम लेने से आपको झुरझुरी पैदा होती है....

श्री मोहरसिंह : मुझे नहीं होती है। यह आपका फिजूल का ख्याल है। इसको आप रेक्टीफाई कर लीजिए।

श्री हरिदेव जोशी : मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि देश केवल मेरा नहीं है। आपका भी है। अगर यहां पर बैठकर कोई आराधना करें तो आपको और मुझे किसी तरह का एतराज नहीं होगा। मगर मोहरसिंहजी साहब आपने कभी भी भगवा पहनकर अपने किले में

(श्री हरिदेव जोशी)

हथियार एकत्रित करके कहीं आराधना करने की बात देखी है ? मैंने भी शक्ति की उपासना एक तलवार को समक्ष रखकर करते देखा है लेकिन 100, 200 और पांच पांच सौ हथियार पूजा के लिए नहीं होते हैं। फिर दूसरे तात्पर्य के लिए इकट्ठा करने का क्या अर्थ होता है यह आप समझा दें ? आप किसी मंत्र जाप करने वाले के साथ घूमते फिरें इसके लिए एतराज नहीं है। मुझे इस बात से भी कोई एतराज नहीं कि आप भगवा पहनने वालों के साथ चलें लेकिन मुझे सख्त रूप से इस बात से एतराज है कि जो लोग छुप करके हथियार रखते हैं, देश के अन्दर एक प्रकार की अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश करते हैं उनको भी आप कहते हैं कि कसावट में लिया जा रहा है तो फिर क्या है ?

श्री मोहरसिंह : उनको आपकी प्राईम मिनिस्टर ने दिल्ली के अन्दर इन्डो-पाक वार के अन्दर होम गार्ड का काम सौंपा था।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, आज निश्चित रूप से वह लोग खुश हैं जो इस देश को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आज जो लोग हड़तालें करवाते थे वह लोग प्रस्ताव स्वीकार करके भेज रहे हैं कि हम इन्दिरा जी के 21 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करते हैं।

श्री मोहरसिंह : फर्जी है।

श्री हरिदेव जोशी : जो विद्यार्थी कालेजों में नहीं जाते थे और लम्बे बाल कर के घूमते थे आज वह बाल कटवाकर कालेजों में पढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो नेता आपके और हमारे सामने करेक्टर एसेसीनेशन करके नाम छुपाने की कोशिश करते थे वह लोग आज सबड्यूड महसूस करते हैं इसलिए आज आप सर्वत्र एक चीज पायेंगे और वह यह है कि देश यह महसूस करता है कि आपातकालीन स्थिति 26 जून को जो लाई गई थी वह बहुत देर से लाई गई है, पहले लाई जानी चाहिए थी। आज आम आदमी की यह आवाज है मैं तो ऐसा महसूस करता हूं और इसलिए मुख्य सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। मुझे इससे कहीं विरोध नहीं है। हमने प्रजातंत्र स्वीकार किया है, सोच समझ कर स्वीकार किया है। प्रजातंत्र के मायने विचार भेद हो सकता है मगर प्रजातंत्र के मायने कभी भी देश को कमजोर करना नहीं होता है, देश की सेना को भड़का कर उसका लाइसेन्स देना नहीं होता है। मैं यह अपेक्षा करके चलता हूँ कि जो गम्भीरता हमारे में है वह गम्भीरता इस देश को बचाने के अन्दर काम में आये और जो कुछ हम अन्तर आत्मा से महसूस करते हैं कि अमुक गलती हुई है तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। जो लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं मैं ऐसा समझता हूँ कि वह अपने प्रति और देश के प्रति न्याय नहीं करते हैं। कुछ लोग आज दबी जुबान से कहते हैं कि श्री जयप्रकाश नारायण जी की सेमीनार थी उसमें चर्चा हुई और कुछ लोग कहते हैं कि यह सब कुछ जयप्रकाश नारायण ने करवा दिया। उन्होंने सेना को भड़काने की बात कही और हमारा कोई उससे संबंध नहीं था। जो लोग ऐसा महसूस करते हैं उनको आगे आना चाहिए और बोल्डली कहना चाहिए कि ऐसी बात नहीं

(श्री हरिदेव जोशी)

होनी चाहिए थी। जब तक हम गलत लोगों के साथ अपने को एसोसियेट करते हैं तब तक हम राष्ट्र की बात को सही ढंग से नहीं रख सकते हैं। इसलिए मैं सदन को पुरजोर शब्दों में अपील करूंगा कि जो प्रस्ताव यहां पर रखा गया है उसको स्वीकार किया जाये और जिस उद्देश्य से हम यहां पर एकत्रित हुए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति को प्राथमिकता दी जाये।

एक माननीय सदस्य ने विधान सभाओं और पार्लियामेन्ट के बारे में भी और उसके माहौल के बारे में भी बातें कहीं हैं और निश्चित रूप से यह सदन और इस प्रकार के सदनों को देश के पिछड़े हुए आदमियों की आवाज को बुलन्द करने का और देश को संसार के मानचित्र में ऊंचा उठाने का आधार बनाना चाहिए। पिछले वर्षों में सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट के अन्दर जो कुछ भी हुआ, दूसरे प्रान्तों की विधान सभाओं में जो कुछ हुआ उससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी नहीं है। जिन लोगों ने सदन की गरिमा को ऊंचा उठाने में योगदान दिया है हम उनके आभारी हैं। मगर इतना ही काफी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जैसा कि अभी कहा गया था कि सारा देश एक लाइन के अन्दर खड़ा हो और देश के उत्थान की बात को सोचें, और इसलिए उपयुक्त अवसर पर मैं फिर अपने विचारों को रखूंगा, किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जावे और इस कार्य का पहले सम्पादन किया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प मुख्य सचेतक महोदय ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण

श्री सचिव, राजस्थान विधान सभा : अध्यक्ष महोदय, मैं गत सत्रों में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :

राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक :

(1) राजस्थान पशु एवं पक्षी बली (निषेध) विधेयक, 1975

(2) राजस्थान निरसन तथा संशोधन विधेयक, 1972

(3) राजस्थान प्राईवेट विद्युत् प्रदाय उपक्रम (अर्जन) विधेयक, 1975

राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक :

(1) राजस्थान मंत्री-वेतन (संशोधन) विधेयक, 1975

(2) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों एवं सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, 1975

अध्यादेश

श्री खेतसिंह (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 9, सन् 1975)

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 10, सन् 1975)

(3) उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 11, सन् 1975)

अधिसूचनाएं

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएँ सदन की मेज पर रखता हूं ।

(1) अधिसूचना संख्या 21(3)राज/उप/72, दिनांक 14 मई, 1975

(2) अधिसूचना संख्या 21(3)राज/उप/72, दिनांक 14 मई, 1975

(3) अधिसूचना संख्या एफ 3 (अ) (56) राज/उप/74, दिनांक 15 मई, 1975

(4) अधिसूचना संख्या प 7(59) राज/ग्रु.प 4/73, दिनांक 7 जून, 1975

(5) अधिसूचना संख्या एफ 21(अ) राज/उप/74 दिनांक 17 जून, 1975

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं । पांच अधिसूचनायें हैं यदि आप आदेश दें तो पढ़ दूं वरना पढ़ी हुई मान ली जावें ।

श्री अध्यक्ष : पढ़ी हुई मान ली जावें ।

(निम्नांकित अधिसूचनाएं रखी गई)

(1) अधिसूचना संख्या एफ 9(1) वित्त/वा.कर/70, दिनांक 8 नवम्बर, 1974

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 7(33) वित्त/वा. कर/72, दिनांक 8 नवम्बर, 1974

(3) अधिसूचना संख्या प. 7 (33) वित्त/वा. कर/72, दिनांक 10 फरवरी, 1975

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 2 (34) वित्त/ग्रु.प 4/74, दिनांक 10 फरवरी, 1975

(5) अधिसूचना संख्या एफ 2 (6) वित्त/ग्रु.प 4/75, दिनांक 3 मई, 1975

श्री मोहनलाल छंगाणी (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज रखता हूं, नम्बर 1, 2, 3 4।

(1) अधिसूचना संख्या प.1(3)(21) परि/74 दिनांक 7 दिसम्बर, 1974

(2) अधिसूचना संख्या प.1(3) (41) परि/72 दिनांक 18 दिसम्बर, 1974

(3) अधिसूचना संख्या प.1(3) (45) परि/72 दिनांक 6 नवम्बर, 1974

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

(4) अधिसूचना संख्या प.1(3)(84) परि/74 दिनांक 31 दिसम्बर, 1974

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत शासन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 7(7) टी पी/74 [जी. एस. आर. 311(19)] सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री श्रीराम गोटेवाला (सभापति, विशेषाधिकार समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन द्वारा विशेषाधिकार समिति को 'क्रोस एग्जामिनेशन' पत्रिका के सम्पादक एवं मुद्रक के विरुद्ध निर्दिष्ट विशेषाधिकार प्रश्न पर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि इस विशेषाधिकार समिति को कार्य के लिए अगले सत्र के अन्त तक समय दे दिया जावे।

(स्वीकृत)

समय दिया गया।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्रीमती सुमित्रा (सदस्या, प्रवर समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपील अधिकरण) विधेयक, 1973 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि इस प्रवर समिति का समय बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(2) के अन्तर्गत राजस्थान विश्वविद्या-

(श्री खेतसिंह)
लय (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 10, सन् 1975) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

जोधपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(2) के अन्तर्गत जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 8 सन् 1975 को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

उदयपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री खेतसिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (2) के अन्तर्गत उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 11 सन् 1975) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

शासकीय संकल्प

संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 का अनुसमर्थन

श्री खेतसिंह (मंत्री, संसदीय कार्य): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

"कि यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (उन्तालीसवां संशोधन) विधेयक, 1975, जिसका संक्षिप्त नाम "संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975, में परिवर्तित कर दिया गया है, द्वारा किये जाने के लिए प्रस्थापित भारत के संविधान के उन संशोधनों का, जो उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है।"

(श्री खेतसिंह)

अध्यक्ष महोदय, संविधान (उन्तालीसवां संशोधन) विधेयक, 1975 गत सप्ताह संसद द्वारा पारित किया जा चुका है। आज इस संकल्प के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123, 213, 239 ख, 352, 356, 259 एवं 360 को संशोधित संसद द्वारा किये जा चुके हैं, उनका अनुसमर्थन करना है।

चूंकि प्रस्तावित संशोधन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को प्रतिबन्धित करता है अतः इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के अन्तर्गत विधान सभा द्वारा अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। अनुच्छेद 368 (2) के खण्ड बी के अनुसार ऐसे संशोधन जो संविधान के भाग 5 के चेप्टर 4 और भाग 6 के चेप्टर 5 में परिवर्तन करते हैं, तो उनके लिए विधान सभाओं का अनुसमर्थन अपेक्षित है।

जिन अनुच्छेदों को इस उन्तालीसवें संशोधन विधेयक के द्वारा संशोधित किया जाना है उनके सम्बन्ध में मैं संक्षिप्त में उल्लेख कर रहा हूं।

अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि जब संसद सत्र में न हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था अनुच्छेद 213 में राज्यपालों के लिये और अनुच्छेद 239 बी में प्रशासकों के लिए की गई है। इन तीनों ही अनुच्छेदों की भाषा करीब करीब एक सी है और जिस संतुष्टि (सेटिस्फेक्शन) का उल्लेख इन अनुच्छेदों में किया गया है वह सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन की व्यक्तिगत संतुष्टि है। इस कारण इसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। फिर भी न्यायालयों में ऐसे मामले विचाराधीन हैं, जहां पर इस प्रकार की संतुष्टि को चुनौती दी गई है। अतः ऐसे मामलों में जरा भी सन्देह नहीं रहे, इस दृष्टि से संविधान के उक्त अनुच्छेदों में यह संशोधन करने का प्रस्ताव है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की परिस्थितियों के बारे में सन्तुष्टि अन्तिम और निश्चित होगी उसे किसी भी आधार पर न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति महोदय को आपात की घोषणा करने की शक्ति देता है। यदि राष्ट्रपति सन्तुष्ट हो जावे कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण अथवा आंतरिक अशान्ति से भय है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को किसी राज्य की सरकार के कृत्यों को सम्भालने की शक्ति देता है यदि वे संतुष्ट हो जावे कि किसी राज्य में संवैधानिक ढांचा विफल हो गया है और राज्य का शासन नहीं चल सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति देता है यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जावे कि भारत को वित्तीय मजबूती खतरे में है। इन सब मामलों में राष्ट्रपति की सन्तुष्टि न्यायालयों के निर्णय योग्य नहीं है, परन्तु फिर भी अनुच्छेद 352 के अधीन जारी की गई आपात की घोषणा को न्यायालयों में चुनौती दी गई है। इस प्रकार की मुकदमेबाजी से जनता का समय और धन बर्बाद होता है अतः इन तीनों अनुच्छेदों में इस प्रकार संशोधन करने का प्रस्ताव है

Page No 20

(श्री खेतसिंह)

ताकि राष्ट्रपति की सन्तुष्टि को अन्तिम और निश्चित बनाई जा सके जिसे किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सके।

अनुच्छेद 352 के सम्बन्ध में इस प्रकार की कुछ रिट याचिकाओं में विवाद उठाये हैं कि जब आपात की मूल घोषणा प्रभावशील है तो आपात की अन्य घोषणा उक्त अनुच्छेद में नहीं की जा सकती है। अतः यह भी प्रस्ताव है कि अनुच्छेद 352 में कोई घोषणा पहले से हो तो भी दूसरी घोषणा भिन्न भिन्न आधार पर राष्ट्रपति कर सकते हैं।

यह आपात की घोषणा प्रभावशील हो तो अनुच्छेद 352 के अनुसार अनुच्छेद 19 स्वतः निलम्बित हो जाता है और राज्य को कोई भी ऐसी विधि बनाने या कार्यवाही करने की शक्ति देता है जिसमें मूल अधिकार में कोई बाधा नहीं डाल सके। परन्तु ऐसी विधि आपात की घोषणा समाप्ति होते ही प्रभावहीन हो जाती है। इसके विपरीत अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति आदेश देकर किसी भी मूल अधिकार की पालना कराने के लिये न्यायालय में जाने के अधिकार को निलम्बित कर सकते हैं परन्तु उक्त अनुच्छेद में अनुच्छेद 358 की तरह ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिससे राज्य ऐसी विधि बना सके या ऐसी कार्यवाही कर सके जिसमें मूल अधिकार कोई बाधा नहीं डला सके। अतः अनुच्छेद 359 में ऐसा प्रावधान करने का भी प्रस्ताव है।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसद के दोनों सदनों ने यह विधेयक पारित किया है। इन प्रारम्भिक शब्दों के बाद में यह संकल्प सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि सदन इसको एक मत होकर पारित करे।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपात स्थिति की घोषणा के सम्बन्ध में जो हमारे संविधान के प्रावधान हैं वह मैं समझता हूं पर्याप्त हैं। किसी भी अदालत में सन् 1935 के गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट से लगा कर जो प्रावधान आज दिन तक हैं, उसमें किसी भी अदालत में राष्ट्रपति या राज्यपाल या एडमिनिस्ट्रेटर का निर्णय संकटापन्न स्थिति को घोषित करने के सम्बन्ध में जस्टिसेबल हो, काबिल सम्मान अदालत हो। अदालत को कोई अनुमान नहीं हो सकता है कि देश के अन्दर संकटापन्न स्थिति है या नहीं ? संकटापन्न स्थिति अन्य किन कारणों से की गई सरकार या हैड आफ दी स्टेट, राष्ट्रपति के अधिकार का यह विषय है। यह जो प्रावधान लिये गये हैं, मैं यह अनुभव करता हूं यह एक हद तक ज्यूडिशियरी की अवहेलना है और ज्यूडिशियरी के प्रति अविश्वास व्यक्त करना है। मैं इस कदम को ठीक कदम नहीं समझता। इसके अन्तर्गत मैं यह भी अनुभव करता हूं, चाहे राईट रिएक्शनरीज हो या लेफ्ट एडवेंचरिस्ट का हो, मैं यह व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूं कि इसके अन्दर अपारचुनिज्म की भावना निहित है। अभी अभी मणिपुर में क्या हुआ ? दल बदलने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना क्या पोलिटिकल करप्शन नहीं है ? करप्शन कहीं पर भी हो, उसको मिटाया जाये, हटाया जाये, इसका स्वागत और समर्थन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस देश में करेगा। जो शासन

(श्री लक्ष्मण सिंह)
के अन्दर ढ़िलंगाई, जो डिसीप्लीन में कमी आई है, जो तस्करी हुई है, जमाखोरी आदि हुई है, उनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाये। वह अवश्य करप्शन है और उसके अन्दर कोई लिनियन्सी नहीं बरती जाये। देश आजाद हुआ उसके पश्चात् निरन्तर इन 25 वर्षो से एक ही दल का शासन है देश में। अगर शासन में ढ़िलंगाई आती है, अगर देश में बेईमानी और तस्करी फैलती है, मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष को इस खातिर बदनाम करना अवास्तविक है। आखिरकार शासनारूढ़ दल को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिये और साहस के साथ अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिये। जहां तक कि ऐसा कोई प्रचार का प्रश्न है, कोई व्यक्ति-विशेष जो हमारे भारतीय भाई हैं और हमारी भारतवर्ष की सरकार है, उसके खिलाफ इस तरह की बात कहें कि आर्म्ड फोर्सेज, फौज को बगावत करनी चाहिये, पुलिस को बगावत करनी चाहिये, तो ऐसी बात कोई भी सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती? और न मैं इसका समर्थन करता हूं।

इसके साथ साथ जो 21 सूत्रीय कार्य-क्रम है, इसके सम्बन्ध में मैं यह समझता हूं कि यह कोई नयी बात नहीं है। बहुत सारी बातें हम बराबर सुनते आये हैं और सुनने के लिए तैयार हैं। शासनारूढ़ दल का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि वह अपनी घोषणाओं को क्रियान्वित करे। मुझे खूब याद है, 1971 में गरीबी हटाओ का नारा बुलन्द किया गया था। किस हद तक गरीबी हटी है इस देश के अन्दर या नहीं हटी है यह हम सब अपने मन में समझते हैं। इसको चाहे शासनारूढ़ दल स्वीकार करे या न करे। 21 सूत्रीय कार्यक्रम है वह अच्छी चीज है। इसका स्वागत करते हैं लेकिन इसको क्रिया-न्वित करना विरोधी पक्ष का कर्तव्य नहीं है। यह शासनारूढ़ दल का कर्त्तव्य है। अगर शासनारूढ़ दल 21 सूत्रीय कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं कर पाता है तो मेरे ख्याल में उसको शासन से अलग हो जाना चाहिये। उसको शासन करने का फिर कोई अधिकार ही नहीं है। अगर संकटापन्न स्थिति के पर्दे के अन्दर सैकड़ों और हजारों आदमियों को पकड़ पकड़ कर जेल के अन्दर ठूंस दिया जाये, लोगों को कैद कर दिया जाये तो हरएक की आत्मा है, उस आत्मा के ऊपर कोई सरकार काबू नहीं पा सकती है और दबा नहीं सकती है। आप एक हद तक दबा सकते हैं लोगों को लेकिन सब बातों की एक सीमा होती है। जनतन्त्र क्या है? अध्यक्ष महोदय, इसकी परिभाषा के ऊपर बहुत मत मतान्तर हो चुके हैं। अफ्रिकी देश भी कहते हैं डेमोक्रेसी वहां पर है। रशिया, चाईना भी कहते हैं डेमोक्रेसी वहां पर है। उनको अधिकार है यह कहने का कि डेमोक्रेसी वहां पर है। मैं यह समझता हूं कि भारतवर्ष के अन्दर जो धीरे धीरे व्यवस्था आ रही है वह एक देश, एक दल, एक नेता की संज्ञा लिए जा रही है।

ऐसी परिस्थिति में हमारे जैसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है तो हमें निकाल कर बाहर किया जाय।

एक माननीय सदस्य : कैसे ?

श्री लक्ष्मणसिंह : लेकिन जब तक इस सदन के अन्दर हम लोगों को बोलने का अधिकार है मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता

(श्री लक्ष्मण सिंह)

कि अधिकार और डेमोक्रेसी में संविधान के दृष्टिकोण से बहुत अन्तर होता है ....

श्री दीपंकर : आपका शासन इसीलिए छीन लिया गया था। आपकी आवश्यकता नहीं रही।

श्री लक्ष्मण सिंह : हमारा शासन तो खत्म हो गया और हमारी आवश्यकता नहीं होने से हम भी खत्म हो गये और किस्सा खत्म हुआ। उसको बार-बार क्यों दोहराते हैं ? और अगर दोहराना चाहते हैं तो मेरे खयाल में कोई भी शासन इस संसार के अन्दर अजर-अमर नहीं रहा। तू चल मैं आया। जो शासनारूढ़ दल आया उसको भी एक दिन जाना पड़ सकता है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह याद दिला रहे हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : हमने आठ सौ और एक हजार वर्ष तक राज्य किया लेकिन अगर आप 10 वर्ष भी देश का शासन कर लें तो मेरे खयाल में वह उपलब्धि बड़ी भारी रहेगी। यहां अवसरवादिता निहित है संकटापन्न स्थिति के अन्दर। अपनी कुर्सी को कायम रखने की भावना को लेकर जो कुछ भी किया जा रहा है यह मेरे खयाल में नग्न प्रदर्शन हमारे दृष्टिगोचर हो रहा है..

श्री दीपंकर : यह सही है कि नाममात्र के XXX पास बैठे हैं....

श्री लक्ष्मण सिंह : सारे प्रेस को कह दिया, गैप कर दिया जाय सारे संसार को बता दिया जाय कि कोई भी कुछ न कह सके। करेक्टर एसेसिनेशन के बारे में कहा जाता तो मैं मानता। मैं व्यक्तिगत करेक्टर एसेसिनेशन को पोलिटिक्स में एक बुरी चीज मानता हूं, लेकिन समस्त अखबारों में से कुछ दो चार करेक्टर एसेसिनेशन में इन्डल्ज हों और सारे अखबारों को गैप कर दिया जाय तो कहां का इन्साफ है, कहां की डेमोक्रेसी है ? मैं समझता हूं यह तानाशाही और अवसरवाद है, यह अवसरवादी अधिनायकवाद है, भ्रष्ट अधिनायकवाद है। तो आपका बहुमत है। आपका जी चाहे वह कर सकते हैं, लेकिन जब तक इस सदन के अन्दर अपने विचार व्यक्त करने का लोगों को अधिकार है उस अधिकार का उपयोग मैं कर रहा हूं, और यहां पर रहूंगा तब तक मैं करूंगा।

यह भी कहा गया है कि विरोधी पक्ष उधम मचाये और विधान सभा की प्रक्रिया और कार्यवाही के अन्दर व्यवधान डाले, मैं जिम्मेदार विधायक के नाते यह कह सकता हूं कि इस सदन के अन्दर एक भी ऐसा अवसर शायद नहीं आया होगा जब कि व्यवधान डालकर उचित सदन की कार्यवाही के अन्दर रुकावट पैदा की गई हो। प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं के अनुसार हरएक सदस्य को अधिकार है कि उन प्रक्रियाओं के अनुसार अपना आचरण करें और सरकार के ऊपर अंकुश लगायें। अगर क्रिटिसिज्म और अंकुश लगाना दोष है, कन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही दोष हो और गुनाह हो तो इससे बढ़कर इस देश का और इस जनतन्त्र का क्या दुर्भाग्य हो सकता है ?

मैं सदन का विशेष समय नहीं लेना चाहता, और मैं जानता हूं कि इस प्रस्ताव का विरोध करना भी निरर्थक है, लेकिन

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री लक्ष्मण सिंह)

इस प्रस्ताव की जरूरत मैं नहीं समझता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मोहर्रसिंह (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस वक्त है वह संकटकालीन स्थिति की घोषणा तथा उसकी पुष्टि का सवाल।

(12.35 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

तो उपाध्यक्ष महोदय, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जिस तरह से भारत की लोकसभा ने और राज्य सभा ने इस सबको पास कर दिया, यह यहां भी सब पास हो जाने वाला है, लेकिन यह भारत के लोकतन्त्र के लिए एक बहुत ही गलत कदम है, ऐसा मेरी पार्टी मानती है। 71 में संकटकालीन घोषणा और उसके बाद पुनः इस प्रकार की घोषणा। क्या आवश्यकता पड़ गई इस चीज की? इसके लिए कहा जा रहा है कि देश की अन्दरूनी स्थिति इस प्रकार बिगड़ गई कि यह संकटकालीन घोषणा लागू करना अत्यन्त आवश्यक हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, इस पर अचम्भा होता है और शक होता है कि एक तरफ तो गुजरात में कांग्रेस चुनाव हार गई और दूसरी तरफ इन्दिराजी के खिलाफ चुनाव मुकदमे में हाई कोर्ट ने फैसला दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको आंशिक स्टे दिया जाना और सारे देश के अन्दर उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए की आवाज का बुलन्द होना, यह सब सबब क्या इस बात के लिए काफी नहीं हैं कि उन्होंने इन सारी चीजों को बेस मानकर यह आवश्यक समझा कि और कोई दूसरा उपाय नहीं था कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने के अलावा।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कहा गया है कि देश के अन्दर आर.एस.एस., आनन्द-मार्ग तथा नक्सेलाइट्स की कार्यवाहियां इतनी बढ़ गईं कि संकटकालीन घोषणा करना अत्यन्त आवश्यक हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं साफ तौर से बतला देना चाह रहा हूं कि वह समय आपको याद होगा जब कि पाक और हिन्दुस्तान का युद्ध हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने उस वक्त दिल्ली का सारा इन्तजाम होमगार्ड के रूप में आर. एस. एस. के हाथों में सौंपा था? क्या आर. एस एस. की इस कार्यवाही से हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट बेखबर थी? अगर उस वक्त आर.एस.एस. से डरने की बात नहीं थी तो इतनी जल्दी...

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके ख्याल से आर. एस. एस. पर प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं है? आपके दल की क्या राय है?

श्री मोहर्रसिंह : मेरे दल की वही राय है। उसके अन्दर आप फर्क न समझें और मैं जो कुछ कह रहा हूं वह...

श्री हरिदेव जोशी : क्या है?

श्री मोहर्रसिंह : इतनी बात कर रहे हैं इसलिए यह निवेदन कर रहा हूं..

श्री दीपंकर : क्या आप समर्थन करते हैं आर. एस. एस. का?

श्री मोहरसिंह : आप धीरज से सुनिये। मेरी पार्टी के विचार आर. एस. एस. के प्रति क्या है वह आपको मालूम है, लेकिन आप जनता के अन्दर एक इल्युजन, एक भ्रम फैला रहे हैं आर. एस. एस. का नाम लेकर, इसलिए यह कह देना चाहता हूं कि यह भ्रम फैलाने की नीति से आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। आर. एस. एस. के सम्बन्ध में मेरी पार्टी के यही विचार हैं कि यह एक साम्प्रदायिक संस्था थी और है। इसके लिए हमारी पार्टी ने तीन वर्ष पहले जो घोषणा की थी उसमें और अब में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपकी जो भ्रम फैलाने की नीति है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं...

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो उस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए। आपकी पार्टी क्या बात करती है वह मालूम है, लेकिन आप बतलाइये कि आर. एस. एस. पर जो प्रतिबन्ध लगाया है उसका आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं?

श्री मोहरसिंह : मैं हमारी पार्टी की जो नीति है उसके विरोध में नहीं जा रहा हूं। उस के साथ-साथ मैं इतना कह देना चाहता हूं...

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी अनलाइसेन्स्ड आर्म्स नहीं रख सकता है। अगर रखता है तो उसको सजा देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अणु युग के अन्दर भाले, बर्छी, छुरे मशीनगन, एटम बम्ब, हैण्डग्रेनेड्स के मुकाबले में क्या चीज है?

श्री दीपंकर : क्या उनसे मारा नहीं जा सकता है? क्या भाले और तलवार से हत्या नहीं की जा सकती है?

श्री श्रीराम गोटेवाला : जगह-जगह उनसे काम लिया गया है।

श्री दीपंकर : इनका षड्यन्त्र है।...

श्री मोहरसिंह : इसी प्रकार से आनन्द मार्ग के मुतल्लिक किया गया है। यह सारी चीजें गवर्नमेन्ट के नजरिये में पहले से थीं। फिर ऐसी कौनसी स्थिति पैदा हुई, संकटकालीन स्थिति पैदा हुई कि संकटकालीन स्थिति लागू की गई है? अब जो गवर्नमेण्ट ने किया है तो वह क्यों किया है? उसके बारे में भ्रम क्यों पैदा किया जा रहा है? जब सरकार के नजरिये में यह सब पहले से था तो उस वक्त इन्तजाम क्यों नहीं किया गया? गुजरात के चुनावों में जनता ने कांग्रेस के खिलाफ फैसला दिया है। हाईकोर्ट से मुकदमे के खिलाफ फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। आप ने यह इसलिए किया है कि आपने यह देख लिया कि कुर्सी बचाने का इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। यह जनतान्त्रिक चीज नहीं है। यह आपको महसूस करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

हमने आपातकालीन स्थिति भी देखी है। 21 सूत्री कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इसके लिए किसने मना किया है? हमारी पार्टी वर्षों से मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाने, वैजेज बढ़ाने के लिए आन्दोलन करती रही है। कुछ दिनों पहले ही प्रदर्शन निकाले हैं। आन्दोलन किये हैं, संघर्ष किये हैं। सारी

(श्री मोहरसिंह)

नीतियां स्पष्ट हैं बोलना ठीक है, लेकिन जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है। इधर का उधर कहा जा रहा है, गरीबी को मिटाने को कहा जा रहा है। हम देखते हैं कि दीन रेखा से नीचे 40% जो थे उनकी गिनती 70% हो गई है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : गलत है।

श्री मोहरसिंह : गरीबों की गरीबी बढ़ती जा रही है। अमीरों की अमीरी बढ़ती जा रही है। आज यह कार्यक्रम लागू करना चाहते हैं। पहले भी मैरिट पर अच्छे कामों के लिए हम लड़ते रहे हैं। लेकिन आज जनता को बरगलया जा रहा है। यह 21 सूत्री कार्यक्रम बहुत पहले किया जा सकता था। हमने बराबर हड़तालें की हैं। संघर्ष किये हैं ट्रेड यूनियन ने संघर्ष किये हैं। मजदूरों की मांगें हैं। राज्य कर्मचारियों के प्रश्न हैं। किसानो के सवाल हैं। इसलिए उनका गला घोंट दिया जाय। यह कौन सी घोषणा है? अमीरों की अमीरी बढ़ती जा रही है। बड़े कैपटिलिस्ट बढ़ते जा रहे हैं। उनकी मोनोपोली है। उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा रहा है। यह कोई इन्साफ नहीं है। यह अच्छा होता कि हमारी नीति पूंजीपतियों के खिलाफ होती। उनके जो लूटने खसोटने के साधन हैं, उनका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूं कि इस भ्रमपूर्ण स्थिति को पैदा करने के अलावा और कोई प्रोग्राम पूरा नहीं किया है। हमारी पार्टी जनहित के प्रोग्राम में बाधा नहीं डालती है। बंगाल में गरीबी को हटाने को हमारी पार्टी ने 6 लाख एकड़ जमीन भूमिहीन किसानों को दी है। शुरू से हमारी पार्टी गरीबों को आगे बढ़ाने में आगे रहती आई है। आज जो कुछ कहा जा रहा है, वह प्रगति के नाम से कहा जा रहा है। प्रगति के नाम पर कहा जा रहा है, हड़तालें नहीं की जायें। हमारे मौलिक अधिकारों को कुण्ठित किया जा रहा है। यह सारी की सारी स्थिति गरीबों और आम लोगों के लिये बहुत दुःखदायी है। यह एक वास्तव में बड़ी शोचनीय बात है। जगह जगह जो स्थिति हुई है, वह आप को मालूम है। किस प्रकार से लोगों को पीटा गया है। पांच आदमी कहीं जा रहे हैं तो उनको पीटा जाये। इस प्रकार के असीमित अधिकार पुलिस को दे दिये गये हैं। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके साथ में घिनौना वर्ताव किया गया है। कामरेड गोपालन, जो 78 वर्ष के हैं, स्वतन्त्रता संनानी हैं। पर उनको भी पिटाई हेतु लाठी का वार किया 5–4 कामरेड्स ने ऊपर हाथ करके रोक लिया। यहां तक विरोधी हरकतें हुई हैं। दो-तीन दिन उनको चटाई पर सोना पड़ा। कहा यह जा रहा है कि हम लीडरों को बड़ा आराम दे रहे हैं। लेकिन उनके सोने तक के लिए अच्छा इन्तजाम नहीं किया गया है। चटाई पर सुलाया गया है। इस प्रकार की सूचना मिली है। चौधरी घासीराम को गिरफ्तार किया गया है उनके दफ्तर से घण्टियों को उठा लिया गया है, झण्डे को भी दफ्तर से उतार लिया गया है। इन सारी तरकीबों से उनको दबाया जा रहा है। हजारों कार्यकर्ताओं को, राजनैतिक कार्यकर्ताओं को दबाये जाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, कि इस तरह अन्याय किया जा

(श्री मोहरसिंह)

रहा है। वर्षों की लड़ाई के बाद हमने मौलिक अधिकार प्राप्त किये थे। आज हमें दुःख है, यह भी इस घोषणा से गवर्नमेण्ट ने छीन लिये हैं। जो कुछ भी थोड़े से अधिकार थे, वह छीन लिये हैं। आज देश को बांध लिया है। कुछ नहीं बोल सकते हैं। न कुछ अखबारों में छाया कर सकते हैं। बस, 15, 16 या 17 अखबार छोड़े हैं जिनके अन्दर विज्ञापन जायेंगे। ऐसी स्थिति में जो आदमी स्वतन्त्रता संग्राम में लड़े हैं, आज उनकी क्या स्थिति है। यह सरकार कितना घातक कदम उठा रही है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

फौजदारी के कितने ही कानून हैं। अगर कोई हिंसा का काम करता है, हिंसा की बात करता है, देश के खिलाफ कोई काम करता है तो फौजदारी कानून के अन्तर्गत आप मुकदमा चला सकते हैं। लेकिन यह संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर देने से न तो कोई पर्चा निकाल सकता है, न सभा कर सकता है। कोई जुलूस भी नहीं निकाल सकता है। अखबारों को सीज कर दिया गया है। आखिर यह क्या हालत है ? कैसी यह लोकतन्त्र की स्थिति है ? क्या यह तानाशाही नहीं है। तीन वर्ष पहले हमारी पार्टी ने सूचित किया था कि देश तानाशाही की ओर जा रहा है। लेकिन जब हाई कोर्ट का फैसला हुआ तो बरुआजी अब यह कहते हैं कि भारत ही इन्दिरा है। यह तानाशाही नहीं है तो क्या लोकतन्त्र को आगे बढ़ा रहे हैं ? यह सारी दशा हम क्या देख रहे हैं ? तानाशाही पनप रही है। वह महसूस करते हैं कि चारों तरफ तलवार कच्चे धागे में लटका दी गई है। पहले राजाओं की खिलाफत में बोलते थे। उनको सत्ता को हम कोसते थे। हमारे साथ यह बर्ताव जो आज किया जा रहा है इससे आपका भी भला नहीं होगा। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, यह प्रगति के लिए एक अस्वस्थ परम्परा होगी और अन्ततः आपके लिए भी घातक होगी। यह तानाशाही का काम होगा। यह कदम देश को तानाशाही की ओर ले जायेगा। हमें जो संविधान ने अधिकार दिये हैं, उनको भी छीन लेना, हमें ऐसा बांध देना कि कोई कुछ नहीं कर सके; यह संकटकालीन स्थिति के बहाने से आप कह रहे हैं। यह आप जानते हैं कि कोई किसी प्रकार का विरोध अब नहीं कर सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं समझता हूं। लेकिन मैंने जो शब्द कहे हैं वह मेरे भीतर अन्तरात्मा की आवाज है, क्यों हम आजादी की लड़ाई लड़े हैं। राजाओं से लड़ाई लड़े हैं। फण्डामेण्टल राइट्स के लिए लड़े हैं। आज वही अधिकार हम से छीने जा रहे हैं। इसलिए आपको सोचना चाहिये। इसलिए कहना मैं चाहता हूं, खास तौर से आपने जो संकटकालीन स्थिति की घोषणा की है, उसकी मैं कतई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। और अन्यायपूर्ण समझता हूं। अगर कोई गलत काम करता है तो उसको फौजदारी कानून में सजा दिलवायें। लेकिन यह नहीं कि कोई आदमी बोल ही नहीं सकता है। कोई 5 आदमी बात नहीं कर सकते, कोई कोई मीटिंग नहीं कर सकते– यही हमने आज 25, 27 वर्षों में पाया है और कोई तरक्की नहीं की।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री मोहरसिंह : हां अभी बैठता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आपके सामने कह रहा था—दो चार मिनट की कोई ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार से यह संकट कालीन स्थिति की घोषणा करना, लोकतन्त्र लिए भारी खतरा है और तानाशाही की ओर एक कदम है, इससे बढ़कर लोकतन्त्र पर कोई कुठाराघात हो नहीं सकता। जहां सबकी आवाज बन्द कर दी गई है, अखबारों में सेन्सरशिप लगा दी गई है। इन सब शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह देना चाहता हूं कि संकटकालीन घोषणा के प्रस्ताव का मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं, इतना विरोध करता हूं कि जितना विरोध किया जा सकता है। चाहे हमको जेल में ही जाना पड़े। मैं इस बात को जानता हूं और हरिदेवजी जोशी भी जानते होंगे और दूसरे भाई भी जानते होंगे, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, वर्षों तक हम जेल में रहे हैं और आज भी जेल में जाने को तैयार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र को आगे बढ़ाने के लिये यह कदम बिल्कुल ठीक नहीं है, हम इसका विरोध करेंगे और हर कीमत पर विरोध करेंगे और हम हमेशा सामने आते रहेंगे। चाहे हमको लाठियां और गोलियां खानी पड़े लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आपात् स्थिति के सम्बन्ध में कान्स्टीट्यूशन अमेन्डमेन्ट जो हमारी लोक सभा और राज्य सभा के द्वारा स्वीकृत होने के बाद यहां पर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे और कह रहे थे कि हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी समाप्त हो गई और एक डिक्टेटरशिप नया रूप धारण कर रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य है उन माननीय सदस्य पर। उनका खुद का डेमोक्रेसी में कितना विश्वास है, उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स में कितना विश्वास रखती है और किस तौर-तरीके से दुनिया के अन्य हिस्सों में जहां पर इनकी पार्टी शासन कर रही है वहां पर किस प्रकार के डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स पर यह सारा काम काज चला रही है। मगर एक तब्दीली जरूर आई है, वह तब्दीली जिसको समझना चाहिए, अमेरिका और चीन में जब से दोस्ती शुरू हुई तब से हिन्दुस्तान में भी कुछ इस प्रकार की राजनैतिक पार्टियां हैं जिनको हम एक तरफ तो कम्यूनल पार्टी कहा करते हैं, उन पर बेन लगना चाहिए, सभी प्रकार की पार्टियों ने उन पर बेन लगाने के लिए बल दिया है। खास तौर से आर. एस. एस. ने साम्प्रदायिक भावनाएं इस देश में वर्षों से फैलाने का प्रयत्न कर रही है। जब कि देश आजाद भी नहीं हुआ था और विदेशी हुकुमत का शासन था, उन्होंने डिवाइड एन्ड रूल की पोलिसी अपनाना आरम्भ किया तभी आर. एस. एस. और जमात-ए-इस्लाम पैदा हुई और वह वैसे ही आज तक इस देश में चल रही हैं। मगर माननीय सदस्य जो मार्क्सिस्ट पार्टी के सदस्य बोल रहे थे, उनकी पॉलिसी में भी कुछ तब्दीली आई है, वहां भी कुछ फेर बदल हुई है और जो दुनियां की पालिसी में तब्दीली आई है, उसी का नतीजा है कि जो पहले अमेरिका के

(28)

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

साथ चीन का किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं था, उनकी व्यवस्थाओं में कोई विश्वास नहीं था और हरदम से उसका विरोधी रहा। जब से अमेरिका और चीन का गठबन्धन शुरू हुआ, जब से पालिसीज में तब्दीली हुई और दोस्ती के सम्बन्ध हुए और समाजवादी कार्यक्रमों में विश्वास रखने वाले जितने भी मुल्क हैं उनकी व्यवस्थाओं को बदलने में या उनकी खिलाफत करने में चीन ने नया कार्यक्रम हाथ में लिया है तब से हमारे देश में भी इस प्रकार की पार्टियों में परिवर्तन आया है और उसी का नतीजा है कि मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी जो कहती रही है हमारी पार्टी ने कम्युनल पार्टी का विरोध किया है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है कि आप स्वयं डिसीप्लीन में . . .

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको बोलने दीजिये, इससे मेरी बात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक तरफ कम्युनल पार्टी हिन्दू धर्म और हिन्दुत्व का प्रभुत्व रखने वाली है और दूसरी ओर मजदूरों की भलाई में भी विश्वास रखती है उस पार्टी में और फासिस्टवादी पार्टी में आज किस प्रकार का मोह हो गया है? अभी माननीय रामानन्दजी ने भी कहा, जिन पार्टियों पर बैन लगाया आपकी पार्टी ने कोई बयान उसके बारे में नहीं दिया, न तो उसका विरोध ही किया और न उसका स्वागत ही किया है। बल्कि आज इनकी नीति यह है कि आर. एस. एस. से मिलकर इस देश की व्यवस्था को गड़बड़ किया जाय। आपकी पार्टी चाहती है कि उनके साथ मिलकर देश में अव्यवस्था और गड़बड़ फैलाने की परिस्थितियां पैदा की जायं।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री मोहरसिंह के बीच में बोलने पर) सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाये रखने के लिए मैंने कई बार कहा है और आपने नियम भी पढ़ लिये हैं। आपने सदन की प्रक्रिया और संचालन सम्बन्धी नियमों को भी पढ़ा होगा, ऐसी मुझे आशा है और मैं निवेदन कर रहा हूं कि कौन गलत है और कौन सही है इस बात का निर्णय करने वाले केवल आप ही नहीं हैं। इसलिए आप व्यवस्था बनाये रखें, इस बात की मैं आपसे अपील करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनका व्यवस्था में कभी विश्वास नहीं रहा, न व्यवस्था को आयन्दा बनाये रखने की प्रक्रिया ये अपनायेंगे। इनका काम यह है, देश में किस प्रकार से तोड़–फोड़ की जाय। इनका काम है, इस देश की व्यवस्था को किस प्रकार से बिगाड़ा जाय। आपको सुन कर ताज्जुब होगा, आपात् स्थिति कायम होने के बाद दिल्ली में, जयपुर में, जहां मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ने सभी प्रकार के कारखानों पर कब्जा कर रखा था, उस समय और उसके बाद कितनी क्राइम रिपोर्ट रही। जयपुर शहर में इस स्थिति को देखें तो पहले सौ पर्सेन्ट क्राइम रिपोर्ट थी, वहां आज वन पर्सेन्ट क्राइम रिपोर्ट नहीं है। उस समय मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के साथी रात दिन किसी प्रकार से झगड़े कराते थे, रात दिन किसी प्रकार से मारपीट मजदूरों के बीच में जाकर कराते थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

होता था, जिसकी वजह से आम गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से आम गरीब आदमी का रास्ते चलना मुश्किल हो गया था। उस सबके पीछे एक ही जड़ है जिसने सारी व्यवस्थाओं को गड़बड़ करने की कोशिश की। इस देश में दो ही प्रतिक्रियावादी पार्टी हैं, एक अति उग्र वामपंथी पार्टी, जो देश की स्थिति को बिगाड़ना चाहती है, एक अति उग्र दक्षिणपंथी पार्टी, दक्षिणपंथी कार्यक्रम में विश्वास रखने वाली पार्टी, जिसने देश की व्यवस्था को बिगाड़ने का पिछले कई वर्षों से काम किया है। निश्चित तौर से उस प्रकार के काम नहीं किये जाते तो आज हिन्दुस्तान जिस स्थिति से गुजर रहा है, उस स्थिति के बाहर चल रहा होता और इस देश की आर्थिक स्थिति बहुत आगे बढ़ी होती। लेकिन इसका कारण है कि उन्होंने हमारे किसी कार्यक्रम को सम्पादित नहीं होने दिया, उसमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। अभी महारावल साहब कह रहे थे, सत्ताइस साल में यह इकानामिक हालत तब्दील हुई। यहां गरीबी कैसे मिटे, इसके बारे में मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य बोल रहे थे, जिनको मालूम नहीं है, जो बेयर सब्सिस्टेन्स लेवल, जो आर्थिक गरीबी के ऊपर का लेवल है उसका कितना प्रतिशत हिन्दुस्तान में है। कभी 67 प्रतिशत बताते हैं, कभी अस्सी प्रतिशत बताते हैं। आपको इसकी जानकारी नहीं है लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए प्रयत्न करते हैं, जालसाजी करते हैं, किसी तरह से लोगों को भड़काने की बात करते हैं। इनका काम हमेशा लोगों को भड़काने का रहा है, लोगों की जिन्दगी को अव्यवस्थित करने का रहा है, दंगा-फसाद करने का रहा है, गड़बड़ी पैदा करने का रहा है। देश की व्यवस्था किस तरह की हो जिससे देश आगे न बढ़ सके–यह मकसद है। इसी मकसद पे इस देश में इन्होंने आज तक कामकाज किया है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले सत्ताइस वर्ष में जो काम कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने इस देश को आगे बढ़ाने का निश्चित तौर से कार्यक्रम किया है। मगर इस देश की व्यवस्था है, इस देश की मान्यतायें हैं उनमें इस देश में जो इस प्रकार के लोग थे इन्होंने पग पग पर हमारे कार्यक्रमों में रोड़े अटका कर उनको ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट न होने देने के लिए बराबर प्रयत्न किया, बराबर प्रयत्नशील रहे। आज दुहाई देते हैं डेमोक्रेसी की। आप कहते हैं, हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। आज एक दल, एक नेता, और एकतंत्र की बात बनाने की बात आप कर रहे हैं, जब कि हमने इस असेम्बली को बुलाया है, असेम्बली को इसलिए बुलाया है कि हम आपकी राय जानना चाहते हैं, जो आपात स्थिति की घोषणा की है और जिसे पार्लियामेन्ट ने एक राय स्वीकार कर लिया है यह आपके सामने इसलिए रखा है कि इसे आप स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, या इसके सम्बन्ध में आपका विरोध है। आपात् स्थिति की घोषणा के बाद आम आदमी ने जिस प्रकार राहत की सांस ली है–वह आपसे छिपी हुई नहीं है। माननीय सदस्य, आप जानते हैं, आप गांव गांव में घर घर जाकर देखिये, आपात् स्थिति के बाद जो आपके साथी थे, बड़े बड़े पूंजीपति थे, जिनका सहयोग लेकर आपका दल अपनी संस्थायें चला रहा था,

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

उन्होंने लाखों–करोड़ों रुपये का धन, लाखों–करोड़ों रुपये का उत्पादन तिजोरियों में बन्द कर रखा था, उनको मजदूर आन्दोलन के नाम पर आपने संरक्षण दे रखा था, उनके कार्यक्रम को आप छिपाना चाहते थे, उनकी जो सरगरमियां थीं, आपके कारण उन्होंने आज तक गरीबों का शोषण किया, उसके ऊपर पर्दा डालना चाहते थे। लेकिन किन किन संस्थाओं से लाभान्वित होते हैं–यह छिपा हुआ नहीं है। इस प्रकार की संस्थाओं ने उग्र वामपंथी का जामा पहन कर इस हिन्दुस्तान की व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की है-यह छिपा हुआ नहीं है। यह सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में आपात् स्थिति की घोषणा के बाद जिस प्रकार का परिवर्तन आया है, वह परिवर्तन काबिले प्रशंसा है। आपात स्थिति के बाद में जिस प्रकार से कीमतें घटी हैं, आज से पहले जो चीजें उपलब्ध नहीं हो रही थीं, जो चीजें लोगों ने गोदामों में छिपा रखी थीं और जिनके आम आदमी को दर्शन नहीं हो रहे थे, उस प्रकार की चीजें लोगों को वाजिब कीमतों पर हिन्दुस्तान के अलग अलग स्थानों के अन्दर मिलने लगी हैं। इसी तरह से आपात् स्थिति के पहले जिस प्रकार की गुण्डागिरी थी, जिस प्रकार की बदमाशी होती थीं, आम रास्ते पर चलते हुए देख लीजिये, किसी बहिन–बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, आज उन बदमाशों को अन्दर बन्द कर दिया, उनको संरक्षण देने वाली राजनैतिक पार्टी के लोगों को अन्दर बन्द कर दिया, तो उन बदमाशों की खुराफातें बन्द होने के कारण काइम हिन्दुस्तान में बिलकुल बिलो लेवल चला गया है, उसकी संख्या नगण्य हो गई है। इस प्रकार का परिवर्तन देश के अन्दर आया है आज कर्मचारियों में किस प्रकार की भावनायें पैदा हुई हैं। आप कहते हैं कि आपात् स्थिति में कर्मचारियों का गला घोट दिया है, मजदूरों का गला घोट दिया है। आपात स्थिति का स्वागत मजदूरों ने किया है। मजदूरों ने यह आम घोषणा की है कि हम इस आपात् स्थिति में ज्यादा प्रोडक्शन करके इस देश को आत्म-निर्भर बनने के रास्ते पर तेजी से ले जायेंगे। इस देश के कर्मचारियों ने शपथ खाई है, उन्होंने यह घोषणा की है कि ईमानदारी के साथ इस देश के कार्यक्रम को आगे चलाने में, देश को मजबूत बनाने में अपनी शक्ति लगायेंगे। आज कितना परिवर्तन आया है, हमारे अधिकारियों के अन्दर, कर्मचारियों के अन्दर, हमारे कारखानों में काम करने वाले लोगों के अन्दर। यह परिवर्तन आया है, यह आपात् स्थिति का नमूना है, जिसकी आप आलोचना करते हैं। आप यह जो बात करते हैं इसके पीछे पॉलिटिक्स को घुसेड़ने की बात करते हैं। मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य कहने लगे, आपात् स्थिति, इन्दिरा गांधी के खिलाफ फैसला हो गया, इसलिए लागू की है। अरे वाह वाह! आपके दिमाग की जितनी तारीफ की जाय उतनी कम है। आपात् स्थिति इसलिए कायम नहीं की गई है। उसके पीछे कारण है, आपका षडयंत्र और चीन का षडयंत्र है, जिसकी वजह से आपात् स्थिति कायम की गई है। आप उस स्थिति को कायम रखना चाहते हैं, इस देश के साथ गद्दारी करके इस देश को रसातल में पहुंचाना चाहते हैं। आपके इस षडयंत्र को मिटाने के

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

लिए हमने आपात स्थिति को कायम किया है, जिससे जो देश के अन्दरूनी दुश्मन हैं, जो गद्दार देश में रह रहे थे, जिन्होने गद्दारी करके, खुराफात करके इस देश को डिस्मेन्टल, टुकड़े–टुकड़े करने की हालत पैदा की है, उनसे लड़ने के लिए, उनसे बचने के लिए और उनकी खुराफातों को खत्म करने के लिए इस देश की जो प्रोग्रेसिव पार्टीज हैं उनका सहयोग लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है ताकि देश के अन्दर गद्दार समाप्त हों। हमारी प्रजातंत्र की व्यवस्था को और तरीके को आगे बढ़ाने की भावना है–वह मजबूत बने और यह देश ताकतवर बने–इन भावनाओं के साथ काम कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इन्दिरा गांधी के खिलाफ बारह तारीख को फैसला हो गया। उसके बाद में जो जज साहब ने उस फैसले को बीस दिन के लिए स्थगित किया उसका पालन मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं वह नहीं करते हैं। वह जबर्दस्त तरीके से यह बात कहते हैं कि इन्दिरा गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वे यह जरूरी नहीं मानते कि जो जज साहब ने कहा कि बीस दिन तक अमल नहीं हो। शायद वह यह बात भूल गये। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में गये और अपील प्रस्तुत की। वहां जज साहब ने फैसला किया कि इन्दिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का काम कर सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर का काम करने से नहीं रोक सकते, इसमें कानूनी बाधा नहीं है। यह बात मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं समझते, लेकिन इस्तीफा देने की बात जोर से कहते हैं, इस्तीफा नहीं देती हैं तो डेमोक्रेसी समाप्त हो जायगी, इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। मुझे ताज्जुब होता है, आपके दिमाग पर, आप उन सब बातों की ठीक प्रकार से स्टडी नहीं करते हैं, आप मनमानी बात कह कर अपनी बात जोर जबर्दस्ती के साथ जनता के ऊपर थोपना चाहते हैं। इस बात को जनता के ऊपर नहीं थोप सकते। इस देश की जनता बहुत समझती है, बहुत जानती है। इस देश की जनता ने सदैव संकट की घड़ी में देश को सही रास्ता दिया है, सही प्रकार से उन्होंने गाइड किया है, जो भी कदम हमने उठाए हैं, उनका समर्थन किया है।

इसलिए, उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपात् स्थिति यहां पर कायम की गई है और उसके बाद में जो संसद में संशोधन प्रस्तुत किया उसके पीछे कोई कारण है। आपने देखा होगा कि जो हमने प्रोग्रेसिव स्टेप्स उठाए हैं, बैंक राष्ट्रीयकरण किया, इन राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्सेज और विशेषाधिकार समाप्त किए, इनसे हम इन्कार नहीं करते, हर एक आदमी कहता है कि यह अच्छा कदम है जिससे आम आदमी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, मगर प्रतिक्रियावादी शक्तियां काफी मौजूद हैं, पैसे वाले लोग सामंत राजा महाराजा हैं जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक इस देश की जनता का शोषण किया है, वे लोग आज भी उस शोषण को समाप्त नहीं होने देना चाहते हैं। जब इस प्रकार की प्रक्रिया यहां पर अपनाने की कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमारी व्यवस्थाओं में गड़बड़ करने की बात की, इसका नतीजा यह हुआ कि दो साल तक हमें इंतजार करना पड़ा। जब तक संसद में दो तिहाई बहुमत हमें जनता ने नहीं दिया तब तक उन

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

व्यवस्थाओं को हम लागू नहीं कर सके। इस प्रकार के आर्थिक प्रश्न लागू नहीं कर सके जिनके द्वारा हम जनता की गरीबी दूर करने का प्रयास कर सकते थे, इन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की वजह से देश की व्यवस्था को कमजोर होना पड़ा और आज वही प्रश्न हमारे सामने है। आपात् स्थिति के बाद में जो 21 सूत्री कार्यक्रम देश में लागू किया है, कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर इन सारी व्यवस्थाओं को चुनौती दे सकता है, रोक सकता है और फिर 4–5 वर्ष तक हमें इन कार्यक्रमों को स्थगित करना पड़ेगा। इस प्रकार की व्यवस्थायें जिस देश में हों वहां इस प्रकार के हालात कैसे सुधर सकते हैं? हमारा मखौल तो उड़ाते हैं कि आपने 1971 में नारा दिया गरीबी मिटाने का, आपने 1972 के चुनाव में नारा दिया, मगर आपने हमारा सहयोग क्या किया? विरोधी दलों ने किन कार्यक्रमों को, जो सरकार ने अपने हाथ में लिए हैं, सफल बनाने में सहयोग दिया? क्या उनका यही कर्त्तव्य है कि जो भी कार्यक्रम सरकार अपनाए, उसका वे विरोध करें? जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं उनमें विरोधी दलों का कन्सट्रक्टिव एप्रोच होता है मगर हमारे देश में विरोधी दल वाले वास्तविकता के साथ न चल कर, बाहर के आकाओं से चलकर देश की व्यवस्थाओं को बिगाड़ने में लगे हुए थे, ऐसी संस्थायें, जिन्होंने इन व्यवस्थाओं को बिगाड़ने की कोशिश की, वे छिपी हुई नहीं हैं। किस प्रकार जो पूंजीवादी देश हैं वे अपनी व्यवस्थाओं को दूसरे देशों में फैलाना चाहते हैं, उन देशों में कैसी व्यवस्थायें रही हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अपना स्फीयर आफ इन्फ्लूएन्स ज्यादा फैलाने के लिए किस प्रकार से काम किया है, यह छिपा हुआ नहीं है–चाहे दक्षिण अमरीका हो चाहे साउथ ईस्ट एशिया। आज हमारे देश में भी उसी प्रकार के लोग देश की व्यवस्थाओं को अपने काबू में करने के लिए पूरे तरीके से प्रयत्नशील हैं। चाहे वियतनाम हो, चाहे कोरिया हो, वहां किस तरह से उन देशों के लोगों को आपस में लड़ाकर वहां के लोगों को गुलाम बनाकर सारी अर्थ व्यवस्था अपने कब्जे में करने का प्रयत्न किया है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से चिली में अपने पैसे का प्रयोग करके अव्यवस्था फैलाई उसी प्रकार से हमारे देश में वे करना चाहते थे।

आपको याद होगा जब इस देश में रेलवे हड़ताल की गई थी उसके पीछे किस प्रकार का षड्यंत्र था? सारे देश में आवागमन को समाप्त करके, लोगों को जो रोटी रोजी पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता था, सारे प्रयत्न को विफल करके देश की व्यवस्था को बिगाड़ दिया जाए जिससे सारा प्रशासन ठप्प हो जाए, जनता को भूख मारे, वह सरकार के खिलाफ बगावत कर दें। उसके बाद आपने देखा कि एक के बाद एक कारखाने मे हड़ताल, स्कूलों में हड़ताल, कालेजों में हड़ताल, सब प्रकार की व्यवस्थाओं को बिगाड़ने में जिस प्रकार का सहयोग दिया है, वह छिपा हुआ नहीं है। ऐसी हालत में हम चाहें कि देश की प्रगति हो, गरीबी मिटे, व्यवस्थायें ठीक हों, प्रशासन ठीक प्रकार से काम करे, यह कैसे हो सकता है? माननीय सदस्य एक हाथ में तलवार रखते हैं गर्दन काटने के लिए और दूसरे

(श्री गिरधारी लाल व्यास)
हाथ से कहते हैं कि आगे बढ़ो, इस पर आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आपका कन्स्ट्रक्टिव एप्रोच होना चाहिए तब जाकर लोकतांत्रिक व्यवस्थायें मजबूत होंगी। इसलिए जो प्रावधान इस संशोधन द्वारा यहां पर प्रस्तुत किया गया है और कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आपात स्थिति के सम्बन्ध में कोई आदमी प्रार्थी होकर इन व्यवस्थाओं को चुनौती देता है तो निश्चित तौर से हमारी व्यवस्थाओं में देरी होती है उससे कार्यक्रम को अपना नहीं सकते इसलिए ऐसी व्यवस्थायें यहां पर की गई हैं।

जो आनन्द मार्गी और आर. एस. एस के लोग हैं जिन्होंने इस देश की व्यवस्थाओं को बिगाड़ने में विदेशों का सहयोग लेकर काम किया है, वह देखने योग्य है। बाद में जब उनकी तलाशियां ली गई तो उनके यहां से हथियार मिले, वर्दियां मिलीं, कागजात मिले और यह बात साफ तौर से साबित हो गई कि कैसे षड़यंत्र हुआ, 29 तारीख के बाद में विघटन शक्तियां तोड़फोड़ करना चाहती थीं? वह सारे हालात आज बिल्कुल आपके सामने हैं। किस प्रकार विदेशों से विरोधी दलों को पैसा मिला है 70-70 हजार डालर जापान की बैंक से मिला। 17 हजार डालर एक अलग बैंक से विरोधी पार्टी की को-आपरेटिव सोसाइटी को मिला है। यह राशि किस खुशी में मिली है, क्या देश की तरक्की के लिए मिली है? इस बारे में काफी जानकारी मिली है कि सोशलिस्ट पार्टी देश को खंडित करने में लगी हुई थी। आनन्द मार्ग के जो नेता हैं उन पर हत्याओं का मुकदमा चल रहा है। उनका अलग अलग थानों द्वारा चैकिंग किया गया तो मालूम पड़ा कि कहीं खोपड़ियां मिलीं, कहीं हथियार मिले और कई चीजें मिलीं। इससे साफ जाहिर होता है कि देश के ऐसे नौजवानों को मौत के घाट उतारा गया जो उनकी व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं रख सकते थे। वे जिस प्रकार से देश के खिलाफ षडयंत्र करना चाहते हैं उस षडयंत्र में वे अपना हिस्सा नहीं देना चाहते, इस कारण से उनकी हत्या की गई। आनन्द मार्ग का जो सबसे बड़ा बाबा है कितने डालर लगाकर ऐसे जाल को फैलाया है, जगह जगह अखबार निकालना, स्कूल्स खोलना, कालेज और होस्टल खोलना, अन्य प्रकार के जितने काम हैं। वे किये हमारी पार्टी देश का शासन चलाती है मगर उसके पास भी इतना पैसा नहीं वह होस्टल चलाए या स्कूल चलाए। मगर कि आर. एस.एस. और आनन्द मार्ग को पता नहीं कहां से पैसा मिलता है, कौनसी एजेन्सी से मिलता है या भगवान आसमान फाड़कर देता है जिससे पैसा टपकता है जिससे इस प्रकार की फासिस्ट प्रवृत्तियां पनपती हैं, उनके संगठन तैयार होते हैं, स्कूलें चलती है, खर्चे दिए जाते हैं और सारे हिन्दुस्तान में लो पेड वर्कर्स के द्वारा देश में बगावत फैला कर देश को क्षति पहुंचायें- इन 27 वर्षों में अगर इस प्रकार का कार्यक्रम देश में नहीं होता और कन्स्ट्रक्टिव तरीके से सरकार का सही मार्ग दर्शन करते तो निश्चित तौर हमने 27 वर्षों में बहुत प्रगति की होती। मगर सब इन्हीं राजनैतिक पार्टियों के कारण है जो जनता के वोट्स द्वारा जीत नहीं सकते क्योंकि जनता का इनमें विश्वास नहीं, उनके कार्यक्रमों में विश्वास नहीं, जिस प्रकार के लोगों को

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

इनके साथ में रखा है. जनता का विश्वास नहीं इसलिए 1971 व 1972 के चुनावों मे इन्होंने बुरी तरह से हार खाई है। मगर उसके बाद में, उपाध्यक्ष महोदय, जब उन्होंने देखा कि हम इस तरीके से तो जीत कर आ नहीं सकते तो उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था देश में फैलानी चाही, ऐसी गड़-बड़ियां देश में करवानी शुरू कर दी कि जिससे यहां अव्यवस्था फैल जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इस सारी अव्यवस्था के पीछे हमारे देश के बहुत ही कम लाग हैं जिन्होंने विदेशों से पैसा लेकर यहां पर जो विकास के कार्यक्रम हो रहे थे, जो प्रोग्रेसिव मेजर्स हमारी सरकार ले रही थी, उन्हें दबाना चाहा इन लोगों ने, हमारे देश में जो प्रजा-तान्त्रिक ढंग से सरकार चल रही थी उसे समाप्त करना चाहा। उन्होंने कोशिश की कि हमारे यहां पर जो प्रजातन्त्र है उसे समाप्त कर दिया जाय। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की अधिकांश जनता गरीब है और उस अधिकांश वर्ग ने कांग्रेसी सरकार का जबरदस्त समर्थन किया। उन्हने हमारी पार्टी की नीतियों का समर्थन किया क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है, अगर गरीब लोगों की प्रगति कोई कर सकता है तो वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी की समाजवादी नीतियों से कर सकते हैं, और समाजवादी कार्यक्रमों से ही वह आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ समाजवादी कार्यक्रमों से ही उनकी स्थिति मजबूत हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, अब देश की जनता यह जान गयी है कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो सिर्फ समाजवादी कार्यक्रमों के अमल होने से ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इसीलिये तो जब उन्हें यह पता लग गया कि एमरजेन्सी लगने से लोगों को कितनी राहत मिली है। तभी तो जैसा हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि हिन्दुस्तान की जनता ने यह खुश होकर कहा कि यह स्थिति तो हमारे प्रधान मन्त्री को बहुत पहले ही लागू कर देनी चाहिये थी। अगर यह आपात् स्थिति पहले ही लागू कर दी जाती तो यह इतनी सारी खुराफातें जो हमारे देश में हुई हैं जिससे कि हमारा देश बर्बाद हो रहा था वह नहीं होता और हमारे देश का विकास होता। अगर पहले ही अंकुश लगा दिया जाता तो...

श्री जिधिंग : जबरदस्ती कहला रहे हो।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, प्लीज।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश को ऊपर उठाने के लिये व गरीब जनता के स्तर को ऊपर उठाने के लिये जो व्यवस्था हमारे प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने की वह काबिले तारीफ है। उन्होंने ऐसे कदम उठाये हैं वह स्वागत योग्य हैं। और मेरी तो यह निश्चित मान्यता है कि इस देश में प्रजातान्त्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिये हमारे प्रधान मन्त्रीजी ने जो कदम उठाये हैं वह सही हैं। अभी जब मोहरसिंह जी बोल रहे थे तो अखबार वालों की तारीफ कर रहे थे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह सिर्फ उन दो तीन अखबार वालों की तारीफ करते हैं जिनके कि मालिक बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं। जैसे इन्डियन एक्सप्रेस जिसका कि मालिक सेठ गोइनका, हिन्दुस्तान टाइम्स का सेठ बिरला

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

है और टाइम्स ग्राफ इन्डिया का मालिक सेठ शाहू जैन है।

श्री मोहरसिंह : यह तो सभी ग्रापके साथ हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : जिनको बिरला जैसे और गोइनका जैसे सेठ पालते हों आप उनकी तारीफ करते हैं। मोहरसिंह जी साहब आप उनकी बड़ी बड़ी तारीफ करते हो क्योंकि ग्रापको इन बड़े बड़े सेठों से पैसा मिल रहा है जो कि अखबार चलाते हैं। इन बड़े बड़े सेठों जिनमें कि बिरला है जो कि यहां पर नेशनल बॉल बैलरिंग फैक्ट्री के मालिक हैं और ग्रापको वहां से पैसे वगैरह की इमदाद मिलती है। ग्राज यह बड़े बड़े सेठ अपने ग्रापको प्रोग्रेसिव बताते हैं, अपने ग्रापको प्रोग्रेसिव, अपने ग्रापको लेफटिस्ट वताते हैं, अपने ग्रापको ग्रति उग्रवादी कहते हैं। यह लोगों में ऐसी बातें करते हैं कि हम सभी को बराबर लाना चाहते हैं। ग्राज यही बिरला ऐसे लोगों को पनपा रहा है और इसी का यह नतीजा है कि आप जैसे लोग मगर-मच्छ के ग्रांसू यहां पर बहा रहे हो। यह ग्रांसू नहीं हैं। ग्राप ऐसे लोगों का साथ दे रहे हो जिसमें भारतीय लोक दल, भारतीय जनसंघ और समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो अपने ग्रापको प्रोग्रेसिव कहते हैं पर प्रोग्रेसिव है नहीं। मैं तो यह कहूंगा कि यह समाजवादी पार्टी तो जनसंघ से भी गयी बीती है। यह, उपाध्यक्ष महोदय, कभी तो जनसंघ के साथ होती है, कभी यह स्वतन्त्र पार्टी के साथ हो जाती है और कभी किसी राजनैतिक पार्टी के साथ हो जाती है और कभी किसी राजनैतिक पार्टी के साथ हो जाती है। यह लोग देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि जिस प्रकार ताश के अन्दर जोकर होता है उसी तरह का रोल यह समाजवादी पार्टी ग्राज राजनीति में ग्रदा कर रही है। यह देश की व्यवस्था को बिगाड़ने में साथ दे रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन पार्टियों का उद्देश्य देश में इस प्रकार की उथल-पुथल पैदा करना था, इस प्रकार की हत्यायें और ग्रागजनी करवाना था कि जिससे देश में स्थिति बिगड़े और यह लोग सत्ता हथिया लें। यह लोग देश की गरीब जनता पर जुल्म ढोना चाहते थे। लेकिन मैं ग्रापसे कह देना चाहता हूं महारावल साहब, कि इस देश की जनता, जो कि गरीब तबका है वह हमारे साथ हमेशा से ही है और देश का गरीब तबका ही राज कर रहा है। इसी गरीब तबके ने इतने सालों तक राज्य किया है और भविष्य में भी इस देश की हकूमत इस गरीब वर्ग के हाथों में ही रहेगी। बस इतना ही कह कर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और ग्रापसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शान्तिलाल कोठारी।

श्री शान्तिलाल कोठारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राज हमारे सामने सदन में संविधान (उन्तालीसवां) (संशोधन) विधेयक 1975, जो कि संसद द्वारा पारित हो चुका है, का अनुमोदन करने के लिये जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन मैं करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री शांति लाल कोठारी)

इसके बारे में हमारे यहां पर काफी कुछ बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। देश में जो ग्रापात् स्थिति घोषित की गयी है वह कोई गलत नहीं है। देश में ग्रापात् स्थिति घोषित करने के बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापात् स्थिति घोषित करने के लिए संविधान में प्रॉविजन्स हैं। मैं ग्रापको जो प्रिवी कोन्सिल में डिस्कस हुग्रा उसको पढ़ कर सुनाता हूं:–

"A state of emergency is something that does not permit of any exact definition. It connotes a state of matters calling for drastic action which is to be judged as such by someone. It is more than obvious that someone must be the Governor General and he alone. Any other view would render utterly inept the whole provision. Emergency demands immediate action and that action is prescribed to be taken by the Governor General. It is he alone who can promulgate the ordinance."

यह मैंने ग्रापके सामने पढ़ कर इसलिए सुनाया कि यह ग्रापात् स्थिति घोषित करने का जो एक्शन लिया है वह बेबुनियादी नहीं है। वह कॉन्स्टीट्यूशन के ग्राधार पर लिया है। यह संविधान की धारा के ग्राधार पर लिया है। ग्रौर जैसा कि हमारी प्रधान मन्त्री ने कहा कि यह हमने ग्रनप्लेजेन्ट डिसीजन लिया है ग्रौर यह कहा कि यह ग्रनप्लेजेन्ट डिसीजन हमने राष्ट्र को बचाने के लिए लिया है, राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए, राष्ट्र को ऊंचा रखने के लिए हमने यह ग्रनप्लेजेन्ट डिसीजन लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में एक यह ही निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1950-1951 ग्रौर सन् 1952 में जब कि दुनियां के दो तिहाई देश, जिसमें ग्रमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, जापान वगैरह कई देश थे जिनमें मेकार्थिज्म की धारणा चल रही थी, जिमें ऐसी स्थिति पैदा हो गयी थी कि जिसमें एलबर्ट ग्राइंस्टीन जैसे ग्रच्छे ग्रादमियों को भी लपेटे जिनमें ले लिया था। ऐसी परिस्थितियों में भी हमारे देश के ग्रन्दर, जहां जनता गरीब है, जिस देश की जनता कम पढ़ी-लिखी थी वहां पर पहला इलेक्शन हुग्रा। जहां दुनिया में डेमोक्रेसी समाप्त हो रही थी वहां यहां पर हमने डेमोक्रेसी को कायम रखा ग्रौर यहां पर इलेक्शन करवाये। जहां दूसरे देशों में डेमोक्रेसी कई सालों से थी ग्रौर जिस गरीब देश में डेमोक्रेसी का नाम तक नहीं था वहां पर डेमोक्रेसी के नाम पर कोई ग्रत्याचार नहीं किया गया ग्रौर हमारे देश के प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेन्ट ने हमारे देश में पहले चुनाव कराये। हमने चुनावों के बारे में सोचा, हमने चुनावों का क्या सोचा हमने सोचा था कि हम एक ग्राथिक क्रान्ति के जरिये कॉन्स्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी लायेंगे, ग्रौर ग्राज भी यही कर रहे हैं। 50, 51, 52 में, उस वक्त यह कहा हमने। उन जगहों पर जहां कि कभी कोई नीति नहीं थी, हमने यह कहा कि हर एक को ग्रपने विचार रखने का, कहने का ग्रधिकार है, चाहे वह ग्रपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो। उस वक्त का चित्र हमें ग्रपने सामने रखना है। 50, 51, और 52 – हमने उस वक्त कॉन्स्टीयूशन एडॉप्ट किया उस समय दुनियां

(श्री शांति लाल कोठारी)

भर में क्या हो रहा था? यहां पर इतनी लड़ाई हुई। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व के नीचे हम इसका प्रयोग कर रहे हैं कि पोलिटिकल स्वतन्त्रता हो, पोलिटिकल प्रदर्शन हों। 1950 में जब कॉन्स्टीयूशन एडॉप्ट कर रहे थे, उस समय उस पर जनता की राय मांगी, उस समय एक राजनीतिज्ञ ने कहा, उनका सजेशन था कि आर्टिकल 188 है, it should be replaced by another article which he proposed and it read like this. Please listen very carefully:—

"If public safety and order be seriously disturbed..."

This is the suggestion—

"...in any part of the Republic and the Government of the State concerned fails to restore public order, the President of the Federation may restore public safety and order..."

mark the next points:—

"...with the help of armed forces. Under such circumstances all authorities of the State concerned shall assist and obey the instructions of the executive authority of the Federation and his duly authorised agents in the restoration of public order."

This was the suggestion. The other was-and it is much more important-by the same person :—

"If public safety and order be seriously disturbed the executive authority of the Federation may also suspend the provisions of the Constitution concerning freedom of speech, freedom of association and assembly inviolability of persons and home and correspondence in the manner and extent determined by the Federal law."

And who do you think was the persen who made this suggestion. No other than Mr. Jaya Prakash Narayan. It was his suggestion that armed forces should be used and all rights should be suspended, and so on. और आपको सुनकर हैरानी होगी कि यह सजेशन श्री जयप्रकाश नारायण का था।

जब हमने जनता की राय मांगी, यह कॉन्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली की डिबेट में है, तो उन्होंने यहां तक कहा कि पब्लिक सेफ्टी और ऑर्डर कहीं भी डिस्टर्ब होता है तो इसको इस प्रकार से कर्ब करना चाहिये। डा. अम्बेडकर को यह कहा कि इतना सॉफ्ट क्यों रखते हो। यह पोलिटिकल डेमोक्रेसी आप दे रहे हैं तो सब होने वाला है। कॉन्स्टीट्युएन्ट असेम्बली की डिबेट हमारे सामने है। कितना स्ट्रांग और यह कितना शार्प है। उन्होंने माना है। श्री जयप्रकाश नारायण को मैंने उन्हीं के शब्दों में कोट किया है।

दूसरी बात, हमारे साथी को खूब अच्छी तरह से समझाया था। माननीय रामानन्द जी ने बताया, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय ने भी बताया। इतना करेक्शन

(श्री शांति लाल कोठारी)

करना चाहता हूं। जनता काम्प्लेसेन्ट नहीं है, कांग्रेस को कान्फिडेन्स है। कहीं सन्देह नहीं है। हमको यह विश्वास है और हम जानते हैं कि जनता क्या चाहती है। लेकिन भारी गलतियां हुई हैं। इकोनोमिक प्रोग्राम लाये, प्रिवि पर्सेज पर लाये, सीलिंग पर लाये लेकिन कोर्ट पहले है और, उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है जनता के प्रतिनिधि होकर, जनता के काम करने के प्रोग्राम हाथ में लिये, लेकिन पुराने वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग थे राजा महाराजा, उन्होंने और दूसरे लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया, जुडिशियरी का जो प्रोसिजर है उसने आर्थिक क्रांति को रोकने का प्रयास किया, कोशिश की। 1976 में देश में आधे से ज्यादा असेम्बलीज में हमारे कांग्रेस के मेम्बर नहीं थे शासन में। 1975 में गुजरात का इलेक्शन हुआ। इतना होने के बाद में भी हमने कुछ नहीं किया। अब भी अपार्चुनिटी देते हैं वे समझें। देश को बढ़ाना है तो सब को मिलकर बढ़ाना है। राष्ट्र को आगे बढाना है सब को मिल कर बढाना है। लेकिन यहां तक स्थिति पहुंच गयी, मैंने देखा है कि गुजरात में इतना मुश्किल हो गया था कि कहीं पर भी बात करें इलेक्शन के बारे में, तो वे कहते थे कि अरे भाई क्यों बात कर रहे हो, कोई पडोस में सुन न ले, पुलिस या थानेदार। दूसरे लोग कहते थे कि कांग्रेस के खिलाफ हैं लोग। मैंने गुजरात के राजनैतिक कल्चर में ऐसा वातावरण नहीं देखा। प्रधान मंत्री गयीं, ऊंजा में वातावरण देखा। पत्थर पड़े थे। जब उन्होंने देखा कि 1967, 1970 में हम अपना आर्थिक प्रोग्राम पूरा नहीं कर सके हैं, कांग्रेस पार्टी का ओपरेशन करने की आवश्यकता हो तो वह किया जाय और नेशनल फोर्सेज को आगे लाया जाय, उन्होंने बंगलोर सेशन के बाद पोलिटिकल नोट, इकोनोमिक नोट दिया और कहा कि इसको इम्पलीमेंट करना है। हमने देखा है कांग्रेस पार्टी में कौन क्या करके बैठे हैं? कौन दोस्त हैं? उसके लिए आपको मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय, कितना बड़ा भारी रिस्क लिया प्रधान मंत्री ने। मैं यह नहीं कहता कि एक इन्सान ने किया। कांग्रेस मैन की शक्ति से हुआ। सब ने मिल कर प्रधान मंत्री को बल दिया और कहा कि कान्स्टिट्युशनल प्रोविजन है और इसके लिए कानून लाया जाय। इस वक्त इमरजेन्सी है, जिसकी घोषणा की। आज भी असेम्बली वगैरह के बारे में कहा, विधान सभा के बारे में कहा, पार्लियामेंट के बारे में कहा, जब भी अच्छे आदमी आवेंगे, उनका घेराव हो रहा है। क्या यही पोलिटिकल डेमोक्रेसी है? हम कॉन्स्टिट्युशनल डेमोक्रेसी चाहते हैं। चाहे कोर्ट से हो या कैसे ही हो। हमने फैसला किया। और साथियों को यह मालूम होना चाहिये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किस पर आवेगी? इस फैसले का जो आर्थिक नकशा है वह हमारे सामने है। जो प्रधान मंत्री ने 21 सूत्री कार्यक्रम दिया है, इसकी जिम्मेदारी किस पर है? आप पर तो है नहीं। यह जिम्मेदारी कांग्रेस निभा रही है। कांग्रेस के एम. पी. हैं, कांग्रेस के मेम्बर हैं उन पर है। अगर यह सफल नहीं हुआ तो हमको जनता माफ करने वाली नहीं है। आज प्रधान मंत्री का यह बिलकुल निश्चित मत है कि अब कांग्रेस के अन्दर बैठकर कुछ फैसला कर लें, भ्रष्टाचार को किसी प्रकार खत्म करें और हमारा एक आर्थिक कार्यक्रम आये। जो रोड़े थे उनको एक एक को

(श्री शांति लाल कोठारी)

निकाल कर अलग करना पड़ा पोलिटिकली और अब इकोनोमिकली यह कह रहे हैं। हमारे सदन के नेता मुख्य मंत्री महोदय ने बताया कि यहां पर हम यह सब करने के लिए कटिबद्ध हैं। इसमें दोनों इन्वाल्व हैं, एक तो कांग्रेस पार्टी और एक कांग्रेस दल है, दूसरा प्रशासनिक दल। हम यह सोचकर बैठ जायं कि क्योंकि एमरजेन्सी पास कर ली है और पास करके हम सो जायें-मैं मानता हूं यह कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा फ्राड होगा, प्रधान मंत्री का बहुत बड़ा फ्राड होगा। लेकिन यह नहीं है, न होगा और न हम होने देंगे।

यह हमारा आत्म विश्वास है, जो मंत्री बनते हैं, जो एम. पी. बनते हैं और जो एम. एल. ए. बनते हैं उन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। अगर जरा गौर से देखें तो हमको सोचना होगा कि आने वाले चेप्टर में हमको क्या लिखना है। इस सबके लिए हमने कान्स्टीट्यूशनली सहारा लिया और मैं इतना आखिर में कहना चाहता हूं जो जिम्मेदारी आयेगी वह हम पर है। हम स्मगलर को छिपा नहीं सकते हैं, हम स्मगलर के साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, हम स्मगलर के घर पर जाकर बैठ सकते हैं....

श्री केसरीमल (ब्यावर) : सब आपके साथ हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : आप निकाल नहीं सकते हैं न ?

श्री शान्तिलाल कोठारी : 1970 में अगर कांग्रेस पार्टी सात सूबेदारों को निकाल सकती है, कांग्रेस पार्टी ने संजीव रेड्डी को निकाला, कांग्रेस पार्टी ने कामराज को निकाला, कांग्रेस पार्टी ने एस. के. पाटिल को निकाला, जब इनको निकाल सकती है तो हम तो मामूली आदमी हैं। बड़े बड़े मुसद्दियों को निकाला है, यह कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस पार्टी ने सोचा था कि एमरजेन्सी, डवलपमेंट और डिसिप्लिन, इस तरह हम बढ़ेंगे। आखिर हमें डिसिप्लिन को पहले लेना पड़ा और उसके बाद डेमोक्रेसी का डवलपमेंट करना चाहते हैं। कान्स्टीट्यूशन में इतना ही तो किया है। डिसिप्लिन लाना है और लाना ही होगा। घर में जहां साधन हैं और प्रशासन है तो उसको तो रखना है। मुझे विश्वास है गवनमेंट इसे जरूर लायेगी। मैं इतना ही कहूंगा-एमरजेन्सी की कोई परिभाषा न कोर्ट करती है और न किसी को कुछ अधिकार है। आज एमरजेन्सी हो जाने के बाद शान्ति है, यही नहीं कि शान्ति है बल्कि डर भी है लेकिन जो हिंसा का वातावरण बना था वह दब गया, जैसे खेती-बाड़ी होती हैं। अगर उसमें पहले बीज न बोये तो बाद में क्या होने वाला है? तो हमको तो आज आर्थिक क्रान्ति के बीज बोने हैं। इस आर्थिक क्रान्ति के दखल में चाहे कोई ही आये, चाहे विरोधी का आदमी आये, चाहे कांग्रेस का आदमी आये। और यह कांग्रेस दल का इतिहास भी रहा है कि वह उसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी बर्दाश्त नहीं करेगी और हमको पूरा विश्वास भी रहा है। थेन्क यू।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठल भाई।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो आपात

(श्री विट्ठल भाई)

कालीन स्थिति का जो प्रस्ताव आया है और हमने कांग्रेस के माननीय सदस्यों से सारी बातें जो सुनीं तो ऐसा मालूम हुआ कि जो भी देश में खराबी आई, जो भी देश में भ्रष्टाचार हुआ या कोई भी आपत्ति आई तो यह विरोधी दलों ने किया है चाहे सोशलिस्ट पार्टी का भी नाम हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी का नाम भी हुआ, जनसंघ का भी आया कि विरोधी पार्टियों ने देश का नाश किया है। उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है विरोधी पार्टी आज देश में छोटी पार्टी हैं लेकिन आपकी कांग्रेस पार्टी तो देश में 27 साल से काम करती आई है और बिगाड भी आपने ही किया है। फिर दोष विरोधियों पर लगाने लगे हैं। पूंजीपतियों को आपने पनपाया है। जो अध्यादेश आज निकाला वह एक साल पहले क्यों नहीं निकाला। हम बराबर कह रहे थे पूंजीपतियों को खत्म करो, गरीबों को अपने साथ लाओ। आज जितना कर रहे है, अफसरों को पकड रहे हैं–औरों को पकड रहे हैं तो इतने दिनों तक कहां सो रहे थे? आज आपात कालीन स्थिति घोषित की है केवल विरोधियों को दबाने के लिए। जो मामूली आदमी हैं उनको जेलों में ठूसा जा रहा है। यह प्रजातन्त्र नहीं कहा जा सकता है, प्रजातन्त्र में बोली को नहीं रोक सकते हैं–बोली हमारी चीज है, जनतन्त्र में बोली को रोका तो यह आपके लिये भी खतरा रहेगा। आप चाहे कितना ही कहें, आज मुख्य मंत्री जी ने कहा है, चाहे गिरधारी लाल जी भार्गव ने कहा···

एक माननीय सदस्य : गिरधारीलाल भार्गव नहीं, गिरधारी लाल जी व्यास।

श्री विट्ठल भाई : व्यास ने कहा हो लेकिन जनतन्त्र में आवाज को दबाया जा रहा है। आज आपात कालीन स्थिति का समर्थन सब कर रहे हैं। आप तो जनता की आवाज को चुप कर रहे हैं, यह जनतन्त्र नहीं है। जनता के नाम पर आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आपने जनता की आवाज को घर घर जाकर नहीं सुना होगा कि वह क्या कह रही है। प्रधान मंत्री ने लोक सभा में कह दिया है या कहीं भाषण में कह दिया है लेकिन जनता में भावना क्या है, जनता की आज आवाज क्या है इसको नहीं सुना है। जो गरीबी एक महीने में मिटा दी वह भी हम देख रहे हैं, जो भष्टाचार मिटा रहे हैं वह भी हम देख रहे हैं कि कितनी वास्तविकता है? इसका सारा दोष विरोधियों पर लादना बिलकुल गलत है। विरोधी देश की आजादी खोने में नहीं हैं–आजादी को बनाये रखने में विरोधी एक मत हैं। पाकिस्तान की लड़ाई हुई उसमें विरोधियां ने आपका डटकर साथ दिया। चाईना की लडाई हुई उसमें भी विरोधियों ने आपका साथ दिया और आजादी की पूरी रक्षा की। विरोघी सब एकमत हैं और यह भी नहीं है कि विरोधी इधर-उधर हुआ होगा, हो सकता है आप लोगों में से कुछ इधर-उधर मिले होंगे। विरोधी पार्टियों ने आपका हमेशा साथ दिया है। आपात् स्थिति में विरोधी सब एक मत है। हमेशा साथ दिया है। और साथ देंगे लेकिन साथ देने का मतलब यह नहीं है कि अभी हाल के लिए जो हवा है कि विरोधियों ने किया है और विरोधियों को दबाओ, विरोधियों को जेलों में ठूंसो। यह तो एक पक्षपात की बात है और इसे बदले की भावना ही समझें।

(श्री विट्ठल भाई)

एक तरफ तो आपातकालीन स्थिति की घोषणा करना और दूसरी तरफ पुलिस को मौका देना। किसी प्रकार की कोई दुश्मनी है तो उसको भी गिरफ्तार करके जेल में भेजना यह फिलहाल चल रहा है और हम देख रहे हैं। यह चीज ठीक नहीं है। आज आपके हाथ में सत्ता है, जनता ने आपको मौका दिया है कि राज करो लेकिन इसलिए नहीं दिया है कि उनके कार्यकर्ताओं को दबावो, उनका बोलना बन्द करो, वे किसी प्रकार की आवाज सरकार के खिलाफ नहीं निकाल सके, क्योंकि विरोधियों पर आप प्रहार कर रहे हैं बल्कि विरोधियों ने तो आपको राय दी है कि भ्रष्ट आचरण वालों को पकड़ो। सरकारी नौकर है, रिलीफ में पैसा खा गये यह हमने बताया है और कहीं भी भ्रष्टाचारी हुई है तो विरोधियों ने आपका साथ दिया है कि उनको पकड़ो – हमेशा विरोधी पक्ष आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ ही रहा है। चाहे पूंजीपतियों को आप लें, कांग्रेस ने ही उनसे चन्दा लिया होगा कभी विरोधियों ने उनसे चन्दा नहीं लिया। अभी सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया किसी सोशलिस्ट पार्टी ने चन्दा नहीं लिया है और अगर लिया हो तो आप बता दें। आपके ही लोग चन्दा लेते हैं। हम तो अपने संगठन के बल पर जीत कर आते हैं, हमारी पार्टी के पास पैसा ही नहीं है। अगर कांग्रेस लाखों रुपया खर्च करके जीतती है तो हम केवल 2–3 हजार रुपये में ही चुनाव में मुश्किल से खर्चा करते हैं और 2–3 हजार रुपये में ही जीतकर आजाते हैं। हमारे साथ तो यह भी नहीं कि बहकाने में ही बोट मिले–जनता हमारा साथ देती और जनता हमको चाहती है।

गुजरात में जनता ने साथ दिया है। आपके पास तो पुलिस भी थी, सत्ता भी थी, आपके कार्यकर्ता भी थे लाखों रुपया आप चुनाव में खर्च भी करते हैं। इसके मुकाबले विरोधियों के पास क्या था। आपको पीट दिया, मार दिया यह सब गलत है। ठीक है, किसी ने कुछ किया होगा और हो सकता है किसी ने पत्थर बाजी भी की होगी। हम नहीं कहते हैं कि नहीं किया लेकिन यह सब आपके लोगों ने झगड़े बाजी करने के लिए ही किया होगा। यह नहीं है कि इसका बहाना लेकर विरोधियों को दबाये। देख रहे हैं आज गरीब, गरीब होता जा रहा है।

आज हरिजनों को आप पैसा दे रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि इतने दिनों से आपने क्यों नहीं दिया? आज 27 साल निकल गये, इतने टाइम तक आपने यह क्यों नहीं किया? हरिजनों को पैसा देकर मकान बनवाते हैं, आदिवासियों को पैसा देकर मकान बनवाते हैं। आज आप उनको आगे लाने की बात करते हैं आप पहले उनको आगे लाते तो हम मानते। आज आप ढोल पीट रहे हैं और आपातकालीन स्थिति में हमने इतना पैसा दे दिया। आज उसको पकड़ लिया। ठीक है हम भी समर्थन करते हैं गलत काम करने वालों को पकड़ना चाहिए लेकिन यह नहीं कि आप समर्थन करवाओ कि सब विरोधियों को ठूंस दो, मार दो और आप चाहें तो मरवा भी सकते हैं क्योंकि आपके हाथ में सत्ता है लेकिन यह चीज अच्छी नहीं है। यह आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकती है। आप साल दो साल निकाल सकते हैं लेकिन यह समय बदलता है और सोचना चाहिए कि

(श्री विट्ठल भाई)
आगे जाकर हमको क्या नतीजा मिलेगा। इसलिए जो आपातकालीन स्थिति का जो प्रस्ताव है उसका मैं विरोध करता हूं और इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द बिश्नोई।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो विधि मंत्री जी ने संकल्प प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। संकल्प का विषय यह है कि यदि राष्ट्रपति महोदय संविधान के अनुसार आपातकालीन स्थिति की घोषणा करें तो उस विषय को या उस निर्णय को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। मेरे से पूर्व वक्ता डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने विरोध होते हुए यह बात ठीक कही कि यह सरकार को अधिकार है कि आपातकालीन स्थिति किसी देश में किसी समय है या नहीं उसका अन्तिम निर्णय वहां की सरकार या जो भी सर्वोच्च सत्ता होती है वही उसका निर्णय कर सकती है। अपने संविधान के अन्दर आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने का राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है और संविधान के अन्दर यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोर्ट्स के अन्दर इसको चुनौती दी जा सके। लेकिन मूल अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि किसी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो सरकार के किसी निर्णय को, किसी कानून को, किसी आदेश को वह अवैधानिक घोषित कर सकता है। तो अपने यहां पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है और न ऐसा प्रावधान है कि इस तरह से कोर्ट्स में चुनौती दी जाये। लेकिन जो हमारा पिछला अनुभव रहा है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, विचारों की स्वतंत्रता का, अदालतों में जाने का यह सिलसिला हमारे देश के अन्दर काफी रहा है और छोटे से छोटे सरकार के काम में भी चाहे वह प्रगतिशील लेजिस्लेशन हो उसको भी लोग अदालतों में ले जाते हैं और अदालतें कई दफा इसमें बाधक भी सिद्ध हुई हैं। हो सकता है कि इस तरह के जब आदेश हों तो उसको अदालतों में ले जायें। अदालतें शायद पूर्ण रूप से उस आदेश को अवैध घोषित नहीं करें लेकिन कुछ अंशों को लेकर ही अपने देश के अन्दर बगावत, उत्पात और इसी तरह की बातें की जा सकती हैं।

पिछले दिनों प्रधान मंत्री जी का फैसला हुआ और उसको लेकर जो स्थिति बनी वह आपके और हमारे दिमागों में ताजा अब भी है। तो इस तरह की सूरत से बचने के लिए यह प्रावधान संविधान में किया जा रहा है। हालांकि यह प्रावधान कभी नहीं था कि अदालतों को इस तरह के मामलों में दखल करने का अधिकार है। संसार के किसी भी देश में इस तरह का अधिकार अदालतों को नहीं है क्योंकि आन्तरिक गडबडियां कितनी हैं और कौन इसको करवा रहा है, किस तरह की एजेन्सीज या किस तरह की शक्तियां इसके पीछे हैं इसकी जानकारी सरकार को ही हो सकती है और किसी अकेले व्यक्ति को यदि अकेले जज को या अदालत के सामने वह सब परिस्थितियां नहीं आ सकती हैं और जनहित में यह भी हो सकता है कि सब मामलों को सामने नहीं रखा जाये। सी. आई. ए.

Page No 43

(४३)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

का कई दफा यहां जिक्र होता है। अप्रत्यक्ष रूप से जिस देश में सी. आई. ए. ने कार्यवाहियां की हैं शायद वह घटना गुजर गयी और उसके बाद ही वह सामने आई है या दस पन्द्रह सालों में अपनी रिपोर्ट के अन्दर उसको स्वीकार जरूर किया है लेकिन आम तौर से पहले उसका जिक्र कहीं नहीं आता। इसी तरह से आन्तरिक गड़बड़ियां हैं, कोई बड़ा आन्दोलन करने की साजिश है तो उसकी जानकारी सरकार को होती है क्योंकि उनकी विशेष एजेन्सी होती है और सरकार को ही मालूम हो सकता है लेकिन जनहित को दृष्टि में रखते हुए अदालतों के सामने रखना जनहित में नहीं है। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह कानून सामने लाया गया है और मैं समझता हूं कि यह जैसा कि माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया कि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा, इसमें विचारों की स्वतंत्रता का हनन होगा इसका दुरुपयोग होगा—मैं समझता हूं कि यह बातें गलत हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं किसी दूसरे देश से सुरक्षात्मक लड़ाई करना यह सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है, अदालत का नहीं है। मान लीजिए किसी देश के विरुद्ध कोई राष्ट्र की सरकार युद्ध की घोषणा करे तो क्या कोई व्यक्ति या संस्था जाकर यह स्टे-आर्डर ला सकती है कि अमुक देश की सेनायें आगे नहीं बढ़ें या युद्ध के संचालन की हद तक ही रहें। यह अदालतों का कभी विषय नहीं रहा है दुनिया में और न यह रहने का है। केवल सावचेती के तौर का यह प्रावधान है और मैं समझता हूं कि जितना इसके विरोध में कहा गया है उसमें कोई तथ्य की बात नहीं है।

फिर यहां यह भी कहा गया कि आपातकालीन स्थिति हमने बिना कारण के लगाई और यह है और वह है। जो आपातकालीन स्थिति के पहले देश की स्थिति थी उससे आप और हम अच्छी तरह से परिचित हैं। सवाल आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का लेकिन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बहुत बड़ी शिकायत है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता जो देश का कानून है उसे उसको नहीं तोड़ना चाहिए। उस परिधि के अन्दर काम करना पड़ता है और दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए—यह हमेशा ध्यान रखने की बात है। आज जो कुछ पहले चलाया जाता था, जो कुछ देश में चल रहा था, किसी भी नागरिक को सिनेमा में जाने का अधिकार है। अकेले जाने का अधिकार है। किसी महिला को, लड़की को अकेले जाने का अधिकार है। जो माईनर बच्चा है उसको अधिकार है कि वह टिकिट के द्वार पर जाये। वहां कुछ लोगों का समूह खड़ा है, अकेला दुकेला विद्यार्थी है तो पांच दस का समूह ऐसा है जो उसको डराता है, धमकाता है, यानि एक नागरिक को स्वेच्छा से, स्वतंत्रतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह जाने का अधिकार है। अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर जा सके, अपना कारोबार कर सके। कई दफा इस तरह की घटनायें होती थीं कि जिनको देखकर दुख होता था। एक देश का नागरिक है, बिल्कुल सीधा साधा है, उसका न कोई गिरोह है, न कोई गुट है, उसका शायद किसी से कोई सम्बन्ध नहीं है कि सीधे सीधे जाकर सिनेमा देखे लेकिन वह भी स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर सकता। एक दो घटनायें मेरे खुद के सामने ऐसी गुजरी कि मेरे मन में बड़ा दुख हुआ।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

एक साल पहले की ही घटना है। एक अट्ठारह बीस साल का लड़का सिनेमा देखने गया उसको पांच सात लोगों ने बुरी तरह से पीटा। उस बेचारे को सिनेमा देखना था, वह खड़ा होकर पिटता रहा। उसको कितनी शर्म आई होगी जब दूसरों ने उसकी पिटाई की। इस तरह के लोगों की आजादी पर पाबन्दी लगा दी तो यह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन् क्या हो गया यह देखने की बात है। एग्जामिनेशन हो तो यह भी घटनायें अखबारों में आती थीं कि छुरा रोप कर जनाब प्रश्न पत्रों के उत्तर दे रहे हैं। जनाब यह प्रश्न पत्र है यह बहुत कठिन है इसलिए हम उठ कर रवाना हो गये। हम अटेंडेंस पूरी करें नहीं। मां-बाप खर्चा वहन करें, बड़ी मुश्किल से पढ़ावें। कोई अफसर होगा, कोई इन्जीनियर होगा कोई डाक्टर होंगे, भूखे पेट रख कर, पेट काट कर पढ़ा रहे हैं और वह जनाब चूंकि स्कूल जावें नहीं और दूसरे कार्यक्रमों में लगे रहें और अटेंडेंट्स पूरी नहीं हो तो हमारी अटेंडेंट्स की पूर्ति कर दो। नम्बर कम आ गये, पेपर बड़ा कठिन है, आप उसके नम्बर बढ़ा दो। थोड़ी सी बात हो गई, घेराव हो गया। मैच खेलना है कुछ लोगों की मर्जी हो तो मैच चलने दें नहीं तो मैच खत्म हो जावे। टिकिट लगाओ तो उसकी पिटाई करदो। असेम्बली से आओ, बाहर जाओ, चाहे अध्यापक हो, चाहे दूसरे वर्ग के लोग हों, चाहे बाबू हों, चाहे डाक्टर हो या प्रोफेसर हों, बड़े बड़े अधिकारी सब इस तमाशे में लगे हुये थे और ऐसा लगता था कि इस देश के अन्दर व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। समय पर हमने तनख्वाह पूरी की पूरी वसूल करली, महंगाई का सूचांक बढ़ गया तो इतना बढ़ा दो लेकिन काम के नाम पर किसी तरह की बात नहीं। आज दुकानों पर सूची लटकी हुई है। प्रस्ताव पास कर रहे हैं कि हम सब ज्यादा मूल्य वसूल नहीं करेंगे, हम कालाबाजारी नहीं करेंगे। हमने पैंतीस पैसे से तीस पैसे कर दिया है। बाबू प्रस्ताव पास कर रहे हैं कि दस बजे से 5 बजे तक काम करेंगे और आज तो साढ़े पांच बजे तक काम कर रहे हैं। ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ है और उसके लिए आप एक तरफ कह रहे हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन् हुआ है। मैं आपको कहता हूं कि जनता ने आजादी देखी है, अब यह आपसे किसी से छिपी नहीं है। आप इधर बैठते हैं, आपको कहने का अधिकार है, आपका कहने का फर्ज है, मैं इधर बैठा हूं, मेरा कहने का कार्य है। मारवाड़ी में एक कहावत है:

"मारवाणी मिलियां पछ,
जाणियां जनम परवाण।"

आजादी का जहां तक मजा देखना है, यह सही बात है कि अब देखा है।

ए वी डाईसी कांस्टीट्यूशनल लॉ में इंग्लैंड की आथोरिटि है, मान्यता प्राप्त अथोरिटि है, उसने फ्रीडम आफ स्पीच लिबर्टी के बारे में कहा है कि आखिर फ्रीडम क्या चीज है:

"Freedom of discussion is then in England little else than the right to say anything which a jury consisting of 12 shopkeepers think it expedient should be said and written."

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

फ्रीडम आफ स्पीच का इतना ही मतलब है सब आडम्बरों को छोड़ कर कि दस साधारण शोप कीपर बहां शोपकीपर ज्यादा है इसलिए शोप कीपर कहा है, पन्द्रह दुकानदार भले आदमी, ज्याद पढ़े लिखे नहीं हों, वह यह बात कह दें कि यह वात ठीक है, यह बात ठीक है, वही फ्रीडम आफ स्पीच के दायरे में आये, उससे ज्यादा फ्रीडम आफ स्पीच में नहीं आता है। तो मैं समझता हूं कि समूचे देश के अन्दर अच्छी तरह से कारोबार हो रहा है। यह वात नहीं है, 27 साल तक अखबारों ने, टीकाकारों ने अपने भाषणों में सब कुछ कहा है, उसके वाद भी जनता ने इसका स्वागत किया है। जनता विचारों की स्वतन्त्रता को समझती है। अच्छी तरह से जनता समझती है, समझ बूझ करके और सब बातों को समझ करके अच्छा कहा है। दुकानदारों के पास चले जाओ, सरकारी कार्यालयों में चले जाओ, आम नागरिक के पास चले जाओ, सब यह कहते हैं कि अब जमाना अच्छा है। यह स्थिति चल रही है। यह वहुत सोच विचार के बाद किया गया है। गुलाम पहले नहीं थे, 27 साल के अन्दर हमने आजादी को खूब भुगता है, उसके बाद में यह सही कदम उठाया गया है। हम फेल हो जावें, हमारे कार्यक्रम फेल हो जावें, यह अलग बात है लेकिन इसका लोगों ने आम तौर से स्वागत किया है। तो मैं समझता हूं कि इसके अन्दर कोई अनहोनी बात नहीं हुई है। आप समझते हों कि इससे भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन् होता है तो यह वात नहीं है।

डाइसी ने ही इस वारे में और कहा है आज से पहले जो स्थिति थी वह आपसे हमसे छिपी हुई नहीं थी। इसके वारे में उस महान लेखक ने कहा है, बड़े ही सुन्दर शब्दों में कहा है। उससे बड़ी अथोरिटि लॉ की और संसार में हो नहीं सकती जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, उसने यह कहा है :

"The rigidity of the law constantly hampers (sometimes with great injury to the public) the action of the executive, and from the hard and fast rules of strict law, as interpreted by the judges, the Government the escape only by obtaining from Parliament the discretionary authority which is denied to the Crown by the law of the land."

अदालतों के, पार्लियामेंट के अधिकार के बारे में, सरकार के अधिकारों के बारे में विशेष परिस्थितियां हैं :

"Noted with care the way in which the necessity for discretionary powers brings about the recourse to exceptional legislation. Under the complex conditions of modern life no Government can in times of disorder, or of war, keep the peace at home or perform its duties towards foreign powers without occasional use of arbitrary authority."

और आगे कहा है छोटे से में :

"A statute of this kind is (as alreaday pointed out) the last of supreme exercise of parliamentary sovereignty. It legalises

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

illegality, it affords the practical solution of the problem which perplexed the statesmanship of the 16th and 17th centuries, how to combine the maintenance of law and the authority of the Houses of Parliament with the free exercise of that kind of discretionary power or prerogative which, under some shape or other, must at critical Junctures be wielded by the executive Government of every civilized country."

यानि आर्बीट्रेरी पावर तक के बारे में उन्होंने कहा है। तो यह कोई डिक्टेटरशिप की निशानी हो यह बात नहीं है। अपने आप नहीं, पार्लियामेंट से हुआ है, पार्लियामेंट एग्जीस्लेचर्स एग्जीस्टेंस में है और उसके बाद में एक्स्ट्रा-आर्डीनरी मैजर्स उठाये जाते हैं बिल्कुल वाजिब होते हैं। इस बात से इन्कार नहीं हो सकता कि हमारे देश के अन्दर इस प्रकार की परिस्थितियां मौजूद थी। हालत यह हो गई थी कि चुनावों के अन्दर तो एक सतारूढ़ दल जीते, उदाहरण ऐसे हैं कि एक जगह कांग्रेस पार्टी जीती हो लेकिन उसके दूसरे दिन से इस तरह के आन्दोलन खड़े कर दिये जायें कि जैसे जनता विपक्ष के पक्ष में हो और हम जो मेजोरिटी में हैं उनके पक्ष में जनता नहीं हो। आखिर जनता का फैसला है। पांच साल में एक दफा एक महीने का नोटिस होता है, सब परिस्थितियों की छूट होती है कि वे अपनी बात कहे, उसके बाद में जनता पेटी के अन्दर निर्णय करती है। वह निर्णय पांच साल तक लागू रहना चाहिए लेकिन होता यह है कि जनमत का आदर नहीं और जो दो चार दस मनचले किसी तरह से अच्छे बोलने का मनोरंजन का साधन जुटा कर, बुरी से बुरी बातें कहें जिनको कहना कानून वर्जित करता है, उन बातों को कहा जाय। आखिर बातें वही कही जायं जो रचनात्मक हों, देश के कल्याण की हों। इसलिए इस तरह का उपयोग उन परिस्थितियों के अन्दर, ऐसी परिस्थितियों के अन्दर तो इंग्लैंड जैसे देश में भी सरकार ने अधिकार अपने हाथ में दिए हैं और उसको आर्बीट्रेरी तत्कालिक कहा है। मैं समझता हूं कि जो कुछ देश में हुआ है कोई बड़ा बेजा हुआ हो और जनहित के अन्दर नहीं हो यह बात मैं नहीं मान सकता। आखिर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत देश एक बहुत बड़ा देश है और कोई छोटा देश नहीं है। इस देश में बहुत बड़े लोग हैं। वे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है। यही नहीं है कि एक पार्लियामेन्ट है और वही इस देश में निर्णायक हो गयी हैं। और बहुत सी संस्थाएं हैं, ग्राम स्तर पर पंचायतें हैं, तहसील लेविल पर पंचायत समितियां है। म्युनिसिपैलिटिज हैं, प्रान्तों में लेजिस्लेटिव असेम्बली हैं और पावरफूल प्रेस भी है। पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने दुनिया देखी है। तो इन सबको मिला कर यह ठीक है कि कई को तकलीफ जरूर हुई है कुछ समय के लिये तकलीफ हुई है परन्तु आजादी भी बहुत ज्यादा भुगती है। डेमोक्रेसी में यह अनहोनी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो संकल्प रखा गया है, वह संविधान का संशोधन हर दृष्टि से उपयुक्त है और हमें इस संशोधन का समर्थन करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, जो यह संकल्प सदन के समक्ष रखा गया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आज हमारे देश में असाधारण स्थिति है और असाधारण स्थिति के लिए असाधारण उपाय करने आवश्यक हो गये थे और जिस स्थिति में यह आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई और उसके अन्तर्गत जो कुछ संवैधानिक रेस्ट्रिक्शन किन्हीं तबकों पर लगाये गये उनका औचित्य है। जिस हद तक इस संकल्प का सवाल है, संकल्प बहुत सीमित है कि यह व्यवस्था आपातकालीन स्थिति घोषित करने की या अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति या राज्यपाल में निहित होती है उनको अदालतों में चुनौती नही दी जा सके इस प्रकार की व्यवस्था संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित इस संशोधन के द्वारा की गयी है। परन्तु जिस सन्दर्भ में यह संशोधन लाया गया है, उसके साथ देश के राजनैतिक सवालात, संवैधानिक सवालात के बुनियादी प्रश्न जुड़े हुए है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी यह मान्यता है कि यह आपातकालीन जो स्थिति घोषित की गई है और उसके जरिये जो संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों पर कुछ पाबन्दियां लगाई गई हैं वे पाबन्दियां आम नागरिक जो कि इस देश के अन्दर प्रजातन्त्र में सेक्यूलरिज्म में, सोशलिज्म में और देश की गुट निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, जो देश की कुछ बुनियादी नीतियां हैं, जिन नीतियों को केवल कांग्रेस की नीतियां नहीं कहा जा सकता है बल्कि जिनको राष्ट्रीय नीतियां कहा जाना चाहिये, जो कि राष्ट्रीय आन्दोलन से हिन्दुस्तान की जनता जिन उद्देश्यों की तरफ संघर्षरत रही है, उनमें विश्वास है। मैं यह समझता हूं कि यह रेस्ट्रिक्शन, यह पाबन्दियां उनके लिये नहीं है बल्कि यह आपातकालीन घोषणा और यह रेस्ट्रिक्शन और ये जो कड़े कदम उठाने पड़े हैं और उठाने चाहिये थे, ये उनके लिये उठाये गये हैं जो कि इस देश के प्रजातांत्रिक ढांचे का लाभ उठा कर इस प्रजातान्त्रिक ढांचे को उलटना चाहते थे और इस संसदीय प्रणाली को इस देश में समाप्त करना चाहते थे और उनके मन मर्जी तरीकों से जिस तरह इतिहास में फासिस्टों ने दूसरे देशों में किया वही फासिस्ट, तानाशाही कायम करना चाहते थे। इसलिए यह आपातकालीन घोषणा और यह रेस्ट्रिक्शन उन शक्तियों के खिलाफ है, उनके आधारों के खिलाफ है, उन विचारों के खिलाफ है और उनको कुचलने और उनको खतम करने के लिए इस्तेमाल करने के लिये की गई है और इस आशा के साथ कि इनका इस्तेमाल उसी के लिये किया जायेगा आम नागरिक के लिये नहीं, आम मजदूरों के लिये नहीं। आम मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिये अगर मजदूर लड़े उसके लिये नहीं। आम विद्यार्थी के लिये नहीं और आम सामान्य नागरिकों के लिये नहीं। केवल मात्र उन लोगों के लिये जिनका मकसद यह था, उनको समाप्त करने के लिये और यह स्थिति आज पैदा की गई और उसी में, उसी संदर्भ में हम इस स्थिति को उचित समझते हैं और इसका समर्थन करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कही गयी और कुछ दबे शब्दों में इस बात को वे लोग

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

भी जो इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ दबे शब्दों में उनकी भी शायद यह मान्यता हो कि हां, प्रजातन्त्र कुछ दबाया तो गया है लेकिन थोड़े अर्से के लिये, कुछ अर्से रहेगा और फिर वही स्थिति आ जायेगी। मैं उन मित्रों को कहना चाहता हूं कि जो कल्पना इस प्रजातन्त्र की है, जिसमें हमें यह कहा जाता है, पूर्ण बोलने की, आजादी, पूर्ण लिखने की आजादी, अखबारों की पूर्ण स्वतन्त्रता थी, तो क्या यह 26 जून से पहले छपने वाले अखबार चाहे टाइम्स आफ इन्डिया हो, चाहे यह इन्डियन एक्सप्रेस हो, चाहे हिन्दुस्तान टाइम्स हो, और आज जो सेंसरशिप नहीं है बी. बी. सी. पर और अमेरिका से निकलने वाली न्यूज मेगजीन इकोनोमिस्ट, क्या आज ये अखबार सही प्रजातन्त्र के परिचायक हैं ? क्या वे सच्चाई को छाप रहे हैं ? क्या वे वास्तविकता का प्रदर्शन कर रहे हैं ? जब मजदूर साहू जैन की फैक्टरी पर आन्दोलन करे, और टाइम्स आफ इंडिया उस खबर को नहीं छापे तो वह गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया का सेन्सर नहीं तो साहू जैन का सेन्सर तो है। जब गोयन का के खिलाफ मिस एप्रोप्रिएशन और गबन के केस चले और उनको इन्डियन एक्सप्रेस नहीं छापे तो क्या यह ओनेस्ट जर्नलिज्म नहीं है ? क्या यही फ्री प्रेस है। क्या यहां पर गोयनका की सेन्सरशिप लागू नहीं होती है। जब बिरला ने बरगिज को निकाल दिया अपने प्रेस से और जो वर्किंग जर्नलिस्ट ने उनके अधिकारों की रक्षा की मांग की तो उस खबर को हिन्दुस्तान टाइम्स ने कितना छापा उन खबरों को ? क्या बिरलाजी का सेन्सर उसके ऊपर नहीं लागू है, और यदि यह कहा जाय कि जो तमाम मेहनतकश वर्ग है, उत्पीड़ित वर्ग है, जो इस शोषक वर्ग के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और यह शोषण करने वाला वर्ग है जिनके हाथ में यह अखबार हैं, जिनके हाथ में यह सत्ता है वह अपनी सेन्सरशिप के जरिये अपने वर्गहितों के खिलाफ जाने वाली बातों को अखबार में नहीं छापते हैं। क्या सच्चा जर्नेलिज्म, आनेस्ट जर्नेलिज्म, फ्री जर्नेलिज्म आप अखबारों में देखते हैं ? यहां पर जो बोला जाता है और जो राजाओं के इन्ट्रेस्ट में है उसको बड़े हरफों में, बड़ी सुर्खी से अखबारों में दिया जायेगा और जो राजाओं की इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनके खिलाफ जो खबरें हैं या तो उनको छापा ही नहीं जायगा या बीच के पेज में एडवर्टाइजमेंट के साथ में एक कालम में बिना हेडलाइन दिये वहां पर छाप देंगे। यह फ्री प्रेस है ? इसको फ्रीडम, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो कन्सेप्ट हमने डेमोक्रेसी को दिया है, जिसको हम अपने देश में लागू करते रहे हैं, वह पाश्चात्य दर्शन की डेमोक्रेसी है। वह बी. बी. सी. की दी हुई डेमोक्रेसी है। वह डेमोक्रेसी न्यूज वीक की डेमोक्रेसी है। वह डेमोक्रेसी उनकी है जो अपने आपको माडल डेमोक्रेसी कहते हैं चाहे वह वेस्ट मिनिस्टर की हो, चाहे वह व्हाइट हाउस की है, जिन्होंने दुनिया में यह कहा कि—डंडा तो अपने हाथ में पकड़ा—कि हम इस प्रकार की डेमोक्रेसी अपने देश में लाये हैं, इसी का नाम सही डेमोक्रेसी है। वह उस प्रकार की डेमोक्रेसी है। यह डेमोक्रेसी पूंजीपतियों की डेमोक्रेसी है। यह डेमोक्रेसी वर्किंग क्लास के लिए डिक्टेटरशिप है। यह डेमोक्रेसी है और उसके जरिये जो कानून बने हैं, जो लाज बने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं, जो अधिकार बने हैं, जो लाइसेन्स ले सकते हैं आज जिस तरीके से जो तमाम इन्स्टीट्यूशन्स खड़ी की गई है चाहे वह प्रेस हो, चाहे वह कोर्ट्स हों, चाहे वह और इन्स्टीट्यूशन्स हों, जिनको फ्री इन्स्टीट्यूशन्स कहा जाता है. उन फ्री इन्स्टीट्यूशन्स के ऊपर सबसे बड़ा डंडा पैसे का है । पैसा उनको चलाता है । बिना पैसे उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं । क्या यह बात सही नहीं है ? क्या सुप्रीम कोर्ट में जाने का सब को अधिकार है ? कितने एग्रीकलचरल लेबर इन 27 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के अन्दर गये ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में हेवियस कारपस की पिटीशन्स में कितने गरीब लोग गये हैं ? रोज 110 के अन्दर पुलिस गरीब लोगों को बुलाकर जेल के अन्दर डालती है । यह डेमोक्रेसी बुर्जुवा डेमोक्रेसी है जिनमें आप लोगों को रोजगार नहीं देते हैं और रोजगार नहीं होने की वजह से 110 में आप उनको मुजरिम बनाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दिखता हुआ रोजगार नहीं है । इस केपिटेलिस्ट सिस्टम में जिनके पास पूंजी है और साधन हैं उन्होंने अपने दृष्टिकोण से जुरिस्प्रडेन्स बनाई है, अपनी दृष्टि से मोरेलिटी कायम की है, अपने दृष्टिकोण से रिलीजस लाज कायम किये हैं, अपने दृष्टिकोण से जर्नलिज्म और इस प्रेस को कायम किया है ।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप फासिज्म के खिलाफ नहीं लड़ सकेंगे अगर आप इस बुर्जुआ डेमोक्रेसी के शिकार रहेंगे । आप फासिज्म के खिलाफ नहीं लड़ सकेंगे अगर इस वेस्टर्न डेमोक्रेसी के इस मोडल को इस देश पर थोपने की अगर कोशिश की । हमको खुशी है कि 26 जून को इस बात का एहसास हुआ हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री को एहसास हुआ कि यह वेस्टर्न डेमोक्रेसी यहां जिस तरीके से चल रही है यह तत्व, यह मोनोपोलिस्ट्स तब तक इसके हामी रहेंगे जब तक इस सिस्टम से वह पावर में रहेंगे या वह पावर उनके सिस्टम रहेगी, पूंजीवाद कायम रहेगा, और जिस पूंजीवाद को यह महसूस हो जायगा कि इस सिस्टम से हम सुरक्षित नहीं हैं वह इस ढोंग को फाड़ फेंकेगा, इस डेमोक्रेसी को फाड़ फेंकेगा और फास्टिवाद कायम कर देंगे । मैं याद दिलाना चाहता हूं जर्मनी का इतिहास । हिटलर जो नाजिज्म और फासिज्म का नेता था, जिसने दुनियां के सामने नाजिज्म का और फासिज्म का एक घिनौना चित्र पेश किया था, जिसने दुनियाभर को उसके खिलाफत में खड़ा कर दिया था, वह हिटलर बूली कन्सेप्ट, इसी प्रकार की डेमोक्रेसी के कन्सेप्ट—फ्रीडम आफ प्रेस, फ्रीडम आफ स्पीच, फ्रीडम आफ एसोसियेशन और फ्रीडम आफ फ्री असेम्बली—उसके नाम से पावर में आया । वहां पर पोलिटिकल पार्टीज ने खास तौर से सोशल और डेमोक्रेटिक पार्टीज ने इस बात को समझा नहीं कि आज इस प्रकार के इस कन्सेप्ट का लाभ उठा कर इसी सिस्टम को यह खत्म करने वाले हैं । हिटलर ने क्या किया ? वहां की असेम्बली के सामने, वहां की रीचस्टाग के सामने डिमान्स्ट्रेशन का एलान किया और डिमान्स्ट्रेशन बड़ी तादाद के अन्दर जैसा कि 29 जून का यहां पर प्रोग्राम था उसी तरह के डिमान्स्ट्रेशन का वहां पर प्रोग्राम किया, और डिमान्स्ट्रेशन के ऊपर मांग की कि यह सरकार इस्तिफा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दे नहीं तो देश के अन्दर खून-खराबी हो जायगी। हिंडनबर्ग जो वहां का प्रेसीडेन्ट था वह घबरा गया। हिटलर की पार्टी वहां पर रीचस्टाग में मेजोरिटी में नहीं थी, सेकण्ड मेजोरिटी में भी नही थी, थर्ड मेजोरिटी में भी नहीं थी, फोर्थ मेजोरिटी में थी उस पार्टी के नेता, हिटलर को बुलाकर सत्ता सौंप दी और पहले की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। हिटलर को वहां का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। गवर्नमेंट बदल गई। मौजूदा में जिस तरीके का कन्सेप्ट इस डेमोक्रेसी का है हिटलर ने भी इसको इस्तेमाल किया। इसी चक्कर में आकर कहीं डेमोक्रेसी पर वह वर्ग हावी न हो जाय चाहे देश का कुछ भी हो। हिटलर उसी नाम की दुहाई देता हुआ गद्दी पर चढ़ गया, और गद्दी पर चढ़ने के बाद उसने अपने ही आदमियों से रीचस्टाग में आग लगवा दी, और फिर तमाम डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनरीज को यह कहकर कि कम्युनिस्टों ने आग लगाई है गिरफ्तार कर लिया, और वहां पर उन सब कन्सेन्ट्रेशन कैम्प्स के अन्दर डाल दिया, कितनों को ही कत्ल कर दिया और फिर जो दुनियां में तूफानी बदतमीजी हुई उसमें आप और हम सब वाकिफ हैं। इसलिए आज उसी डेमोक्रेसी का झण्डा उठाने वाले अमेरिका आज जब उसकी दुनियां के अन्दर लगातार हार पर हार हो रही है, इम्पीरियेलिज्म जगह जगह पर रिट्रीट हो रहा है, खासतौर से वियतनाम में पिटने के बाद फोर्ड ने साफ तौर से घोषणा की कि जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, जितने भी दुनियां के मुल्क हैं और जहां पर डेमोक्रेटिक कन्ट्रीज हैं, उनको हमने इतनी मदद, की इतना सहारा दिया वह नामाकूल साबित हुए हैं, वह डेमोक्रेसी के लायक नहीं है। इसलिए उनकी तमाम सरकारों को जो नान-एलाइनमेंट का राग अलापती हैं, सोशियेलिज्म का नारा देती हैं, इम्पीरियेलिज्म के नाम पर अमेरिका का विरोध करती हैं और सोवियत यूनियन से दोस्ती रखती हैं, ऐसी किसी भी सरकार को हम बरदाश्त नहीं करेंगे। प्रेसीडेन्ट फोर्ड ने आफिशियल डिक्लेरेशन किया अभी पिछले दिनों कि हम दुनियां की ऐसी तमाम सरकारों को डि-एस्टेब्लिशड करेंगे उनको उखाड़ेंगे, कई तरीकों से उखाड़ेंगे। पहले प्रयत्न करेंगे उनके ऊपर दबाव लाकर। उसी पार्टी के अन्दर ऐसे लोगों को नेतृत्व में लायें जो कि उन नीतियों में बदलाव करेगा, सोशियेलिस्ट देशों से दोस्ती तोड़ें, अमेरिकन ब्लाक के अन्दर आये, और इम्पीरियलिज्म का विरोध करना बन्द करे और साम्राज्यवाद का साथ दे। उसी पार्टी में इसी प्रकार के नेता मिल सकें तो उनको बदलकर लाने का प्रयत्न करेंगे। नम्बर दो, वह आगे ऐसे देशों की नाकाबन्दी करके, फौजी अड्डे बनाकर उनको फौजी डर दिखायेंगे। उनकी एड बन्द करेंगे। इस तरह से उनकी नीतियों में परिवर्तन कराने की कोशिश करेंगे। चौथे, उनके आसपास जो पड़ोसी देश हैं, जिन देशों से उनकी दुश्मनी है, उनको हथियारों की मदद देंगे। लड़ाई करने के लिए दबाव डालेंगे। उसमें उनकी मदद करेंगे। फिर उन पर इम्पीरियलिज्म लादेंगे। जो साम्राज्यवादी पक्ष के हैं। कौन है वह पक्ष। देश की आजादी की लड़ाई में सबसे पहले वर्ग आते हैं। कुछ ऐसे वर्ग हैं जो साम्राज्यवाद से जुड़े हुये रहे है। हिन्दुस्तान के राजे महाराजे आज भी ऐसा मानते हैं। वह ब्रि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इम्पीरियलिज्म के पिलर रहे हैं। उनको तो अपनी मजबूरी से राज छोड़ना पड़ा है। उनके दिल आज भी वहीं लगे हुये हैं। वह आज भी अपने उन आकाओं की ओर देखते हैं। वह आज भी यह सपना देखते हैं। वह आज भी यह सपना देखते हैं कि हमारे वह आका वापिस आयेंगे। उनको वापिस गद्दी पर बैठायेंगे। इस प्रकार के वह सपने देख रहे हैं। आज वह हिन्दुस्तान का पूंजीपति वर्ग, जब आजादी की लड़ाई लड़ी थी। आज उस पूंजीपति वर्ग में से भी एक वर्ग का स्वरूप बदल गया है। एक पूंजीवादी इजारेदार बन गया है। उनके एक दो कारखाने नहीं 56 कारखाने हैं। आज वह हिन्दुस्तान की जनता के साथ नहीं है। आज उनको यह है कि अमेरीकी एजेन्सी से सांठगांठ करके 50% हमारा और 50% उनका, इस तरह से एक और उद्योग लगायें। इस प्रकार से हिन्दुस्तान के इजारेदार देश के साथ नहीं। साम्राज्यवादी इजारेदारों के साथ हैं। चाहे वह स्वतन्त्र पार्टी हो, पी. एम. टी. हो, जनसंघ हो, ऐसे दल उनके हितों की रक्षा करते हैं। जिसको पुराना पोंगापन्थी पन कहते हैं। जो देश को पुराने विचारों के अनुसार आगे नही निकलने देंगे। जनसंघ उस वक्त भी अंग्रेजों का हामी था। अंग्रेजों ने उनको मजहब का नाम देकर लड़ाया था। आज अमेरिका डिस्टेबिलाइजेशन के पालिसी लागू करना चाहता है। इस चौथे वर्ग से उनका ताल्लुक है। उनके आधार पर इस देश में अराजकता फैलाकर, विद्रोह फैलाकर इस देश में जैसी भी डेमोक्रेसी है, उसको उलट कर फासिस्ट तानाशाही कायम कर दें। यह अपने यहां किया जा रहा है। 29 जून की घोषणा थी। वह हिन्दुस्तान का दिमाग नहीं था। हिन्दुस्तान से ताल्लुक नहीं रखता था। इसमें पूंजीवादियों, सामन्तों, और हिन्दुस्तान के ब्लैक मार्केटियरों का वेस्टेड इण्ट्रेस्ट था। आज हम जो लड़ाई लड़ रहे है, वह फासिस्टों के खिलाफ है। यह एक दुनियां की लड़ाई है। यह एक तरफ पूंजीवाद और दूसरी तरफ समाज वाद के बीच की लड़ाई है। हम और आप समाजवाद चाहते हैं। पूंजीवाद साम्राज्यवाद नहीं चाहते हैं। अब यह देश समाजवाद की तरफ जायेगा। ऐसी शक्तियां इकट्ठी हो रही हैं। लिबरल होकर हम इस नतीजे पर पहुंच गये हैं कि यह खतरनाक है। इस प्रकार का जो सिस्टम है, हमें यह रिस्क नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए जयप्रकाश के मुंह में इस प्रकार का मोल करते हुए, यह निकला कि हम डेमोक्रेसी को कत्ल कर देंगे। हिटलर का फासिस्ट शासन कायम करेंगे। यह पाबन्दी लगाई गई है। हम हिटलर और फासिज्म पर पाबन्दी लगाते हैं। यह जो खतरा फैलाया गया है, हम उसका मुकाबला करें। मसला इस वक्त फासिज्म और डेमोक्रेसी के बीच में है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो ऊपरी आवरण डेमोक्रेसी का है, हम इसके भुलावे में नहीं पड़े। आज वह डेमोक्रेसी की दुहाई देना चाहती हैं। यह दक्षिणपंथी शक्तियां दुहाई देना चाहती है। मैं साफ तौर से कहता हूं जिस तरह की उनकी डेमोक्रेसी है, वह उनके वेस्टेड इण्ट्रेस्ट के लिए है। वर्किंग क्लास के लिए नहीं है। उन्होंने जो पाबन्दी लगाई है, अभी जो सिस्टम लागू किया जा रहा है। एमरजेंसी लागू करके प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की है, जो तरीका लाया जा रहा है, जो सिस्टम इवोल्व करने की बात है। यह कम्युनिस्ट पार्टी को मैं समझता हूं कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह घोषणा थी कि किसान और मजदूरों के खिलाफ, विद्यार्थियों के खिलाफ यह नहीं है। आमतौर के कार्य करवाने आदमी के खिलाफ यह नहीं है। कोई इस तरह ग समझने की कोशिश करे की कोई क्लर्क ठीक तरह से काम करने लगे और वह व्यक्ति ठीक तरह से काम करने लगे तो यह एमरजेंसी है। अगर कोई इस तरह के अर्थ लगाता है तो वह इसकी मजाक उड़ाता है। यह तो इसकी मजाक उड़ाना है। एमरजेंसी पूंजीवादियों और राजाओं के लिए लगाई गई है। इस असेम्बली में सन् 1963 में कानून पास किया कि राजाओं की जमीन लेना चाहिए। '64 में हाईकोर्ट का स्टे आर्डर आगया। इसी तरह से 70 में फैसला हुआ। 7 जनवरी के अन्दर फिर दुबारा अपील कर दी। अभी तक हाईकोर्ट ने फैसला नहीं किया। पिछले मई के महीने में दुबारा अमेन्डमेण्ट करके कानून पास किया है। राजा लोग फिर से अपील में चले गये। भले ही आज वह कहते हैं कि हम यह मानते हैं कि सीलिंग कानून होना चाहिए। हम यह मानते हैं। जमीन में पैदावार होनी चाहिए, यह हम मानते हैं। जो यह कहते हैं, उन्हीं महारावल लक्ष्मणसिंह डूंगरपुर के पास 53 हजार बीघा जमीन वह दबाये बैठे है। हाईकोर्ट की अपील उनकी मदद में है। आज उनको यह दुःख होता है आज यह इमर्जेन्सी इस बात के लिए है कि इस कान्स्टीट्यूशन में चेन्ज किया जाय, इस कान्स्टीट्यूशन में बदलाव लाया जाय। आज कान्स्टीट्यूशन के नाम पर सोशल चेन्ज को यहां रोका जा रहा है, कान्स्टीट्यूशन के नाम पर उसमें रुकावट डाली जा रही है और यह काम कोई क्लर्क नहीं कर रहा है, कोई विद्यार्थी नहीं कर रहा है, कोई मजदूर नहीं कर रहा है। मजदूरों को हड़ताल के नाम पर बदलने की कोशिश की जायेगी। मैं कहना चाहूंगा कि वे लोग इन्दिरा गांधी के समर्थक नहीं हैं और वे लोग चन्द्रशेखर हो सकते हैं और या कोई ऐसी ही दूसरे लोग हो सकते हैं जो इस तरह की बात करने की कोशिश करते हैं उनको समझना चाहिए कि हमारे दुश्मन कौन हैं, हमारे दुश्मन इम्पीरीयलिज्म हैं, साम्राज्यवादी हैं, इजारेदार हैं, सामन्तीलोग हैं, यही बात कांग्रेस के अन्दर और हमारे प्रोग्राम में भी कही गई है। यही हमारी एकता है, इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। पहले 71 और 72 में भी हमने और आपने मिलकर चुनावों में वायदे किये थे, वे पूरे नहीं हुए, हमारी और आपकी उसमें गलतियां रहीं। इसलिए सवाल पाबन्दियों का नहीं है, पाबन्दियां तो पहले भी थीं और आज भी पाबन्दियां हैं। अगर हमको आगे बढ़ना है तो पाबन्दियां लगानी ही पड़ेगी। किस पर पाबन्दियां लगानी होंगी गरीबों पर नहीं, मजदूरों पर नहीं, काम करने वालों पर नहीं, क्लर्कों और सामान्य लोगों पर नहीं, इन पूंजीपतियों, इन राजाओं, ब्लेक मार्केट करने वालों पर, इन सौदागरों पर जो दुनियां की जिन्दगी पर सौदा करके खेल खेल रहे हैं।

हमारी पार्टी समर्थन करती है और बड़ी खुशी की बात है कि ये जो इमर्जेन्सी है यह एक प्रकार से 'डिक्लेरेशन आफ वार एगेन्स्ट फासिज्म' है और हमें इस बात की खुशी है कि पहले हम इन ताकतों से लड़ने में अकेले थे, हम अकेले लड़ रहे थे अब बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथी उसमें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आकर उनसे लड़ने के लिए ईमानदारी से जुट गये हैं। यह हमारी सम्मिलित लड़ाई होगी और यह जीत की ओर कामयाबी की लड़ाई होगी और फासिस्ट शक्तियां जहां भी हैं, किन्हीं भी शक्ल में हैं उनको छिपी नहीं रहने दिया जायेगा। इसलिए मैं...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर और तमाम उन लोगों के ऊपर आई है जो देश पर इस तरह फासिज्म के खिलाफ लड़े हैं, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। बीस पोइन्ट प्रोग्राम को हमें पूरा करना है, यह तो पहली किश्त है और इसके आगे और भी कई कार्यक्रम पूरे करने होंगे लेकिन इस कार्यक्रम को पूरा करने के बारे में मैं बहुत आगाह भी होना चाहता हूं, इस बात की चेतावनी उन सबके लिए है कि यह कार्यक्रम केवल नौकरशाही से पूरा नहीं होने वाला है इसमें जनता को भी इन्वाल्व करना पड़ेगा। जनता को यह महसूस करना पड़ेगा कि यह लड़ाई हमारी लड़ाई है और जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारे कहने से ही हो रहा है। एक दो चार कदम उठाये गये। एन्क्रोचमेन्ट की बात आई। जिन लोगों ने नाजायज कब्जे जमीनों पर कर रखे हैं उन पर एन्क्रोचमेन्ट हटाने का अभियान शुरू किया गया लेकिन आज भी कई लोगों पास सैंकड़ों बीघा जमीन है जो नाजायज तरीके से दबाई हुई है। इसके लिए भी एक्ट में आवश्यक सुधार होने चाहिए। इसके अन्दर हमको एक बात यह भी समझनी चाहिए कि कहीं गरीब लोग नहीं मारे जायं। गरीब लोगों को बेदखल किया गया तो यह एक गलत बात होगी, यह गलत दृष्टिकोण होगा। इस तरह से अगर हम नौकरशाही के हाथ में अच्छे काम भी देंगे तो उसका नतीजा वही होगा जिस प्रकार से कि बन्दर के हाथ में चाकू देने से वह अपनी ही नाक काट डालता है। इसलिए जो गरीब लोग बसे हुए हैं, अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं, उनको भी वहां से हटा दिया गया और उनको रहने के लिए हटाने से पहले कोई वाजिब जगह नहीं दी गई तो इस प्रकार के कामों से रिएक्शनरीज उनका लाभ उठावेंगे। इसके बारे में जो गरीब लोग अफेक्टेड होंगे उनको पहले से ठीक तरह से बसाने के लिए जगह देंगे तो ठीक रहेगा। यह भी हो सकता है इसके साथ कि बड़े लोग ऐसे मामलों में भी बच जायेंगे। अलवर में महाराजा साहब ने किले के मुकाबले में पेरेलल एक बहुत बड़ी दीवार बनाकर सैंकड़ों बीघा जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया है। शहर में और लोगों की भी जमीनें हैं। मोती डूंगरी के बाहर भी रोक लगा दी गई। इस तरह से हम समझते हैं हमको इस नौकरशाही को भी सही ढंग से देखना होगा। इसके अन्दर भी ऐसे लोग हैं जो रिएक्शनरीज के साथी हैं उनसे सावधान रहना है वे फासिज्म की तरफ झुककर गलत काम कर सकते हैं। इसी तरह से आर. एस. एस. पर बेन लगाया लेकिन इतना ही काफी नहीं है, तमाम संस्थाओं से तमाम प्रशिक्षण संस्थाओं से और दूसरे कई स्थानों से भी उनका सफाया करना होगा। वहां पर वे अब जमे हुए बैठे हैं। कई बड़े बड़े आई. ए. एस. आफिसर्स

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है जो आनन्दमार्गी हैं और उनमें विश्वास करते हैं। आनन्दमार्गी आर. एस. एस. के लोग आज भी भगवा झण्डा लगाये और काली टोपी पहने गवर्नमेन्ट स्कूलों में और सरकारी दफ्तरों में, परिषदों के लीडरों के रूप में आज भी खुले फिर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह लड़ाई जो हम रिएक्शनरीज के खिलाफ लड़ रहे हैं अधकचरे मन से नहीं लड़ी जा सकती। हृदय परिवर्तन का सवाल नहीं हैं इसलिए डिटरमिन्ड तरीके से लड़ाई लड़नी है। यह लड़ाई गरीब लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए, इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने पार्लियामेन्ट का एक एक्ट जिसके द्वारा राष्ट्रपति का यह निवेदन है कि देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा करे और उस पर एक संशोधन जो अभी आया वह यह है कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा के सम्बन्ध में रूल को यह गवर्नमेन्ट अनुमोदन कर दे, यह अवस्था क्यों आई इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। 1950 में कान्स्टीट्यूशन दिया था, देश को बड़े बड़े अधिकार दिये थे। देश की 3/4 जनता ने राइट टू प्रोपर्टी का रूल पास किया और वह राइट आफ प्रापर्टी जनता को मिली। हमारे यहां पूर्वजों ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि

(2.48 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन सभापति, पीठासीन)

पेट की रोटी मिल जाय तो ईश्वर का भजन हो जायगा। उस गरीब की स्वतन्त्रता के लिए उसकी वाणी की स्वतन्त्रता के लिये जिसके पास रहने को जमीन नहीं उस देश में यह सब अधिकार दिये गये। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज फ्रीडम आफ ट्रेड दिया गया। आज पूंजीपति जितनी पूंजी लगाता है उसको ब्याज का अधिकार नहीं था, आज उसका दस गुना ब्याज के रूप में आता है वह आपको अधिकार है। अजीब कानून चला जा रहा है क्योंकि कान्स्टीट्यूशन की सर्टेन धारा है। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी अपनाई है, इस पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी में केन्द्र में, पिछले जितने चुनाव हुए, उनमें कांग्रेस बहुमत से आयी और शासन कांग्रेस के हाथ में रहा। स्टेट्स में भी, अधिकांश में यह हालत रही, कांग्रेस का बहुमत रहा। कई जगह विरोधी पार्टी बहुमत में आयी, पेक्ट किया गया 1967 में, विरोधी पार्टी एक कांग्रेस का सामना नहीं कर सकती इसलिए उन्होने मिल कर राज्य कायम किया भानुमती के कुनबे की तरह लेकिन तीन चार महीने में पिटारा टूट गया, उनका शासन चल नहीं पाया। मैं बहुत प्लेन शब्दों में कहता हूं। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी कान्स्टीट्यूशन के तहत अपने आपको दी है, उसमें केन्द्र में यह हालत हुई कि भानुमती का कुनबा वहां जाकर बैठ जाय तो इस देश की क्या हालत होगी–यह सोचने की और कल्पना करने की बात है। हम सोचने का यह सोचते हैं कि बोलने की आजादी बनी रहे। लोकतन्त्र जब आपने अपनाया है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य जहां मिले वहां चलाने में असफल

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

रहे, बहुमत में आ नहीं सके, तो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा सिद्धान्त है, एक आल्टरनेटिव पार्टी ऐसी हो जो गवर्नमेंट बना सके। विरोधी पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकी। एक दफा प्रयत्न किया, दो दफा प्रयत्न किया, विवश होकर निराशा पर उतर आये। फिर छोड़ा किसी को। सदन में है तो टेबल ठोक ठोककर मनमानी गाली निकालना शुरू किया, अधिकारियों का घेराव शुरू किया। आखिर कौनसा कानून है, कान्स्टीट्यूशन में कौनसा प्राविजन है। आखिर लोकतंत्र क्या देता है–यह मैं समझ नहीं पाया कि इस देश में क्या चीज चल रही है।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं जो स्थिति आयी वह बिहार से शुरू होकर आयी। कान्स्टीट्यूशन में एक आदमी चुना हुआ पांच वर्ष तक विधान सभा या लोक सभा में रहने का अधिकारी है। और कुछ हुआ नहीं, भ्रष्ट आचरण के नाम पर कह दिया, नहीं, इनको इस्तीफा देकर बाहर आना चाहिए। यहां तक तो ठीक है, कोई अपनी ओपिनियन दे सकता है, पर घर पर जाकर जबर्दस्ती करना, नंगा करना, पीटना कि तुम इस्तीफा देकर बाहर निकल कर आओ। यह लोकतंत्र है! यह कान्स्टीट्यूशनल राइट है! यह मेरी समझ में नहीं आता।

उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी आयी 12 जून, उस दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ चुनाव याचिका को मंजूरी दी। उसमें दो मुद्दे थे, मैं कहूंगा नहीं, नाम भ्रष्ट आचरण है, करप्ट प्रेक्टिस जिस शब्द पर फैसला किया गया है। कोई आदमी सोचे दिल पर हाथ धर कर, प्राइम मिनिस्टर होता है उसका भ्रष्ट आचरण कैसे है? विरोधी लोगों ने ओपिनियन पेश की, जो अमूमन बराबर आती है, उन्होंने कहा कि यह साबित हो गया है कांग्रेस भ्रष्टाचार से बहुमत में है, यह साबित हो गया है कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, यह सिद्ध हो गया है कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता भ्रष्टाचार में इन्वाल्व हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो विरोध में बैठे हैं, यह बता दीजिये, इस्तीफा देकर प्रधान मंत्री का एक स्पेशल आफिसर है, चुनाव प्रचार कार्य में चला गया है, तो यह रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स एक्ट में दिया हुआ है मैं इन्कार नहीं करता, लेकिन यह कौनसा भ्रष्टाचार है जिसको नफरत की निगाह से देखते हैं। यह बता देते कि प्रधान मंत्री एक लाख के बहुमत से यशपाल कपूर के भ्रष्टाचार की वजह से जीत गई। वहां उनका डायस बनाया गया, उसमें पी. डब्ल्यू. डी. का खर्च हो गया। यह कहा गया। डायस और बिजली का खर्चा दिया गया वह क्या प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी को दिया गया। समझ में नहीं आता। आप दुहाई करें, नैतिकता है। नैतिकता इसलिए है कि प्रधान मंत्री के स्थान पर है। एक तरफ आप कहते हैं कि चुनाव याचिका मंजूर हुई है, वह स्थगित नहीं हो। स्थगन आदेश दिये हैं यह नैतिकता के खिलाफ हैं। यह कौनसी नैतिकता है। फिर आप प्रधान मंत्री के सामने कौनसी नैतिकता का दावा करने जा रहे हैं। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश हुआ है। फिर यह कह दिया कि दिवाला निकल जायगा, देश खत्म हो जायगा, देश रहेगा नहीं, भ्रष्टाचार देश में डबल हो जायगा, इसलिए प्रधान

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आपने 25 तारीख तय की थी, प्रधान मंत्री को और दूसरे एम. पी. हैं उनको मजबूर किया जाय। 25 तारीख की शाम को विरोधियों की मीटिंग हुई। मैं बता देना चाहता हूं कि शासन में, सत्ता में रहने वाले, कांग्रेस मैन, कांग्रेस के साथी समझते हैं, जयप्रकाश बाबू का जो पहले स्टेटमेन्ट हो चुका है, उस स्टेटमेन्ट में कहा, पुलिस और मिलिट्री पापी सत्ताधारियों के आदेश को मानने के सम्बन्ध में, करने में, उसको न मानें—इस तरह का डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट कह कर उसके डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया, गलत आर्डर को न मानें—यह मेरी समझ में नहीं आती, जो सिपाही हैं, वह अधिकारी के 144 धारा लगाने के आदेश का पालन न करें, यह उनके डिस्क्रिमशन पर छोड़ा जा सकता है। एक मोहनलाल को गिरफ्तार करें, और मोहनलाल पापी नहीं है तो उसको गिरफ्तार नहीं करे। यह मेरी समझ में नहीं आया। तो बहुत बड़ी सीमा तक बर्दाश्त किया गया। 26 की शाम को तय किया गया, इस सम्बन्ध में 25 की शाम को तय किया गया। इसी तरह से रेडियो को चुनौती देना चाहते हैं कि वह मेरे खिलाफ इस का प्रचार न करें। तो पुलिस और मिलिट्री को कहना चाहें कि इनके आदेश का पालन न करें—यह कान्स्टीट्यूशनल राइट है? यह कौनसे संविधान में है—यह समझ में नहीं आता। यह लोकतंत्र को कहां ले जा रहे हैं। प्रारम्भ से अन्त तक प्रयत्न किया गया कि जो भूखे हैं उनको रोटी दी जाय। इसके लिए कोई कानून पास किया गया तो उसका विरोध किया। उस विरोध में अपोजीशन की चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जनसंघ हो, चाहे स्वतंत्र पार्टी थी, विरोध होना चाहिए उनकी दृष्टि से। मैं निवेदन करना चाहता हूं, लोकतंत्र, पालियामेन्ट्री डेमोक्रेसी गलत है, यह मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। पालियामेन्ट्री डेमोक्रेसी एक बहुत सुपर स्टेज पर मनुष्य को ले जाकर छोड़ती है। लेकिन भूखे पेट के लिए क्या करें—यह मुझे बता दीजिये. पालियामेन्ट्री डेमोक्रेसी में जितने राइट्स हमारे यहां पर दिये हुए हैं, अच्छा भोजन मिलेगा, यह डाइरेक्टिव्स में लिख छोड़ा है, दस वर्ष में पढ़ा लिखा कर होशियार कर लें—यह डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल में है. राइट टू प्रॉपर्टी है जो 90 प्रतिशत लोगों के पास नहीं है, फ्रीडम आफ स्पीच, इसका कितने लोग प्रयोग करते हैं—यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस कारण अनुशासन गायब हो गया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं जो एमर्जेन्सी लागू की गई है इस एमर्जेन्सी को लागू करने के पीछे हमारे देश का बहुत बड़ा हित है। अगर पालियामेन्ट्री डेमोक्रेसी को सही समझते हैं तो विरोध कन्स्ट्रक्टिव हो, अपोजीशन सजेशन दे। इसके लिए कहा जाता है कि ब्रूट मेजोरिटी के अन्दर कौनसी बात मानते हैं। रीजनिंग एक नहीं मैं दो बता देना चाहता हूं। हिटलर ने एक बात कही थी, रिपीट द लाइ सो देट इट बिकम्स ए टुथ। झूठ को दोहराइये और वह सच बन जायगा। रीजनिंग की यह हालत है, बहुमत से तय करें और आप कहें कि ब्रूट मेजोरिटी से तय करने जा रहे हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी में अनुशासन हीनता का परिचय दिया। पालियामेन्ट में क्या हुआ, आप अच्छी तरह से जानते हैं। पालियामेन्ट

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

मिली तो अनुशासन को बलाये ताख रख दिया गया। उस वक्त क्या हालत हुई। जिस देश में अनुशासन नहीं तो बिना अनुशासन के पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। तब एक ही रास्ता है, प्राइम मिनिस्टर को धक्का देकर हटाना चाहिए। उसके लिए कान्स्टीट्यूशन नहीं, कान्स्टीट्यूशनल राइट नहीं। यह तरीका बने कि हटा दीजिये, बीच में चले आये और रास्ते से बाहर ले आये। तो यह कान्स्टीट्यूशन का उपयोग किया। यह सही है कि बहुत निराश हो गये, निराश हो गये हैं यह इस दृष्टि से दिखता है। लेकिन जब शासन का प्रश्न आये तब यह बात कहें कि देश में सब कुछ खत्म कर दिया–यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं आज इस इमरजेंसी घोषित होने के बाद भी जो संविधान में प्रोवीजन्स हैं कि दो महीने में संसद द्वारा रैटीफाई कराया जाए और 50 परसेंट विधान सभाओं से रैटीफाइ कराया जाय, उनको हम मानते चले आ रहे हैं तामिलनाडू और गुजरात में विरोधी दलों की सरकारें हैं, उनको कभी नहीं छुआ। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी आज भी है लेकिन वह पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी जहां पर गरीबों के मुंह पर ताला लगे तो वह पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी इस देश में नहीं रह सकेगी। जब तक आप भूखों को रोटी, रहने के लिए मकान नहीं देंगे, तब क्या होगा आपने एक बात अच्छी कही। मैं नहीं मानता कि देश में नौकरशाही पनपे लेकिन उसमें इतने अच्छे आदमी भी हैं जो बहुत बड़ा काम करते हैं। मैं तो बताना चाहता हूं कि फ्रांस में जब पोलिटिकल अपहीवल हुआ, इम्बिसप्लीन एट हुआ केवल वहां की नोकरशाही ने पार्लियामेंट को बचाया, फ्रांस सरकार को बचाया। यहां पर भी बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव व्यूज वाले अधिकारी हैं लेकिन ब्रिटिश के जो रूल्स और प्रोसीजर्स हमने अपनाए हैं वे उनका गला घोंटते हैं, उन नियमों को नहीं माने तो इलाज नहीं लेकिन अधिकारियों की नौकरी तो अटल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन रूल्स को चेंज करें, देश की गरीबी दूर नहीं हुई तो आगे नहीं जा सकेंगे। आज बहुत बड़ा अवसर है कि आने वाले प्रोग्राम्स में देश की गरीबी को दूर करें और संविधान को कायम रखकर उसके द्वारा देश का कल्याण करें।

आज हमारे पास जो बिल आया है वह केवल इस बात का आया है वह है प्रेसीडेंट द्वारा जो इमरजन्सी डिक्लेयर की जाए उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाए। 29 तारीख को क्या होने वाला था, वह बात आपके सामने है। क्या यह नैतिक बात थी कि प्रधान मंत्री साधु बनकर घर पर बैठ जाए? अय्यर साहब का जजमेंट है उसको आप मनमाने ढंग से उसकी टांग खींचने की कोशिश करें तो कोई भी सरकार बरदाश्त नहीं करेगी कि इस देश में अराजकता फैले। इसलिए आज राष्ट्रपति ने इमर्जेन्सी डिक्लेयर की लेकिन स्थिति क्या है? किन परिस्थितियों में यह डिक्लेयर की? अगर कोर्ट को अधिकार दे देंगे तो वह इमरजन्सी को साफ कर देती हैं तो देश की हालत क्या होगी? जिनके हाथ में शासन की बागडोर है वे ही जान सकते हैं। इसलिए जो संशोधन आया है वह केवल यह है कि यह न्यायालय के अधिकार के बाहर होगा। आपातकालीन स्थिति जो घोषित की गई है उस स्थिति को मैं मानता हूं, सपोर्ट

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

करता हूं और जो संशोधन बिल आया है और संकल्प रखा गया है उसको मैं सपोर्ट करता हूं।

श्री सभापति : श्री गुमानमल लोढ़ा !

श्री दीपंकर : हमारी पार्टी की तरफ से भी काफी बोलने वाले हैं।

श्री सभापति : उसी हिसाब से चल रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : सभापति महोदय, आज यह संकल्प शासकीय संकल्प के रूप में आया है, वैसे तो यह एक संवैधानिक प्रश्न है, उस नाते इसका दायरा बहुत सीमित है, परन्तु पिछले माननीय वक्ताओं ने जिस प्रकार से इसके राजनैतिक स्वरूप का विश्लेषण किया है उस नाते से मैं भी दो शब्द कहना चाहता हूं। यह तो सर्वविदित है कि सुप्रीम कोर्ट ने और अन्य न्यायालयों ने पहले भी कहा था कि प्रेजीडेन्ट, गवर्नर, इनकी इमरजेन्सी की पावर्स, आर्डीनेन्स मेकिंग पावर्स साधारणतः जस्टीशियबुल नहीं हैं। जब तक कोई मैलाफाईडी साबित नहीं हो तब तक न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस कारण से केन्द्र में जब कानून मंत्री गोखले साहब यह विधेयक रखा तो उन्होंने कहा कि यह तो पहले से ही स्पष्ट है कि न्यायालय किसी प्रकार का दखल नहीं कर सकते लेकिन हम उसको और स्पष्ट कर देना चाहते हैं ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने कि राष्ट्रपति इमरजेन्सी डिक्लेयर करे न्यायालय हस्तक्षेप करें।

सभापति महोदय, अपने आप में वैसे मैं इसे अनावश्यक समझता हूं परन्तु जिस संदर्भ में यह किया गया है उसको मैं न्याय पालिका पर अतिक्रमण समझता हूं और मेरा विश्वास है कि जिस संदर्भ में इस संशोधन को लाया गया है संसद के अन्दर उसका केवल एक ही अर्थ रहा है कि भारत की न्यायापालिका पर इस प्रकार का भय स्थापित करना कि केन्द्र की ओर से, राष्ट्रपति की ओर से या कहीं से कोई कानून बने उसमें चाहे दुर्भावना भी हो तो भी न्यायालय हस्तक्षेप न करें। इस कारण मै इस संकल्प का विरोध करता हूं। जहां तक आपातकालीन स्थिति का प्रश्न है, यह बहुत हास्यास्पद प्रश्न है इस रूप में कि आपात्कालीन स्थिति पहले से ही थी, हमारे संसद में वादविवाद होता रहा लेकिन एक मूलभूत बात भूल जाते हैं कि यहां पर आपातकालीन स्थिति आज नहीं, 1971 से भारत-पाक युद्ध हुआ उस समय राष्ट्रपति के द्वारा घोषित कर दी गई, उसी आर्टीकिल में की गई, उसकी संविधान में की गई, वही उसके कान्सीक्वेंसिज व इफेक्ट्स हैं। फिर यह बहुत बड़ी पहेली है कि आपात्कालीन स्थिति होते हुए भी दुबारा यह स्थिति क्यों घोषित की गई। यदि उसका उत्तर ढूंढ़ने का प्रयास करें, हो सकता है बहुमत के आधार पर, हो सकता है जिस प्रकार से आज देश में वातावरण बना हुआ, सारा राष्ट्र एक कन्सन्ट्रेशन कैम्प में है, मीसा के दुरुपयोग से सारे देश में बोलने की स्वतन्त्रता का हनन किया गया है, समाचार पत्रों को गैस किया गया है, हम कुछ भी कहेंगे लेकिन राजस्थान की जनता को पता नहीं रहेगा कि यहां पर क्या भाषण हुए, मेरे क्या विचार हैं, जनता के पास में नहीं जा सकेंगे। लोक

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

सभा में किस ने क्या विचार व्यक्त किया, जनता के पास नहीं जा सकते, ऐसी हालत में यह अवश्य है कि यह सारे के सारे संदर्भ में आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने के लिए कहा जाए कि 29 तारीख को बहुत बड़ा हमला होने वाला था, फौजें आने वाली थीं, पाकिस्तान का हमला सेबर जेट्स से हुआ या चीन का हमला नेफा में हुआ, वह हमला नहीं था लेकिन 20 हजार लोग इस बात के लिए तैयार थे कि धारा 144 तोड़कर प्रधान मन्त्री के घर के सामने प्रदर्शन करेंगे। जिस देश में लाखों की सेना हो, हजारों टैंक्स हों वहां पर इस प्रकार की योजना बनी कि कुछ लोग जाकर प्रधान मंत्री से कहें कि आप त्याग पत्र दें, धारा 144 तोड़ते। इतना ही तो करते। लेकिन जब दूसरे लोग जगह जगह से आकर प्रधान मन्त्री के घर के सामने आकर प्रधान मन्त्री के पक्ष में रेलियां करते हैं तो धारा 144 नहीं टूटती है क्या? जब इन्दिरा गांधी के समर्थन में 10–12 लाख लोग उनके सामने गये, ऐसी कई रेलियां देश में दस दस बीस हजार और पचास हजार की रेलियां होती हैं तब वहां पर धारा 144 नहीं लगायी जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि बीस हजार जनसंघ कार्यकर्ता प्रधान मन्त्री के घर के सामने जाते तो यह बीस हजार व्यक्ति क्या कर सकते थे? वह लोग जाकर सिर्फ यही तो कहते कि प्रधानमन्त्री अपना इस्तीफा दें उनसे त्याग-पत्र मांगते। इससे वहां पर कोई बिजली तो गिर नहीं जाती। कोई वहां पर पृथ्वी प्रलय तो हो नहीं रहा था। छोटा प्रलय थोड़े ही हो रहा था। उससे कोई अव्यवस्था तो होने वाली नहीं थी। उसके लिये आपको लोगों को गिरफ्तार करने की क्या आवश्यकता थी। सारे देश के लोगों में भय और आतंक फैला दिया किसी को कहीं गिरफ्तार किया और कई लोगों को गिरफ्तार ही नहीं किया। इस देश में कई बार दूसरी पार्टी वालों ने भी जिसमें सी.पी.आई सी.पी.एम. और दूसरी पार्टियों ने कई बार आन्दोलन किये रेलियां निकालीं उस वक्त तो आपने इतनी गिरफ्तारियां नहीं की और न ही आपातस्थिति की घोषणा ही की थी। सिर्फ बीस हजार लोगों के डर से ही यह व्यवस्था की गयी। सभापति महोदय देश में इमरजेन्सी क्यों हुई उसके लिये यहां तो कुछ बताया नहीं गया लेकिन पार्लियामेन्ट के अन्दर पेपर दिये गये थे उसमें दो तीन कारणों पर विशेष तौर से जोर दिया गया था। इन कारणों में एक कारण रेल्वे स्ट्राइक का बताया गया था। तो मैं अपने सी.पी.आई बंधुओं से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सी.पी.आई. ने मजदूरों का रेल्वे स्ट्राइक के समय समर्थन नहीं किया था। जब रेलवे के मजदूरों ने महंगाई बढ़ाने तथा उनकी जो और भी दिक्कतें थीं उनके बारे में सरकार से कहा था।

(व्यवधान : अवरोध)

आज चाहे सी. पी. आई. के माननीय सदस्य चाहे नहीं बोलें। आज चाहे सरकार के समर्थन में चुप रहें उनके पक्ष में नहीं कहें और रेल्वे स्ट्राइक के वक्त सी.पी.आई. की सहानुभूति रेल्वे के मजदूरों के साथ थीं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : सभापति महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि क्या माननीय सदस्य इस बात के पक्ष में हैं कि

(श्रीमती नरेन्द्र बाला)
सेना और पुलिस सरकार के आदेशों की पालना नहीं करे क्या जयप्रकाशजी ने यह नहीं कहा था। क्या उनका यह कहना वाजिब था।

श्री गुमानमल लोढा : सभापति महोदय, सेना और पुलिस को विद्रोह के लिये नहीं कहा था। सभापति महोदय इस इमरजेन्सी को लगाने के लिये देश में किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया गया। और इस इमरजेन्सी के लगाने के लिये सिर्फ तीन चार मुख्य मुख्य कारण ही बताये गये हैं। इसमें एक तो रेल्वे स्ट्राइक, दूसरे बिहार के आन्दोलन का मसला, तीसरे गुजरात में जो आन्दोलन हुआ मुख्य थे। चौथा कारण था कि सेना और पुलिस को विद्रोह करने के लिये या सरकार के आदेशों को नहीं मानने के लिये कहा गया। यह तथ्य सही नहीं है। जनसंघ ने कभी ऐसा नहीं कहा और अगर सी.पी.आई. बन्धु अपना हृदय टटोल कर देखें तो वह इस बात से सहमत होंगे। हमारे जनसंघ दल के नेता श्री अटलजी ने पहले ही कह दिया था कि हम प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं और सेना विद्रोह करे या पुलिस सरकार के आदेशों को नहीं माने इस बात को कभी भी ठीक नहीं माना। सभापति महोदय रेल्वे के कर्मचारियों ने महंगाई के विरोध में अपना आन्दोलन किया हो सकता है उन्होंने जो भी मांगें रखी हों उनमें कुछ मांगें सही हों, गलत भी हों कुछ अच्छी मांगें हों कुछ गलत मांगें भी हो सकती हैं लेकिन मजदूर अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन करे तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इसके लोगों को इमरजेन्सी लागू करके जेल में ठूंस दो। आज चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य यहां नहीं बोले लेकिन उस वक्त तो उन्होंने भी समर्थन किया था।

(व्यवधान : अश्रव्य)

सभापति महोदय आपात कालीन स्थिति सिर्फ 25–26 तारीख को ही नहीं पैदा हुई थी हमारे यहां देश में इससे भी बढ़कर खराब स्थितियां हुई लेकिन कोई आपात कालीन स्थिति घोषित नहीं की गयी। हमारे देश में आपात स्थिति कोई नयी नहीं थी वह तो हमारे देश में आलरेडी प्रोक्लेम्ड थी। सन् 1971 में जब बंगला देश का युद्ध हुआ था तब ही लागू कर दी गयी थी लेकिन अभी जो आपात स्थिति इस प्रकार को लगाने की जरूरत इसलिये पड़ी की प्रधान मन्त्री चुनाव याचिका हार चुकी थी और चुनाव याचिका उनके खिलाफ होने की वजह से उनसे त्याग-पत्र की लोगों ने मांग की तो प्रधान मन्त्री ने अपने पद पर बने रहने के लिये इमरजेन्सी लागू करदी।

श्री केसरीमल : क्या माननीय सदस्य माफी मांग कर नहीं आये। क्या आपने...

श्री गुमानमल लोढा : और पूछ लीजिये। मैंने माफी नहीं मांगी मैंने तो यही लिखा था कि...

(व्यवधान : अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : और माफी मांग लेंगे।

श्री विजय सिंह : सभापति महोदय, ऑन ए पोइन्ट आफ आर्डर। क्या माननीय सदस्य माफी मांग कर नहीं आये क्या आपने जेल से बाहर निकालने के लिये सशर्त माफी नहीं मांगी ?

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : और कह लीजिये और पूछ लीजिये मैं सभी बातों का एक एक का जवाब दूंगा। मैंने माफी नहीं मांगी मैंने तो जनसंघ की क्या नीति है उसके बारे में मुख्य मन्त्री जी को पत्र लिखा उसमें मैंने कहा कि जनसंघ ने कभी भी सेना के विद्रोह करने की बात को और पुलिस को सरकार के आदेशों की पालना नहीं करने के लिये कभी नहीं कहा। मैं चरित्र हनन की बात को सहन नहीं कर सकता।

श्री दीपंकर : आप एक बात का जवाब दे दीजिये कि क्या आप माफी मांग कर नहीं आये जेल से। उसके लिये आपने मुख्य मन्त्री को पत्र नहीं लिखा था।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप गलत कह रहे हैं आप भ्रम फैला रहे हैं।

श्री दीपंकर : आपका कुछ पता नहीं पड़ता कभी आप माफी मांग लेते हैं कभी आप कुछ कह देते हैं। आपने मुख्य मन्त्रीजी को जो पत्र लिखा उसमें क्या लिखा ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह भ्रांति फैलायी जा रही है आप चाहे तो स्वयं मुख्य मन्त्री जी को पूछ लीजिये मेरा पत्र उनके पास है, आप देख लेना।

(व्यवधान : शोरगुल)

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। (श्री गुमानमल लोढा की तरफ इशारा कर के, आप जो सदन में विषय चल रहा है उसीके बारे में बोलें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं तो, यह पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे रहा हूं यहां पर इन्होंने कहा है तो मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये जो पत्र मैंने जेल से आने के बाद मुख्य मन्त्री जी को लिखा वह पढ़ कर सुना देता हूं। सभापति महोदय, मैंने लिखा कि प्रिय श्री जोशीजी। मेरी रिहाई के आदेश से मुझे आश्चर्य व दुःख हुआ"...

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सभापति महोदय, आप इनसे पूछिये कि वह पत्र पढ़े जिसमें उन्होंने मुख्य मन्त्रीजी से अपनी रिहाई के बारे में लिखा था। जिसमें माफी मांगी और जब जेल से बाहर आये तो इन्होंने ऐसा वातावरण देखा तो उन्होंने दुबारा गिरफ्तारी के लिये ऐसा लिखा। पहला पत्र पढ़े।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पहले वाला पत्र मेरे पास नहीं है मुख्य मन्त्री के पास है।

मेरे पास नहीं है उसकी कापी आप चाहें तो जोशीजी से पूछ लीजिये।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज !

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप सुन लीजिये जो पत्र मैंने लिखा है। मैंने दिनांक 1-7-75 को मुख्य मन्त्रीजी को यह पत्र लिखा था।

प्रिय श्री जोशीजी,

मेरी रिहाई के आदेश से मुझे आश्चर्य व व दुःख हुआ दुःख इस कारण कि आम जनता में यह भ्रम पैदा करेगा। आश्चर्य यह हुआ कि सेना व पुलिस की "अवज्ञा का समर्थन न करना. अटलजी बहुत पहले कह चुके थे वह इस कारण यदि रिहाई इस विचार पर ही हो तो सब की होनी चाहिये मेरे अकेले की

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
ही क्यों ? विशेष तौर से जब मैंने कभी भी रिहाई की मांग नहीं की।

उचित होगा कि जनता में संभावित भ्रम का निवारण आप करेंगे व मेरे पूर्व पत्र को प्रकाशित करेंगे तो इसे भी साथ में प्रकाशित करेंगे।

धन्यवाद !

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तो आपने पत्र वह पढ़ा है जो आप जेल से छूट के आये और लोगों से आपको चूड़ियां पहनने को मिल रही थीं।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय यह सदन में भ्रान्ति पैदा कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने कोई भ्रांति नहीं फैलाई है मैंने तो जो मुख्य मन्त्रीजी को पत्र लिखा वह पढ़ कर सुनाया है।

श्री केशरीमल : लोग आपके घर पर चूड़ियां लेकर पहुंचे थे। जनसंघ वाले ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह बात गलत है कि मुझे कोई वहां की जनता ने चूड़ियां पहनाने की कोशिश की और न ही जनसंघ वाले ही मुझे चूड़ियां पहनाने आये यह बिलकुल गलत है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जोधपुर के नागरिकों को आकर पूछें।

श्री गुमानमल लोढा : आप जाकर पूछ लें स्थिति का पता लगालें वहां के लोगों ने कोई····

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, मैं इन्हें यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वह जो पूर्व में इन्होंने पत्र मुख्य मन्त्रीजी को लिखा था वह भी जरा पढ़ कर सुनादें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, उस पत्र को यहां पर पढ़कर सुनाया जाय तो अच्छा रहेगा। जो भ्रान्तया यहां पर पैदा हो रही है वह समाप्त हो जायें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, मैं तो स्वयं यही चाहता हूं मुख्य मन्त्रीजी मेरे पत्र को पढ़कर सुनायें ताकि किसी प्रकार की भ्रान्ति नहीं रहे। सभापति महोदय, मैंने मुख्य मन्त्रीजी को पत्र में सेना और पुलिस के विद्रोह की बात को उचित नहीं बताया और जनसंघ के नेता श्री अटल जी ने पहले ही इसको समर्थन नहीं दिया था।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके जो आबू की जनसंघ की मीटिंग हुई थी उसमें आप लोगों ने क्या फैसला लिया वह बतादें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कौनसी मीटिंग ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : आबू की जनसंघ की मीटिंग।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आबू के अन्दर तो जनसंघ की वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी वहां पर सेना को विद्रोह करने की कोई बात नहीं और वह तो वर्किंग कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। प्रस्ताव पब्लिश हुआ था। और मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह भी बतादूं कि जनसंघ दल के नेता श्री अटलजी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि सेना को आदेश नहीं मानने

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

की बात और पुलिस को आदेश नहीं मानने की जो बात है उसके लिये जनसंघ जयप्रकाश जी के विचारों से सहमत नहीं है उसका समर्थन जनसंघ नहीं करेगा। सेना विद्रोह करे और पुलिस सरकार के आदेशों की पालना नहीं करे यह बात जनसंघ नहीं कर सकता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह अटलजी ने कहां कहा था ? यह आपने स्वयम् ने कहा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अटलजी ने नहीं कहा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप कितना ही भ्रम में डालें। उनका यह पब्लिस्ड स्टेटमेंट है। जनता सब जानती है। वैसे पब्लिसिटी तो होगी नहीं हालांकि मैं चाहता था कि इसको पब्लिसिटी मिले ताकि भ्रम न फैले।

(व्यवधान, अश्रव्य)

मेरा भी यही कहना है कि इसको साफ करना चाहिये ताकि भ्रम न फैले।

एक माननीय सदस्य : क्या माननीय सदस्य····

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। नो डिस्कशन····

श्री रतीराम यादव : माननीय सदस्य बतायेंगे···

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं चाहूंगा कि आप प्रश्न पूछने की इजाजत दें। यह मेरे हित में है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ओर्डर प्लीज ! जो मामला विचाराधीन है वह बहुत अहमियत का है।

श्री गुमानमल लोढा : यह भी है।

श्री सभापति : मैं समय दे चुका हूं अब असमर्थ हूं।

श्री गुमानमल लोढा : मैं चाहता था कि स्पष्टीकरण हो ताकि राजनैतिक कार्यकर्ताओं के बारे में भ्रम न रहे और उसका निराकरण हो फिर भी आपने मुझे समय दिया मेरे बारे में स्पष्टीकरण देने का उसके लिये मैं आभारी हूं।

प्रधान मंत्री के त्याग-पत्र के सन्दर्भ में यह इमरजेन्सी लायी गयी है। त्याग-पत्र दें या न दें सुप्रीम कोर्ट में है ··

श्री मोहरसिंह : स्तीफा मांगना कहां तक उचित था ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं इसका उत्तर दूंगा। मैं आभारी हूं कि यह प्रश्न पूछा। माननीय सभापति महोदय, माननीय अय्यर साहब ने····

(व्यवधान, अश्रव्य)

सही बात आयी है तो उसको सुन लीजिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री गुमानमल लोढ़ा : सुप्रीम कोर्ट द्वारा अय्यर साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां तक उनके प्रधान मंत्री के रूप में कार्य करने का प्रश्न है कहीं कोई रुकावट नहीं है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जहां तक इस के मोरल प्रास्पेक्ट का प्रश्न है मैं कुछ नहीं कह सकता। मोरल प्रास्पेक्ट के लिए कोई बात कहे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता उनके त्याग-पत्र की बात कही गयी, जस्टिफाइड हो या अनजस्टिफाइड हो, उसको लेकर देश पर आपतकालीन स्थिति थोप देना और यह कहना कि विरोधी दलों ने कुछ नहीं किया, जब कि 27 वर्ष में शासन हमेशा से कांग्रेस का ही रहा है, विरोधी दल तो नगण्य रहा है, विरोधी दलों के बहुत कम सदस्य लोक सभा और विधान सभा में रहे हैं। हमने बरकत साहब के जमाने में, 72 में, सीलिंग बिल रात के 2 बजे तक बैठ कर पास किया, उसकी आज तक असेन्ट क्यों नहीं मिली? किस विरोधी दल ने आपको रोका है? मधु लिमिये, पीलू मोदी ने रोका? या किस दल के किस व्यक्ति ने रोका? किसने रोका है आपको? विरोधी दलों के नेताओं को जेलों में डाल कर जनता में प्रचार करें कि इन लोगों ने नहीं करने दिया, आप यह प्रचार कर सकते हैं। नरोरा में आपने डिसीजन्स लिये कि गांवों में जमीन का डिस्ट्रिब्यूशन हो। कौन आपको उसके लिए रोकने आया 12 सूत्री प्रोग्राम चाहे नरोरा का हो या 21 सूत्री आपका अब प्रोग्राम हो, इसको इम्पलीमेन्ट करिये। रुकावट कहां किसने डाली है। आप नहीं कर सकते हैं और विरोधी दल को आप बदनाम करते हैं....

श्री लक्ष्मणसिंह : स्लम ड्वेलर्स का क्या हुआ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी जमीन का हनन किया जा रहा है।

श्री लक्ष्मणसिंह : वह होने दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : महलों का सीलिंग होने वाला है।

श्री लक्ष्मण सिंह : जितना जल्दी लेना चाहे ले लीजिये। हम भी रख कर तंग आ गये हैं। सीलिंग नहीं आ रहा है। जितना जल्दी आवे उतना अच्छा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कभी आप कहते हैं कि कुलक लोबी वालों के कारण हमारी नहीं चलती है। झगड़ा आपके बीच का है चाहे शशि भूषण हो, चाहे मोहन धारिया हो। आपके अन्दर के झगड़े को लेकर हमारे ऊपर डाले यह कहां की राजनीति है? श्री गिरधारीलालजी व्यास ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी ने ऐसा कर दिया। आपकी मेजोरिटी है, आप एक दिन में कर सकते हैं। आपके स्वयम् के हाथ की बात है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आपकी अपनी ही नीतियां को इम्पलीमेन्ट करने का साहस नहीं, मानस नहीं है और न ही मशीनरी है आपके पास।

आपने सन् 71 में प्रोमिसेज किए। उनको आप पूरा नहीं कर सके तो आपने रंग पलटा। इमरजेन्सी लाकर करेंगे। अब तक नहीं किया। आप हम को कन्सन्ट्रेशन कैम्प में रख दीजिये अनिश्चित काल के लिए रख दीजिये। लेकिन आप इसको जनता के हित की दृष्टि से इम्पलीमेन्ट करिये तो सही। कोई पार्टी देश से बड़ी नहीं होती। एक पार्टी रहती है या नहीं रहती है उससे कोई फर्क

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

नहीं पड़ता है। देश रहता है और समाज की व्यवस्था सुधरती है तो निश्चित रूप से चेन्ज आवेगी।

इस संकल्प का विरोध इसलिये करता हूं कि ज्युडीशियरी पर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है, ज्युडीशियरी को कर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। उसको फाऊंडाउन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिये इस संकल्प का मैं विरोध करता हूं।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र भारतीय।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : आदरणीय सभापति महोदय, आज हमारे सामने विधान का 39 वां अमेन्डमेंट आया है। उसका समर्थन करने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता आपके सामने बोल रहे थे, इसी विधान सभा में मांग कर रहे थे, कह रहे थे जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन के सिलसिले में राजस्थान की पुलिस को नहीं भेजा जाय। उन्होंने सदन में इकबाल किया है। आज कुछ भी कहें कि जयप्रकाशजी की बात का समर्थन करते हैं या नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह का माहोल बिहार में बनाया गया, गुजरात में बनाया गया और जयप्रकाशजी के साथी कौन थे? अय्यूब जैसे साथी थे, एक समाजवाद का फर्जी नारा हिन्दुस्तान में लगा दिया, गुमराह करने की बात थी जनता को। किस सन्दर्भ में हुआ, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सन्दर्भ में यह किया गया कि हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी बहुत मेजोरिटी सन् 71/72 में लेकर आयीं, तो विरोधी ताकतों को इस बात का खतरा हो गया कि कहीं ऐसा न हो कि जो प्रोग्राम समाजवाद का श्रीमती इन्दिरा गांधी दे रही हैं उन लोगों के लिये, समाज के कमजोर तबकों के लिये जो प्रोग्राम सामने रखा है और जो कदम उठाकर बताया है–बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सीलिंग का कानून इस तरह की जो चीजें सामने आई, उनसे जो कि निहित स्वार्थी थे, हमारी पार्टी के अन्दर और पार्टी के बाहर घुस गये थे, उनको खतरा पैदा हो गया। मेरे पूर्व वक्ता कहा करते थे राजस्थान के ढाई करोड़ जनता की किस तरह गरीबी हटाने की बात कही है, मैं कहना चाहता हूं बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात आई–पालियामेंट में प्रश्न आया तो उस समय कहां आपका दल था। राजा महाराजाओं की मदद लेकर हमको मजबूर किया और उस पालियामेंट को खतम करने के बाद हम एक बहुमत लेकर आये और गरीबों और मजदूरों के हित को क्रियान्वित करने की बात कही तो आप घबड़ा गये।

यह विरोधियों का ही एक षड़यन्त्र नहीं था यह दुनियां की ताकतों का एक षडयन्त्र था। अमेरिका की पावर्स का एक षड़यन्त्र था। यह इतने बड़े पैमानें पर एक षड़यन्त्र था, मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय किसी जमाने में चीन और अमेरिका आपस में दुश्मनी का नाटक किया करते थे और दुश्मनी रखते थे लेकिन जब से प्रेसीडेन्ट निक्सन पिकिंग गये तब से क्या ऐसी बात हो गई कि गुमानमलजी भी आज पीकिंग के गीत गाने लग गये और मार्क्सवादी भी इनके

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)
साथ नहीं रहे। यह आज किस प्रकार की बात है ? मैं पूछना चाहता हूं···

श्री लक्ष्मणसिंह : बड़े देशों का टेम्प्रेरी हित हुआ करता है–परमानेन्ट हित नहीं हुआ है···

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : राजा-महाराजाओं की बात आपने याद दिला दी है। मैं याद दिलाना चाहता हूं जब अंग्रेज भारत छोड़कर गये तो इनको कहकर गये कि तुम्हें पाकिस्तान के साथ रहना है, हिन्दुस्तान के साथ नहीं तब से इनका स्वार्थ बंधा हुआ है और आज तक उसी बात को, उसी इन्टरप्रिटेशन को महारावल साहब सामने रख रहे हैं···

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं डिनाई करता हूं बडे राष्ट्रों का टेम्प्रेरी हित हुआ करता है परमानेन्ट हित नहीं है···

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : हित हुआ करता है या मतलब हुआ करता है···

श्री गुमानमल लोढ़ा : हित और मतलब एक ही बात है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य जल्दी समाप्त करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : इस सदन के अन्दर जय प्रकाश जी को वेलकम करने की बात कही उसका भी हमारे साथियों ने मुकाबला किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ मुरारजी देसाई इस बात की बात करते हैं कि भूख हड़ताल करके, इस प्रकार का नाटक करते हैं कि चुनाव अभी होने चाहिये। हमारे नेता, प्रधान मंत्री महोदय ने सब परिस्थितियों को देखकर इस बात को मंजूर किया कि हमको चुनाव करवाना है। यह एक आखिरी तरीका था। हम देखना चाहते थे कि कितना ये लोग जनतन्त्र में विश्वास करते हैं। ऊंझा में प्रधान मंत्री के साथ जो देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेट है शर्मनाक दुर्घटनायें हुई और डेमोक्रेसी को जिन्दा जलाने की बात कही। किस प्रकार कहते हैं कि जनतन्त्र को जिन्दा रखना चाहते हैं। जूडिशियरी के हिमायतियों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस दिन कहां गये थे कि जिस दिन जूडिशियरी के सबसे बड़े व्यक्ति चीफ जस्टिस के साथ कातिलाना हमला हुआ। जूडिशियरी की बात करने वाले लोग···

श्री गुमानमल लोढ़ा : सदन में सारे लोगों ने खण्डन किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : दूसरी बात प्रधान मंत्री का गत 12 तारीख को फैसला हुआ। आप हाई कोर्ट में वकालात भी करते हैं जब उस कोर्ट ने 20 दिन का स्टे किया तो किस प्रकार आपने इस्तीफे की बात की और 29 तारीख को सबने मिलकर कातिलाने हमले की योजना बनाई। आपने अभी-अभी सदन में 20 हजार आदमियों को प्रधान मंत्री के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही थी····

एक माननीय सदस्य : 20 हजार नहीं एक लाख लोग।

(अश्रव्य)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : इस प्रकार सारे देश के अन्दर पता नहीं कितने लोग करते। पुलिस और मिलिट्री की बात करते हैं। आप चाहते हैं कि खून खराबा हो, पुलिस और मिलिट्री गोली चलाये और खून खराबा करे और किसी तरह प्रधान मंत्री को बीच में लाया जाय। यह आपका षड़यन्त्र था · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : } एक-दो पाईन्ट
श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : } और रह गये हैं।

श्री गुमान मल लोढ़ा : बोलने दीजिये।

श्री सभापति : रेगुलेट तो मैं कर रहा हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्षमा चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्षमा तो आप बहुत लम्बी-लम्बी मांग रहे हो।

श्री मूलचन्द सामरिया : आदत पड़ गई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : और लोगों का भी टाइम है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : } इसको दे
श्री जनार्दन सिंह गहलोत : } दीजिये।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : ये शिवाजी की हिमायत करने वाले लोग, वे तो डोली में हो होकर निकले थे लेकिन ये डोलियां बेदेकर बाहर आ रहे हैं। आपने जय प्रकाश जी के आन्दोलन में यह कहा है कि आपके देहली में आ सकता हूं अगर आप टोपियां उतरवा दें। अभी उन्होंने जय प्रकाशजी ने क्या किया उन्होंने आर. एस. एस. के लोगों की नेकरें और बैल्टें उतरवा लीं और वे नेकरें और बैल्ट कुये में मिलीं। यह एक समग्र क्रान्ति का रूप है जिनका साथ आपने दिया है · ·

(व्यवधान, अश्रव्य)

इस तरह की समग्र क्रान्ति का रूप आप देख रहे हैं कि देश के अन्दर इस तरह के हालात हैं। मैं प्रत्यक्ष रूप से कह सकता हूं जो इधर (ना पक्ष) के साथी भी इन्कार नहीं कर सकते हैं गुजरात में जहां जार्ज फर्नान्डिस ने फंक्शन किया था। मैं कहता हूं उस फंक्शन में जापान और अमेरिका के लोग थैलियां लेकर आये थे और इन्होंने उनसे थैलियां ली हैं। एक इस प्रकार का षड़यन्त्र था कि गवर्नमेंट मशीनरी को पैरेलाइज किया जाय। रेल्वे को पैरेलाइज करने की बात कही गई थी · · ·

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह थैलियां क्या आपके पास आ गईं क्या ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया शीघ्र समाप्त करेंगे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : एक–दो पाइन्ट और रह गये हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं सेना और पुलिस को डिसओबे करने के लिये जय प्रकाश जी ने कहा और पनिस करने के लिये भी कहा गया लेकिन मैं बुलन्द होसले के साथ निवेदन

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

करना चाहता हूं हमारी प्रधान मंत्री ने 26 जून को जो कदम उठाया वह बहुत सोच समझकर, बहुत वक्त इनको दिया, इसके बाद इस कदम को उठाया और इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं था . . .

इम्पीरियेलिज्म की साजिश करके आज की डेमोक्रेसी जो इम्पीरियेलिज्म की डेमोक्रेसी कही जा सकती है आज कहते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, अखबार निकालने की स्वतंत्रता नहीं है लेकिन दूसरे माने में कीचड़ उछालने की स्वतंत्रता नहीं है। देश को आगे ले जाने की स्वतंत्रता सही माने में मेरे पूर्ववक्ता ने कहा वह आज ही मिली है। आज कन्ट्री को स्ट्रीमलाइन की जरूरत क्यों पड़ी ?

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

जब गरीबी हटाने की बात की और राष्ट्रीयकरण की बात की तो आपने हमेशा रोड़े अटकाने की बात की . . .

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : आप कभी नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीयकरण हो। . . .

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : दो मिनट।

श्री सभापति : माननीय सदस्य और भी बोलने वाले हैं। उनको मौका नहीं मिलेगा तो उनको भी तकलीफ होगी। आप शीघ्र समाप्त करें।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : रोजी, रोटी और मकान के ऊपर दो मिनट की बात कहता हूं। जिस तरह अनाज के राष्ट्रीयकरण की बात को आप देखिये कि युद्धस्तर पर जिस तरह से इन्होंने उसका मुकाबला किया।

(3.42 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

रोटी, रोजी और मकान की बात हमारी प्राईम मिनिस्टर ने कही। अनाज के राष्ट्रीयकरण की बात की ओर सबसे बड़े मुकाबल होकर यही लोग थे जिन्होंने उनके एजेन्ट्स और बिचौलियों को गुमराह किया। यही आज डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। आप देखिये कि कपड़े के राष्ट्रीयकरण की बात हमारी प्रधान मंत्रीजी ने कही। यही लोग उन मिल मालिकों से मिलकर उनके रास्ते में रोड़े अटकाये। इसी प्रकार से हर समय जब भी वक्त आया इन्होंने रोड़े अटकाने की बात की और बहुत मुश्किल हो गया था सरकार के लिए काम करना। बहुत कठिन हो गया था कि किस तरह से डेमोक्रेसी को रन किया जाये। विद्यार्थियों को किस प्रकार से भड़काने की बात बिहार के अन्दर की और गुजरात के अन्दर की और कहा गया कि एक साल के लिए विद्यार्थी अपनी पढ़ाई छोड़ दें तो इस देश को आजादी हो जायेगी। इस तरह की बात करना क्या डेमोक्रेसी थी ? यह क्या था कि आपने विधायकों को विधान परिषदों में जाने से रोका ? क्या वह आजादी थी ? आप प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन की बात करते थे और उस समय भी हम कहते थे कि आप कोई आल्टरनेटिव प्रोग्राम दीजिए। यह नेगेटिव प्रोग्राम है . . .

श्री मोहरसिंह : यह तो 59 में गवर्नमेंट हटाने का काम तो आपके पक्ष ने ही किया।...

(अश्रव्य)

श्री राजेन्द्र भारतीय : हमने यह नहीं कहा था कि आप आर. एस. एस. के बगल में बैठें।...

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री मोहरसिंह :

(अश्रव्य)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आप सुनने की भी क्षमता रखिये।

श्री मोहरसिंह : हमने किसी का साथ नहीं दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : हमने नहीं कहा था कि सोशलिस्ट पार्टी के साथ बैठकर इस तरह की साजिश करें, यह हमने नहीं कहा था कि इस देश के अन्दर मजदूरों के अन्दर इस तरह का माहौल पैदा करें और उनको बतायें कि जनता की सरकार आ गई है। मैं इन्टक के उपाध्यक्ष के नाते आपको जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो सीटू का रोल रहा है वह फासिस्ट रौल रहा है। उन्होंने मजदूरों को मार-मार कर अपनी बात मनवाई।...

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : देश में माने हुए पूंजीपतियों से आपने हाथ मिलाया...

श्री मोहरसिंह : पूंजीपति आपके प्रोग्राम का समर्थन कर रहे हैं यह इसका द्योतक है कि वह आपसे मिले हुए हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : बॉल बियरिंग में आपका सौदा था बिरला जी के साथ और आपकी पार्टी चलती रही।...

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : गरीब मजदूर तबके को आप दबाना चाहते थे फासिस्ट ताकतों से। वह आपको नहीं करने दिया गया इसलिए मैं इस अमेन्डमेन्ट का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह संधु।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा नम्बर था।

श्री उपाध्यक्ष : हां, मुझे मालूम है। श्री गुरदयालसिंह संधु।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कान्सीट्यूशन पर अमेन्डमेन्ट है मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं देख रहा हूं कि आज 60 करोड़ का भारत है यह बहुत बड़ा जेल खाना बन गया है और कुछ ही लोगों ने इस बात की ठेकेदारी ले ली है और वह कहते हैं कि जो हम करते हैं वही ठीक है। हमको हक है हर जगह बैठने का और हर आदमी को गाली देने का और हर आदमी को बुरा कहने का लेकिन दूसरे लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि वह कहीं पर बैठे और कोई बात

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

कर सकें। जिस देश में ऐसी स्थिति हो उस देश की सरकार कहे कि यह क्या स्वतंत्रता है और फिर कहें कि हम समाजवाद की रक्षा करना चाहते हैं तो यह कोई समाजवाद नहीं है। मैं तो कहूंगा कि आप समाजवाद के मानने वाले नहीं हैं। आप प्रजातंत्र को मानते नहीं हैं। तो फिर आप इसकी दुहाई क्यों देते हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि मेरी पार्टी के मुताल्लिक बहुत कुछ कहा गया और जार्ज फर्नान्डीज का नाम भी लिया गया। मैं तो आपसे साफ कहूंगा कि आप हमको भी मौका दीजिए तो हम कहेंगे कि हमारे ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। हम कहते हैं कि आज तक हमने देश के प्रति द्रोह नहीं किया, हमने कोई तोड़-फोड़ करने की कोशिश नहीं की और तोड़-फोड़ करने वाले लोग आज आप के साथ ही बैठे हुए हैं।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक राजस्थान का सवाल है यह कहते हैं कि हमने स्मगलर पकड़ लिये, यह कहते हैं कि हमने सीलिंग लागू कर दी, यह कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार मिटा दिया। तो हमने और हमारी सोशलिस्ट पार्टी ने कभी इस बात का मखौल नहीं उड़ाया और हमेशा इन बातों का समर्थन ही किया है। जान की बाजी लगाकर उसका समर्थन किया था। मैं कहता हूं कि यदि यह सरकार समाजवाद के ऊपर चलने वाली है तो किसानों को उनका हक दे दो। आज किसानों को क्या मिल रहा है? जो मेरे साथी किसान उधर बैठे हुए हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप को क्या मिला है? खाद की कीमत 7॥ रुपया यूरिया की कम कर दी है लेकिन आज सरकार उसकी कीमत 116 रुपया वसूल कर रही है और राजस्थान की सरकार आपसे ब्लैक कर रही है। आज किसानों से सस्ता अनाज सरकार खरीद ले और उसके बदले उसको कुछ नहीं दे और फिर कहे कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं तो यह गलत बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े से ही शब्दों में कहना चाहता हूं क्योंकि 30 दिन की भूख हड़ताल करने के बाद इस काबिल नहीं हूं कि ज्यादा समय ले सकूं। मैं कहता हूं कि यह सरकार समाजवाद की तरफ नहीं जा रही है। यह सरकार किसानों की दुश्मन सरकार है। यह सरकार किसान को ऊंचा नहीं उठाना चाहती है यह कहते हैं कि हमने स्मगलर पकड़े हैं। तो गंगानगर के अन्दर सिर्फ एक ही स्मगलर को पकड़ा है और कोई स्मगलर नहीं पकड़े। मैं फिर कहना चाहता हूं कि गंगानगर के अन्दर आप चाहें तो हमारी जांच करा लें और वहां जो आपके इन्सपेक्टर हैं उनकी जायदाद की जांच करा लें और आपके उधर बैठे हुए लोगों की जायदाद की जांच करा लें सब ने जमीन सीलिंग में छिपाई हुई है। बड़े बड़े पूंजीपति लोग आज वहां हो गये हैं जिनके पास सन् 47 में खाने के लिए रोटी नहीं थी वह आज करोड़पति हो गये हैं। वह कांग्रेस की बेन्चेज पर बैठे हुए हैं। मुझे कहा था दो चार दिन पहले और सरकार की तरफ से थोड़ा विश्वास आया था, मैं बतला देना चाहता हूं कि आप इसकी भी जांच करायें और हमारी भी करायें। हम भी सोशलिस्ट पार्टी के वर्कर्स बैठे हैं। हम कह देना चाहते हैं कि जितना देश से हमें प्यार है और जितना हम प्यार करना जानते हैं, उधर बैठे हुए लोग सारे एक से नहीं हैं।

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

मैं भी इसी पार्टी में बैठा हुआ था। सन् 52 में प्रदेश कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का मेम्बर था। मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि हम भी उधर से आए हुए हैं। हम भी उधर से इसीलिए आए हुए हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे थे और जहां तक किसान वर्ग का सम्बन्ध है, मैं देखता हूं कि किसानों के लिए आपने कुछ नहीं किया है। मैं फिर अर्ज करूंगा, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसे आर्डिनेंसों का जनता के साथ जो दुरुपयोग हो रहा है, गंगानगर में क्या हो रहा है। मैं अर्ज कर दूं, आपने एक हल्दीवाले को पकड़ लिया लेकिन उससे पूछा कि हल्दी कहां से लाया। उसको पूछा है। इस सदन के अन्दर यह बातें रखी गई कि बिड़ला खराब है। बिड़ला के दलाल लोग हैं। हम गांवों में जाते हैं तो जनता पूछती है कि आज बिड़ला को क्या हो गया। जब बिड़ला इन्द्राजी के खिलाफ था तब तो खराब हो गया और आज जब बिड़ला इन्दिराजी के डिमोंस्ट्रेशन में आता है तो अच्छा हो गया। आज बिड़ला ठीक हो गया और जे. पी. खराब हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि आज देश के अन्दर विरोधी ही नहीं जनता चाहती है परिवर्तन लाना। आज जनता चाहती है आपको तब्दील करना। आज जनता चाहती है कि आप इन कुर्सियों पर न बैठे रहें। आप इस लायक नहीं रहे कि इन कुर्सियों पर बैठ सकें। मैं यह अर्ज कर दूं कि आज देश में क्या हो रहा है। छोटे 2 बणिये को पकड़ लाये। मेरे क्षेत्र करणपुर में एक कारखाने को सील किया गया। इसलिए सील किया गया कि तुम नहर को साफ नहीं करते हो इसलिए पन्द्रह बीस हजार के कारखाने को सील कर दिया। मैं पूछता हूं, आप कहते हैं कि क्राईम की संख्या कम हो गई। कभी लोगों से पूछा कि क्राईम की संख्या क्यों कम हो गई। इसलिए कम हो गई कि एक जेब कतरे से पुलिस जो हिस्सा लेती थी उसकी जगह अब जेब कतरे के बजाय दो बणिये को पकड़ लाये और एक को पैसा लेकर छोड़ दिया और दूसरे को अन्दर रख दिया और आप कहते हैं कि क्राइम कम हो गया। बड़े क्राइम कम हो गए। कौनसा बड़ा पूंजीपति पकड़ा है आज तक। हमसे कहते हैं कि पूंजीपतियों के दलाल हैं। हम पूंजीपतियों के दलाल नहीं हैं। सरकार ने कितने पूंजीपतियों को पकड़ा है? यह साबित करता है कि आपके आदमी जो हैं सारे पूंजीपतियों के दलाल हैं। पूंजीपतियों ने जमीनें दबाई हुई हैं। मैं इतना ही कहता हूं और यह कहता हुआ आपसे निवेदन करूंगा कि आप अगर इसको पास करने जा रहे हैं तो मैं पास करने के हक में जरूर विरोध करूंगा और विरोध करता हुआ सख्त शब्दों में विरोध करता हूं। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप बाहर निकलो, पब्लिक तक पहुंचने की कोशिश करो, पब्लिक को समझो कि क्या कहती है। मैं अभी दिल्ली गया था दो चार दिन पहले। मुझे एक आदमी ने बताया, जो पुलिस का बड़ा अफसर था, उसने बताया कि पांच सात लड़के गुंडागर्दी कर रहे थे उनको पकड़कर थाने ले गए और उनको कहा कि तुमको मीसा में पकड़ कर रखेंगे। जब वे थाने के पास पहुंचे तो उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया कि इन्दिराजी की नीतियां सफल हों, इन्दिरा गांधी जिंदाबाद। जब

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

उनका नारा सुना तो कहा कि इनको क्यों पकड़ लाए, ये तो अपने ही आदमी हैं। इनको छोड़ दो। यह तो हो रहा है। मैं आपको ठीक बात बतला रहा हूं। मैं गलत बात नहीं कहता हूं। इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा कि आपका बहुमत है, पास करेंगे तो पास कर लो लेकिन पास करने के बाद में आप बाहर निकलने को तैयार हों। बाहर जाकर देखो कि क्या हो रहा है।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसे लोग तो यहां पर भी बैठे हुए हैं।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : पुलिस के, थानेदारों के राज झोंपड़ी के लोग सुनायेंगे। यही शब्द कहता हुआ मैं ज्यादा समय नहीं लेकर आपको कहता हूं कि पब्लिक आपसे खुश नहीं है। यह जो आप कहते हैं कि लोग खुश हैं और जिनको पकड़ लिया वे कहते हैं कि हम इन्द्राजी की नीतियों का समर्थन करते हैं वे वास्तव में समर्थन नहीं करते हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप बाहर निकल कर समझने की कोशिश करो। आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाइये पब्लिक साथ हो जायेगी। आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लायेंगे तो जैसा अभी अग्रवालजी ने कहा कि आपको समय मिला है। आप अगर अपनी नीतियों को लागू नहीं करते हैं तो आप भले ही इसको पास कर लें लेकिन जनता आपसे खुश नहीं है। आपको मौका मिला है, आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लायें तो शायद जनता आपके साथ हो जाय।

यही शब्द कहता हुआ मैं इस आर्डिनेंस का, अमेंडमेंट का सख्त विरोध करता हूं और बार बार विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीथिंग।

श्री जीथिंग (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सत्र संविधान के एक संशोधन पर अनुमति देने के लिए बुलाया गया है। आज देश में आपात स्थिति है। आपात स्थिति की घोषणा क्यों करनी पड़ी यह तो मेरे पूर्व वक्ताओं ने सदन में बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मैं भी इस सम्बन्ध में एक दो शब्द कहूंगा।

यह निश्चित बात है कि आपात स्थिति इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को देख करके लाई गई और सबसे ज्यादा भय गुजरात चुनाव से हुआ। दोनों बातें सत्तारूढ़ दल के सामने थी। अब यह देश को बचाओ, देश बचाने के लिए या देश में कु-संकट रोकने के लिए आपात स्थिति लाई जाती तो हम उसका समर्थन भी करते और उसका स्वागत भी करते। लेकिन यह आपात स्थिति कांग्रेस बचाओ के लिए लाई गई है। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं और इस आपात स्थिति का फायदा गलत तरीके से उठाया जा रहा है। पुलिस फोर्स के माध्यम से कर्मचारियों के माध्यम से सत्तारूढ दल के लोग विरोधी दल के लोगों को किसी न किसी प्रकार के सच्चे झूठे मुकदमे बना करके उनको जेलों में डाल रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे इलाके में बांसवाडा में, कुशलगढ़ क्षेत्र में ऐसे एक नहीं अनेकों मुकदमे बनाए गए और एक जगह तो यहां तक हुआ

(श्री जोशिंग)

है कि कमसे कम 15–16 साल के लड़के को इस तरह के एक आदमी की रिपोर्ट पर गिरफ्तार करके बन्द कर दिया गया और उसकी जमानत भी नहीं, मिलने के लिए नहीं और उनका कोई वकालतनामा लेने को जावें तो कोर्ट में मना। यह इस तरह की आपात स्थिति क्या यह विरोधी लोगों को इस तरह का षड्यंत्र करके, इस तरह का दबाव दे कर, इस प्रकार फोर्स करके आप अपनी कांग्रेस पार्टी को किसी तरह से बचाना चाहते हैं? बचा लें, लेकिन जनता इन सारी बातों को समझती है, उनके दिमाग में है और यह सारी बातें डायरी में नोट हैं। आखिर में इसके लिए समय आयेगा और समय आने पर देख ले जनता तो उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, 21 सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं। आपात स्थिति के लागू होने के पूर्व अगर प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी 21 सूत्री कार्यक्रम इस देश के अन्दर लागू करती तो आज हम उसका स्वागत करते और उनके कार्यक्रम में हम अपने कन्धे से कंधा मिला कर जो है मदद करते। लेकिन आज भी हम यह चाहते हैं कि अगर उस तरह का 21 सूत्री कार्यक्रम को उन्होंने इस देश में लागू करने के लिए घोषणा की है तो यह सिर्फ देश की जनता को धोखा देने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। मैं साफ कहूंगा कि यह धोखा है। यह धोखा एक बार पहले भी सन् 1971 में समाजवाद का नारा दे करके दिया गया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उन्होंने नारा दिया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से कितना फायदा गरीब लोगों को हुआ है। हमारे इलाके में जाकर देखिए जहां कम से कम 85 प्रतिशत आदिवासी लोग रहते हैं। कितने लोगों को बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद कर्जा दिया गया है। कितने खेतों का उत्पदन बढ़ाया गया है। आज वह दिन प्रतिदिन पिछड़ते जा रहे हैं और मैं तो पहले भी इस सदन में कई बार कह चुका हूं कि इन आदिवासियों को इसी तरह का धोखा दे करके उनको भीख मांगने का तरीका कांग्रेस सरकार के पास है, उनको उन्नति पर लाने का प्रस्ताव नहीं है। भ्रष्टाचार के विषय में आपको उदाहरण दूंगा कि आज इस आपात स्थिति के टाइम पर हमारी पंचायत समिति कुशलगढ़ जहां सोशलिस्ट पार्टी के पंच, सरपंचों की मेजोरिटी थी वहां पर प्रधान, कुशलगढ़ पंचायत समिति का प्रधान सोशलिस्ट पार्टी का था। उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिये सोशलिस्ट पार्टी के तमाम पंच, सरपंचों को एक महीने पहिले और आपात स्थिति लागू होने के तीसरे दिन उन तमाम सरपंचों को पुलिस के माध्यम से मीसा के अन्तर्गत पकड़ने की, जेल में बंद कर देने की धमकी देकर कांग्रेस दफ्तर में बिठाया गया और उनको आपात स्थिति का डर दिखाया गया, जेल में भेजने की धमकी दी गयी और उन सभी सरपंचों को 17 ही सरपंचों को परतापुर के गांधी आश्रम में रखा गया और उसके बाद पंचायत प्रशिक्षण शिविर उदयपुर में डबोक में जो चल रहा है वहां पर उनको रखा गया। वहां उनको खाने को भोजन, कपड़ा पहिनने को और पीने को शराब दी जा रही है। परतापुर में रोजाना शराब की बोतलें उनके लिये खोली गयीं। इस तरह से इन सरपंचों को डर दिखा कर वह

(श्री जीथिंग)

पर रखा जा रहा है और कांग्रेस को क्योंकि अपनी मेजोरिटी बनानी है और कांग्रेस को टिका रखना है, यह सब आपात स्थिति का नाम हो रहा है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगर आप भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हो, तो यह सारा काम क्या है। जनसंघ पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी को ही क्यों दबा रहे हो। आपने ही पूरी ताकत से भ्रष्टाचार को पनपाया है। विरोधी दलों ने गरीबों को नही पनपाया है। विरोधी दलों ने बेकारी को नहीं पनपाया है यह भ्रष्टाचार करने वाले कौन हैं, यह साफ है। जैसे ही मुख्यमंत्री बांसवाड़ा आये इन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को हिदायत दी कि तमाम सरपंचों को लेजाकर रखो। तो क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है। क्या यह भ्रष्टाचार के कार्य में नहीं आता है। गांधी आश्रम में रख कर उनको खाना खिलाना, पंचायत प्रशिक्षण शिविर में खाना, कपड़ा देना, यह सब कहां से आ रहा है। यह क्यों दिया जा रहा है? बच्चों का, प्रशिक्षण लेने वालों का राशन उनको खिलाया जा रहा है। उस राशन में राशन खिलाना अगर भ्रष्टाचार है तो मुख्य मंत्री को तुरन्त इस्तीफा देकर अपने पद से अलग हो जाना चाहिये।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि यहां पर वन मंत्री महोदय विराजमान हैं। कुशलगढ़ में किये गये अकाल राहत कार्यों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में शिकायत भी की गयी है। वन मंत्री महोदय के पास भी शिकायत आयी होगी मेरे ख्याल से, कुशलगढ़ में डूंगरा रेन्ज में एक लाख रुपये के राहत कार्य फारेस्ट विभाग की तरफ से कराये गये और यह कार्य किसी मेट से या पब्लिक मेन के जरिये से नहीं कराया गया। किसी मेट का सुपरवोजन नहीं था पब्लिक डिपार्टमेन्ट ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से यह राहत कार्य कराया और एक लाख रुपयों के इस राहत कार्य में करीब 40,000 रुपयों का घोटाला हुआ है। मंत्री महोदय, इस की जांच करें। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंची है। परन्तु आज तक कोई इन्क्वायरी नहीं हुई है। तमाम मजदूर इस बात को साबित करने के लिये तैयार हैं। अगर आप इसको भ्रष्टाचार मानते हैं तो मंत्री महोदय इस बात को नोट करें और इसकी इन्क्वायरी करें। दोषी अधिकारियों को सजा दें तो मैं समझता हूं कि न्याय के रास्ते पर आप जा रहे हैं वरना आप जनता को गुमराह कर रहे हैं इस 21 सूत्रीय कार्यक्रम के द्वारा। 27 वर्षों से आप जनता को धोखा दे रहे हैं और फिर आपकी मेजोरिटी है, बहुमत है। यह सदन बुलाते या न बुलाते अध्यादेशों के जरिये आप राज्य कर रहे हैं। अध्यादेश से ही आप काम चला सकते हैं। लेकिन वह समय नजदीक आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है और जनता भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मैं इस अमेन्डमेन्ट का घोर विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, विधि मंत्री महोदय ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं इस संकल्प को लेकर कतिपय माननीय सदस्यों के विचार आ चुके हैं और मैं उनके द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का दुबारा पिष्ट पेषण करूं यह अच्छा नहीं है।

(श्री दीपंकर)
मैं उभर कर आने वाले दो-तीन प्रश्नों की ओर आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बात सामने आई है कि इस संकटकालीन स्थिति का जो स्वरूप पैदा हुआ है उस से ज्यूडिशियरी पर कुठाराघात हुआ है, दूसरी बात यह आयी है कि जो मूलभूत अधिकार हैं, उनको दबाया जा रहा है । तीसरी बात यह है कि कांग्रेस को बचाने का इसके माध्यम से प्रयत्न किया गया । यह तीनों बातें ऐसी हैं, जिनके लिये सदन में कोई तरह की गलतफहमी न हो, उसके लिए मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा ।

जहां तक ज्यूडीशियरी का सवाल है, इसमें कोई शंका नहीं है कि हिन्दुस्तान में सेपरेट ज्युडिशियरी का अपना अलग कार्य-क्षेत्र है । वह कार्य करती है और उस पर कोई कुठाराघात नहीं किया गया है परन्तु जिस तरह अपने देश की परिस्थिति है, सामाजिक, मूल्य है सामाजिक स्थिति है और जिस तरह की यहां आवश्यकता है, उन बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोरी कानूनी बात की जाये, केवल कानून के ऊपर कार्य चलाया जाये तो इसके बारे में राजनीतिक दलों ने चिन्तन किया है । उसके बाद एक नया आन्दोलन सामने आया कि अमुक न्यायालय का दर्जा घटा दिया जाये, यह कोई राजनैतिक कारण होगा परन्तु सामाजिक आवश्यकता, देश की परस्थिति के अनुकूल यह किया गया । यह मानना होगा कि देश में एक यह स्थिति आई और साथ ही इस बात का भी आभास हो चुका है, यह मानकर चलना होगा और उससे पहले 12 तारीख को माननीय इन्दिरा गांधी का जो फैसला हुआ–यह निर्णय हुआ कि हिन्दुस्तान में भी सीमित डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अमेरिका की तरह चुनिन्दा प्रेसीडेन्ट हो और हिन्दुस्तान में भी अमेरिका की तरह ही पार्लियामेंट हो, तो इस तरह के फैसले सामने आने लगे और जनता में भ्रम हो गया । तो यह साफ हो गया कि दूसरे देशों की ऐजेन्सियां हिन्दुस्तान में करोड़ों रुपया लगा कर यहां की राजनीतिक पार्टियों के साथ मिल कर इस प्रकार का प्रचार, वातावरण बनाने लगी और हिन्दुस्तान की अदालतें भी इनके घेरे में आ गई और उसके परिणाम स्वरूप यह हालत पैदा हो गयी । बम्बई में 12 तारीख को जैसे ही श्रीमती इन्दिरा गांधी का फैसला आया विरोधी दल के लोगों ने लोगों को बड़ी खुशी के साथ हलुवा, पुड़ी बांटी, मिठाई बांटी । समझ में नहीं आता अगर किसी की इलेक्शन पिटिशन का फैसला आता है, उसमें अपील की गुंजाइश है तो उसके लिये इस प्रकार का वातावरण पैदा करने की क्या आवश्यकता है? राजनैतिक दलों की विशेष कर विरोधी दलों की नाराजगी हो सकती है, परन्तु इन दलों के नेता राजनैतिक नाराजगी को पूरा करने के लिए इस तरह से कार्य करें, जब जनता के सामने ये गये तो जनता ने इनको ठुकरा दिया और इन्होंने यह दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया और सब दलों ने मिल कर जनता को गुमराह किया, जनता का शोषण किया । पता नहीं क्या हो गया, यह भ्रम पैदा किया जा रहा है कि स्वतन्त्रता हर ली गई है, तो यह बात गलत है ।

(श्री दीपंकर)

संविधान में हमने यह भी माना है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को रहने के लिए मकान देंगे, जमीन देंगे, काम देंगे, उनकी दवा-दारू का बन्दोबस्त करेंगे। अगर कोई राजनैतिक दल चेष्टा करके उसको पूरा करने का कार्यक्रम न बनाये तो उसकी आलोचना करें और अगर बनता है तो बनाने के बाद उसको पूरा नहीं करने दें। राजस्थान गवर्नमेंट ने लेवी का काम हाथ में लिया तो विरोधी दल जो यह कहता है कि हमने कब इन कार्यक्रमों का विरोध किया तो अभी वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब कि लेवी लेने का जनसंघ ने विरोध किया और किसानों से कहा कि लेवी मत दो। जनहित के कार्यक्रमों का आपने विरोध किया। गेहूं के राष्ट्रीयकरण को लेकर हरेक बात को लेकर इस प्रकार का वातावरण बनाया सरकार के विरुद्ध, कांग्रेस के विरुद्ध कि सरकार के सामने इन्दिराजी के सामने कोई प्रस्ताव नहीं रह गया था। एक ऐसा वातावरण बनाया जाय, श्रम की प्रतिष्ठा बनाई जाय, धन और जमीन का बंटवारा करें। यह बड़ी टेढ़ी खीर है। समाजवादी पार्टी के एक माननीय सदस्य ने यह बताया कि हम लोगों के पास काफी प्रापर्टी है तो उसके लिए हमारे नेता ने हमारा खुलासा मांगा है। आप घबराये नहीं। वह हमें भी देना पड़ेगा। इस इमरजेन्सी के पीछे एक राजनैतिक आधार है कि कुछ लोग विदेशी तत्वों के साथ मिलकर कुछ राजनैतिक पार्टियों ने जनता में भ्रम फैलाकर यह चाहा था कि सरकार पर कब्जा कर लें और कांग्रेस को बदनाम कर दें। इसमें माननीय जनसंघ के सदस्य ने फरमाया था कि 8-10 हजार स्वयं सेवक इन्दिराजी के बंगले पर जाकर प्रदर्शन कर देते तो क्या हो जाता, यह बात नहीं है। उनका इरादा यह था कि किस तरह से हिन्दुस्तान की सरकार को गिराने के लिए किन्हीं को कत्ल कराने के लिए जैसा कि हम मिश्रा जी को खो चुके हैं, कई नेताओं की हत्या का षडयन्त्र था। इमरजेन्सी इसलिए नहीं लाई गई कि इसके पीछे केवल कांग्रेस को बचाने का प्रश्न था। कांग्रेस बची हुई है। कांग्रेस के पास में बड़े त्यागी आदमी हैं। कांग्रेस के पास कार्यक्रम है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कांग्रेस अपना कार्यक्रम पूरा न कर लें अच्छा कार्य-क्रम है उसको पूरा न कर और जनता में गलत फहमी पैदा कराई जाय और कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में लगे रहने के कारण जनता का शोषण करने के लिए, दुकानदारों के साथ मिलकर और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर उनमें कुछ अच्छे हैं बाकी अधिकांश जो हैं उनके साथ मिलकर सरकार के कार्यक्रम को पूरा नहीं करने देना चाहते थे।

21 सूत्री कार्यक्रम में बैंकों के जरिये हर आदमी को पैसा दिलाने की व्यवस्था है। यह गरीबी मिटाने का सही कदम है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह 21 सूत्री कार्यक्रम उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक कि कार्यक्रम का विरोध करने वाले लोगों को रोका न जाय, और वह तभी रोका जा सकता है जब कि इस प्रकार की विशेष व्यवस्था की जाय।

(श्री दीपंकर)

देश में साम्प्रदायिकता न फैले इसलिए आर. एस. एस. के लोगों को गिरफ्तार किया। घर में आग लगे तो आप सबसे पहले रोकड़ और जेवर लेकर भागेंगे। यहां पर जो आर. एस. एस. के आफिस पर छापा मारा तो बहुत बड़ी तादाद में फाइलें गायब थीं, खजाना गायब था और एक अलमारी में 10 हजार रुपये रह गये। तो इनको कितने हजारों रुपये मिले होंगे वह इस बात से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि विदेशों से और देश के समाज विरोधी ताकतों से वह इकट्ठा होकर आया होगा प्रगतिशील पार्टियों और उनके सामूहिक कार्यक्रमों को फेल करने के लिए। वे इस देश का विभाजन करना चाहते थे और इस देश के टुकड़े करना चाहते थे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) वे कांग्रेस सरकार को बदनाम करना चाहते थे और जो कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना चाहते थे तो सरकार के लिए यह लाजिमी था कि इस देश को बचाना है तो उन्होंने इमर्जेन्सी लागू की। इमर्जेन्सी को इस रूप में लिया जाय। स्वतन्त्रता छीनी गई है यह बात गलत है। कतई स्वतन्त्रता नहीं छीनी गई है। हमारे संविधान ने जो गारंटी दी है सब नागरिकों को रोटी देंगे, जमीन देंगे, वह उस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक ये रुकावटें डालते हैं। जिस तरह से राजस्थान गवर्नमेंट ने भू-खण्डों को बांटने के लिए टोलियां बना बनाकर सामूहिक कार्यक्रम अपनाकर उसको पूरा किया था उसी तरह से इस 21 सूत्रीय कार्यक्रम को पूरा करेंगे। शहरी सीलिंग और उसके साथ-साथ धन और धरती के बंटवारे का पार्टी ने जो एक तरीके से कार्यक्रम चलाया है उसमें हम उनका पूरा सहयोग चाहेंगे। आपके प्रति सरकार और कांग्रेस पार्टी की कोई बुरी भावना नहीं है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) देश की उन्नति के लिए आपका सहयोग चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कथूरिया।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे आपातकालीन स्थिति 26 जून को घोषित की गई थी, और उसके पश्चात् पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया तो जो इस समय सदन के समक्ष प्रश्न है वह एक सीमित दायरे का है कि इमर्जेन्सी को न्यायपालिका में क्वेश्चन किया जा सकता है या नहीं इस आपतकालीन स्थिति के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार अलग अलग तरीकों से रखे हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगी। सिर्फ कुछ मुद्दों पर जो मेरे विचार हैं वह इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगी। आपातकाल एक राजनैतिक परिस्थिति है। कोई न्यायालय इस बात को तय नहीं कर सकता है कि आज इस देश में आपातकालीन स्थिति है या नहीं। इसलिए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका का इसमें दखल न हो। वह नहीं रखा जाय इसलिए नहीं कि न्यायपालिका के किसी अधिकार का हनन हो या उसके अधिकारों को कम किया जाय। इसको अगर हम लोग देखें तो कानून जनता के लिए बनते हैं, जनता के हित के लिए बनते हैं। एक लकीर की फकीर बनकर न्यायपालिका जो कभी कभी फैसला करती है तो वह प्रगतिशील युग में हमेशा के लिए नहीं चल सकता है। समय परिवर्तनशील है और समय के साथ इन्सान को बदलना पड़ेगा।

(श्रीमती कांता कथूरिया)

किसी ओल्डेस्ट मोडल को फॉलो करके बिना समाज की आवश्यकता को मद्देनजर रखे अगर काम करते रहे तो यह एक गलत व्यवस्था होगी।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कुछ बातें यहां पर कहीं गई जैसे कि प्रजातन्त्र का हनन हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इससे अधिक प्रजातन्त्र क्या हो सकता है कि पार्लियामेंट को काल किया गया, विधान सभा को काल किया गया हो, और हमारे संविधान ने जो प्रोसीजर ले डाउन किया है उसी प्रोसीजर के तहत कार्यवाही की जा रही है। यह नहीं किया है कि कानून को ताक में रखकर कोई डिक्टेटरशिप से प्रश्न हल किया गया हो। ऐसी व्यवस्था यहां पर बिल्कुल नहीं हुई है। सबसे बड़ा इसका सबूत तो इस बात से है कि पार्लियामेंट को बुलाया गया है, विधान सभा को बुलाया गया है और कानून के तरीके से कानून को इन्टरप्रेट किया जा रहा है।

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि फण्डामेण्टल राइट्स की तरफ हमने ख्याल किया है। प्रिवीपर्स जब बन्द किया गया तो कई लोग जो कि बड़े लोग थे, न्यायपालिका में क्योंकि गरीब लोग तो न्यायपालिका में जा नहीं सकते। वहां जाकर उसको उन्होंने चैलेन्ज किया, और न्यायपालिका की जो व्यवस्था इस देश में है वह कतई पुरानी है। उसकी वजह से जो प्रगतिशील कदम शासन उठाना चाहता था वह नहीं उठा सका। यह एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। यदि एक व्यक्ति का प्रश्न हो और उसमें 10 साल भी लग जाय तो एक बात हो सकती है हालांकि उसमें भी इतना समय नहीं लगना चाहिए। देश की ऐसी परिस्थिति में न्यायपालिका से कोई स्टे मिल जाय और न्यायपालिका में जल्दी नहीं हो सके तो हम प्रगतिशील कदम नहीं उठा सकते है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इमर्जेन्सी को लागू किया है तो कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं आई। बड़े-बड़े लोगों का सवाल है वह इस देश की स्थिति को देख रहे हैं। वह चाहते हैं कि किसी तरह से यहां पर अराजकता फैले, किसी तरह से ऐसी व्यवस्था हों कि शासन जो प्रगतिशील कदम उठा रहा है उनमें रुकावट पैदा हो। न्यायपालिका में जाकर किसी तरह का स्टे ले आये कि इमर्जेन्सी लागू जो की गई है उसकी इस देश में जरूरत है या नहीं, तो इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए न्यायपालिका के जुरिस्डिक्शन से इसको बाहर करें। इमर्जेन्सी जो कि एक राजनैतिक परिस्थिति है यह जनता के लिए देखने वाली बात है या जो जनता के प्रतिनिधि है उनको इस बात को देखना है अगर इस तरह की स्थिति देश के अन्दर है तो ऐसी स्थिति में किस तरह से चल सकते हैं। इससे हम जहां तक यह बात कहते हैं कि न्यायपालिका के अधिकार का हनन किया जा रहा है वह गलत बात होगी। मैं बिल्कुल उचित मानती हूं कि यह जो अमेंडमेंट हम लोगों के समक्ष आया है उसको हमें निर्विरोध पास करना चाहिए, और यह कहकर कि न्यायपालिका के अधिकारों का हनन कर रहे है उसको रोकना नहीं चाहिए। वह एक गलत बात होगी।

जहां तक प्रजातन्त्र का सवाल है इस भारतवर्ष देश में संसदीय प्रजातन्त्र रहा है। इसकी जड़ें इतनी गहरी है कि हमने इन

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

27 सालों के अरसे में देखा है कि विपक्ष को कितना मौका इस देश में किया जाता है कि इतना काफी बहुमत होने के बावजूद कभी भी इस बात की हमने कोशिश नहीं की कि कोई भी कानून सदन के समक्ष आया है उसको जल्दी से पास करा लें क्योंकि हमारे पास बहुमत है।

हर दल की पार्टी को पूरा पूरा मौका दिया गया है कि वह अपने अपने विचार रखें। आज जब कि विपक्ष का बहुमत नहीं रहा है लेकिन फिर भी उन को मौका दिया गया है कि वह अपने विचार रखें। उन्होंने विचार रखे हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रजातन्त्र में विपक्ष को मौका नहीं मिला है। मौका बराबर दिया है। जब श्री लालबहादुर शास्त्री, प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने भी विपक्ष को मौका दिया। उनके साथ में बैठकर विचार किया है। श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने भी उस परम्परा को कायम रखा है। चुनाव प्रणाली के बारे में भी विपक्षी दल को बुलाकर उनके साथ बैठकर बात की जाती है। अतः यह कहना कि विपक्ष को मौका नहीं दिया जाता है। यह गलत है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

विपक्ष इसलिए है कि प्रजातन्त्र प्रणाली में विपक्ष रहे। लेकिन हमने देखा है, पिछली बार सदन में जोधपुर काण्ड आया था। मैं खेद के साथ कहना चाहती हूं कि जोधपुर काण्ड कोई अहमियत नहीं रखता था। लेकिन जोधपुर काण्ड चला। सारा हाउस इस तरह से भरा हुआ था जैसे कि वह कोई बहुत ही अहम मसला हो। लेकिन जब फेमिन का सवाल आया गया तो हाउस में कोरम भी नहीं था। जनता की मुसीबत का प्रश्न जब आया तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पहले की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में अन्तर आया है। समस्तीपुर बमकाण्ड हुआ। सुप्रिम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर बम फेंकना। वह हमारे सामने हैं। आनन्दमार्गी और दूसरे लोग ऐसे कार्य करें। प्रधान मन्त्री से यह कहा जाये कि इस्तीफा दे दो। आज भी एमरजेंसी में किस प्रकार से काम कर रही है। पहले भी इमरजेन्सी थी। तब बाहर से खतरा था। आज अन्दर से खतरा है। हमने देखा कि बाजारों में भाव गिरे है। करप्शन कम हुआ हैं। यह सारी बातें अच्छे वातावरण को पैदा करती हैं। इसलिए किसी को यह कहना नहीं चाहते हैं। कोई यह कहे कि वह बोल नहीं सकता है, यह नहीं है। अगर बोल नहीं सकते हैं तो आज सदन में विचार कैसे व्यक्त किये हैं। प्रेस के बारे में कहा गया है कि पहले साहूकारों के थे। अब वह स्टेट के हो गये हैं। हम यह बातें सुनना बहुत पसन्द करते हैं। कोई भी ऐसी खबर हो। फलां लड़की के साथ यह हो गया, वह हो गया। जो खबरें पहले नहीं छपा करती थीं, वह आज आती हैं। आज जो खबरें आती हैं, वह अच्छी खबरें देते हैं। आप यह कहते है कि यह शासन की खबरें हैं। एमरजेंसी में ऐसी कोई रोकटोक नहीं लगी है। कई माननीय सदस्यों ने कई कई कारण बताए हैं। मैं उनको दुहराना नहीं चाहती हूं। मैं यह कहना चाहती हूं कि यह जो संकल्प है, यह न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं है। अतः इसको पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री जी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : नो, नो । माननीय सदस्य ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नाम तो नहीं लिया था । कुछ शब्द कहना चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प है, संकल्प के पक्ष में और संकल्प के विपक्ष में विचार का विषय था किन्तु इस संकल्प तक आज का वाद विवाद सीमित नहीं रहा है। बल्कि वाद-विवाद संकल्प के दायरे से काफी आगे चला गया है ।

(4.25 म. प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, संकल्प का दायरा तो वास्तव में यह है कि एमरजेंसी घोषणा हो अथवा नहीं हो। किन्तु वाद-विवाद का दायरा यह हो गया है कि 26 तारीख को इस देश के अन्दर आपातकालीन स्थिति की जो घोषणा की गई है, वह उचित थी अथवा नहीं । यह बहुत वाजिब है। यह इन्दिरा गांधी की प्रतिष्ठा से सम्बन्धित है। अथवा देश के बृहद् हित में है। इन सब बातों को यहां पर लाया गया है । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ मुद्दों के ऊपर राज्य सरकार के और अपने पक्ष को प्रस्तुत करना है ।

अध्यक्ष महोदय, यह दलील दी जा रही है कि अगर कुछ दल जुलूस बनाकर इन्दिरा जी के मकान के सामने प्रदर्शन करते तो क्या प्रलय हो जाता । निश्चित रूप से लाठी चलती । गोली चलती । कुछ लोग मारे जाते । इससे ज्यादा कुछ नहीं होता । 29 तारीख को आप तख्ता पलट सकते थे, ऐसा मैं नहीं मानता । और, यह स्पष्ट है मेरे मन में कि एमरजेंसी की घोषणा 29 तारीख को विरोधियों के प्रदर्शन को ध्यान में रखकर नहीं लगाई गई है । एमरजेंसी की घोषणा इस देश के अन्दर सन् 1972 के बाद में जो एक निरन्तर वातावरण बनता जा रहा है, उसकी कण्टीन्युटी या उसका एक पार्ट है। अध्यक्ष महोदय, कोई यह कह सकता है और मैं उनके कहने को उचित भी मान सकता हूं कि जब आप यह जानते थे कि स्थितियां खराब से खराब होती चली जा रही थी, तब आपने एमरजेंसी की घोषणा इतनी देर से क्यों की । बहुत मुमकिन है, हम से गलती हुई हो, आपको दरगुजर करने के अन्दर बहुत मुमकिन है हमने ज्यादा उदारता बतलाई हो । और, बहुत मुमकिन है, आपको समझने में भी हमें किसी जगह भूल हुई हो । और, इसीलिए हमारा फैसला जो आपको लगता है कि यह फैसला बहुत देरी से हुआ है । तो मैं इस देरी के लिए अफसोस जाहिर कर सकता हूं । किन्तु अध्यक्ष महोदय, इस देश की जनता ने श्रीमती इन्दिरा गान्धी को विपुल बहुमत दिया । और, यह चाहा कि वे अपने कार्यक्रम को पूरा करायें । यहां पर बहस हो रही है इस बात की कि देश के संविधान के प्रतिकूल, जो हमारे फण्डामेण्टल राइट्स हैं उनको कर्ब किया जा रहा है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं फण्डामेन्टल राइट्स उस पढ़े

(श्री हरिदेव जोशी)

लिखे और बुद्धि जीवी के लिये ही है अथवा उस साधारण अन्धेरे कोने में बैठे हुए लोगों के लिए भी है। फन्डामेन्टल राइट्स उस गाली देने वाले के लिए हैं और जिसको जनता ने बहुमत में चुनकर भेजा है उसके लिये नहीं है। फन्डामेटल राइट्स उस अखबारनबीस के लिए हैं जो कुछ लिखना चाहता है कि उन लोगों के लिए भी है जो हमारी जिन्दगी में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं और हम कुछ कर दिखाना चाहते हैं। डेमोक्रेसी के माने प्रजातान्त्रिक तरीके से जुल्म करके बहुमत की सरकार को काम नहीं करने देना है क्या? क्या यह फन्डामेन्टल राइट्स हैं क्या? क्या उस आदमी को कोई फन्डामेन्टल राइट नहीं है जिसको एक लाख आदमियों ने चुनकर भेजा है। कौन पावर फुल है, आज किसमें पावर है, जनता में है अथवा पालियामेंन्ट में। सुपरीमेसी किसकी है, पालियामेन्ट की है अथवा एक आदमी की है। किसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। पालियामेन्ट की आवाज अन्तिम है, पालियामेन्ट की राय अन्तिम है अथवा कुछ मुट्ठी भर लोगों की। अगर इस देश के अन्दर पालियामेन्टरी डेमोक्रेसी है तो अध्यक्ष महोदय, पालियामेन्ट एक बार एक ही फैसला करने की है, उसका इन्टरप्रीटेशन भी पालियामेंट ही करती है। वह यह फैसला करती है कि इमर्जेन्सी जस्टीफिएबल नहीं है तब फिर वह जस्टीफिएबल नहीं है। कान्स्टीट्यूशन की कुछ धाराओं में जिसको हमारी कान्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली ने स्वीकार किया है उसमें हमारे फन्डामेन्टल राइट्स भी दिये हुए हैं–लेखन की स्वाधीनता भी है, व्यवसाय, व्यापार और विचरण की स्वाधीनता भी है और उसी कान्स्टीट्यूशन के एक चेप्टर के अन्दर यह भी दिया गया है कि जब राष्ट्रपति यह महसूस करे कि देश के अन्दर ऐसे हालात पैदा हो गये हैं कि जिससे जो पहले दिये हुए फन्डामेन्टल राइट्स हैं उनके ऊपर कोई पावन्दी लगायी जानी चाहिए वह पावन्दी लगाई जानी चाहिए। वह कान्स्टीट्यूशन दूसरा है और यह कान्स्टीट्यूशन दूसरा है, ऐसी बात नहीं है। जिस कान्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली ने उस फन्डामेन्टल राइट्स को स्वीकार किया है उसी कान्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली ने यह भी स्वीकार किया है कि देश के अन्दर हालात पैदा करे कि जो अधिकार आम समय के अन्दर किये गये हैं उन अधिकारों पर पावन्दी भी लगाई जा सकती है और जब पाबन्दी लगायी जा सकती है तो उन लोगों ने फैसला किया है और आज उनके खिलाफ आवाजें खड़ी की जा रही हैं, तब फिर मुझे मीठा मीठा लगता है उसको तो खाता चला जाऊं और कड़वा लगता है उसको थू-थू करता चला जाता है। आप कहते हैं क्या हालात पैदा हो गये हैं इस मुल्क के अन्दर। गुजरात के अन्दर महंगाई के नाम पर, शिक्षा में परिवर्तन के नाम पर, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर विधान सभा को भंग करवाया फिर बिहार के अन्दर आपने वहीं मांग की और माननीय सदस्यगण, आपके सारे अखिल भारतीय नेताओं ने अपील जाहिर की और आपकी पार्टी के लोगों ने इस्तीफे नहीं दिये। आपको अपनी पार्टी को भंग करके राजनीति से सन्यास ले लेना चाहिए, आपने यह तो नहीं किया, आपने एक्स्ट्रा पालियामेन्टरी एक्टिविटीज अख्तियार करके विधान सभा के सदस्यों का घेराव शुरू किया। पटना के गांधी मैदान से

(श्री हरिदेव जोशी)

फतवा आया और वह फतवा यह आया कि कि तुम्हारे कहने से इस्तीफा नहीं दे तो गाल पर चपत मारो यह हिंसा नहीं है। कितने राजनीतिक दल हैं इस देश के अन्दर जिन्होंने सामूहिक रूप से इस अहिंसा की थ्योरी को अस्वीकार किया हो और यह कहा हो कि चुने हुए प्रतिनिधियों के गाल पर चपत मारना हिंसा है, किसी ने कहा है। कई लोगों ने अनविलिंगली इस्तीफे दिये डेमोक्रेसी के नाम पर कई लोगों की यह हालत पैदा हो गई कि विचरण नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते। उस समय पटना के बाजार के अन्दर कांग्रेस का कोई एम. एल. ए. घूम नहीं सकता था। मुट्ठी भर लोगों की जिन्दगी हराम कर दी। आज आप फन्डामेन्टल राइट्स की दुहाई देते हैं, फन्डामेन्टल राइट्स की बात करते हैं और जब प्रमोद रावल के घर पर मार्क्सिस्ट पार्टी ने आग लगाने की कार्यवाही की, ऐसी एक्स्ट्रा पार्लियामेन्टरी एक्टीविटि की हम निन्दा करते हैं। पूरे गुजरात में, इलेक्शन के अन्दर पत्थर बरसाकर, इन्दिरा गांधी पर चप्पलें फेंककर, जगजीवनराम का सर फोड़कर और तारकेश्वरी सिन्हा को घायल करना यह सब क्या है ? कोई भी आदमी गुजरात में गया हो उसने देखा है कि कांग्रेस की एक भी नीति सक्सेसफुल नहीं होने दी है, डेमोक्रेसी के नाम पर। जयप्रकाशनारायण भी कहते हैं, आप लोग प्रस्ताव पेश करते हैं और सब कहते हैं कि माइनोरिटी वोट्स के ऊपर कांग्रेस शासन में आकर हावी हो गई है। गुजरात में उनको 36 पर्सेन्ट वोट मिले और कांग्रेस को 42 पर्सेन्ट मिले उसको एनालाइज नहीं किया। अगर मोहरसिंहजी चुनाव जीत जाय तब तो प्रजातन्त्र की जीत और हरिदेव जोशी चुनाव जीत जाय तो प्रजातन्त्र की जीत नहीं है ! अगर आपकी यही प्रजातन्त्र है तब फिर आप कैसे प्रभावित कर सकते हैं मेरे मन को। गुजरात के अन्दर झूठे बैलेट पेपर के नाम पर कितना प्रचार हुआ, उस आदमी ने आज तक इलेक्शन पीटीशन कर रखी है और पहले जो जो चुनाव कांग्रेस जीती, रूस से स्याही आ गई थी जिससे हो गया था, इनविजिबल इन्क आ गई। यह आर इस आधार के ऊपर आप मुझे प्रभावित करना चाहते हैं। आप इस देश के इतिहास को थोड़ा उठाकर देखने की कोशिश करें। इस देश के अन्दर विचार भेद रहे हैं और हमने डेमोक्रेसी को स्वीकार किया है, बहुत सोच समझकर स्वीकार किया है। भूतकाल में भी विचार-भेद रहा है किन्तु एक सीमा तक। जहां कहीं भी उन सीमा का अतिक्रमण हुआ है उसके बाद में उसको रोकने की कोशिश की गई है। आज 1972 के इलेक्शन के बाद में एक आर्थिक कार्यक्रम को लेकर इन्दिरा गांधी आयीं। मुझे क्षमा कीजियेगा, अगर मैं कड़वी बात आपसे कहूं तो, मैं सब लोगों की बात नहीं कहता मगर इस देश के अन्दर अपोजीशन इरस्पान्सिबल साबित हुआ है, मुझे क्षमा करें आप। एक आर्थिक क्राइसिस में से मुल्क गुजर रहा है, उस आर्थिक क्राइसिस को पकड़ना चाहती हैं, अरेस्ट करना चाहती हैं गवर्नमेंट पार्टी तो आपोजीशन जैसे इस देश का वासी नहीं, जैसे आर्थिक क्राइसिस से लेना-देना नहीं है। लेकिन वेज रिवीजन की मांग करेंगे तो इस विधान सभा में, पार्लियामेन्ट में आकर उसका समर्थन करेंगे। इस विधान सभा के अन्दर दृश्य उपस्थित हुआ

(श्री हरिदेव जोशी)
है, पार्टी नेता अपनी पार्टी के उप नेता का विरोध करके खड़े हुए हैं--इस तरह वेज रिवीजन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचने का मौका देना चाहिए। लेकिन यह रेग्रर कैसेज में हुआ है जब सीधा अपोजीशन किया हो। कर्मचारी मांग करें कि ग्रेड रिवाइज कर दो, टीचर मांग करें कि ग्रेड रिवाइज कर दो, स्टूडेंट मांग करें अमुक चीज कर दो, तो इस देश के साधारण नागरिक को पीने का पानी न मिले लेकिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनमें से दस विद्यार्थी खड़े होकर मांग करें कि हमारे यहां स्वीमिंग पूल होना चाहिए तो राजनैतिक उनके साथ होकर, जुलूस में शामिल होकर यह कहे, विद्यार्थी हैं, इनकी कोई न कोई मांग स्वीकार होनी चाहिए। आखिर इस देश को चलाना चाहते हैं किस तरह। आप कहते हैं, क्या रोड़े अटकायें हैं। इससे ज्यादा क्या रोड़ा हो सकता है। रात को घर पर बुलायें, पार्टी आफिस पर बुलायें और बुला कर डिमाण्ड चार्टर खड़ा करें और फिर विधान सभा में आकर रोड़े अटकायें। इससे ज्यादा रोड़ा क्या हो सकता है। देश को दिवालिया बनाने के लिए रेल्वे में स्ट्राइक करायें और देश में उन रेल्वे स्ट्राइक को सक्सेसफुल करने के लिए सारे देश को मोबिलाइज करें। जब रूलिंग पार्टी उसके खिलाफ खड़ी होवे तो गद्दार करार देने की कोशिश करें। हमें इस देश के अन्दर जितनी छूट दी गई है, शायद किसी मुल्क में इस प्रकार की छूट मिली हो। मैं कह सकता हूं कि इन्दिरा गांधी ने जितना वर्दाश्त किया है उतना वर्दाश्त शायद ही किसी नेता ने किया हो। मैं कहना नहीं चाहता था, हमने क्या छोड़ा है उनको जलील करने में, क्या कसर बाकी रही है। उनके खुद के व्यक्तिगत जीवन को लेकर जलील करने की कोशिश की है, उनके जीवन को लेकर जलील करने की कोशिश की है, उनके बच्चों को जलील करने की है, उनके पुत्र वधु को जलील करने की कोशिश की है, उनकी राजनैतिक कार्य प्रणाली को लेकर जलील करने की कोशिश की है, और तो और नेहरू परिवार गांधी की हत्या करने वाला है—यह भी हमने लिखा है, और तो और लाल बहादुर शास्त्री की हत्या नेहरू परिवार ने कराई है—यह भी लिखा, और तो और एल. एन. मिश्रा की हत्या इन्दिरा गांधी ने कराई है यह भी लिखा है, और कोई जेल में मर जाय तो उसकी हत्या इन्दिरा गांधी ने कराई है यह भी हमने लिखा है। यह लाइसेन्स लेकर जनता में मतिभ्रम पैदा करना चाहते हैं, जिस जनता ने टू थर्ड से ज्यादा बहुमत देकर इन्दिरा गांधी को इन्स्टाल किया, यह लाइसेन्स लेकर आप चाहते हैं उस इन्स्टालेशन को खत्म करना, फिर कहते हैं, हमने क्या रोड़ा अटकाया है।

मोहर सिंह जी, मैंने सुना था कि कम्युनिस्ट पोलिटेरिट की डेमोक्रेसी चाहते हैं...

श्री मोहरसिंह : आप क्या चाहते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं देख रहा हूं, कौन बोल रहा है...

श्री मोहरसिंह : आप बुर्जुआ पूंजी वादी डेमोक्रेसी चाहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : कोई पोलिटेरियन का वफादार बोल रहा है अथवा पूंजीपति

(श्री हरिदेव जोशी)
का कोई दलाल बोल रहा है यहां पर। आप सोचने की कोशिश कीजिये मेहरबानी करके। जब आप मेरी आत्मा जगाने की बात कहते हैं इसलिए कि राजाशाही के खिलाफ संघर्ष करने में आप और मैं साथ थे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज की तारीख में मैंऔर मेरी पार्टी अधिनायकवादी विचार नहींरखती है, आज की तारीख में हम लोग फण्डामेंटल राइट खत्म नहीं करना चाहते हैं....

श्री मोहर सिंह : इससे ज्यादा अधिनायकवाद क्या है कि एम. एल. एज. को गिरफ्तार कर प्रस्ताव पास कराते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कुछ आदमियों को गिरफ्तार करने से विद्यार्थी खूब अच्छी तरह कालेजों में पढ़ाई करते हैं, अगर कुछ आदमियों को गिरफ्तार करने से कर्मचारी अच्छी तरह से काम करते हैं, अगर कुछ आदमियों को गिरफ्तार करने से ब्लेक मार्केटिंग बन्द होता है, डी होर्डिंग होता है...

श्री मोहर सिंह : अरबपति और करोड़पति बाहर हैं।

श्री हरिदेव जोशी : (अश्रव्य: व्यवधान) इस तरह का कदम आज से पहले न लिये जाने की गलती महसूस करता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी इसमें विश्वास रखती है (व्यवधान) आप (श्री मोहरसिंह से) पार्लियामेन्ट्री मैनर्स रखने की कोशिश करें।

श्री मोहर सिंह : प्रोपर मेरा नाम लिया है इसलिए कह रहा हूं, इसलिए जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री फूल चंद जैन : जवाब क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे मालूम है, आपमें बर्दाश्त नहीं है। मुझे मालूम है कि आपकी पार्टी में बर्दाश्त नहीं है।

श्री मोहरसिंह : मुझे बर्दाश्त है सही चीज की। 1969 में रिवाज डाली की बनी हुई गवर्नमेंट को (व्यवधान : अश्रव्य) उसे शुरू किया और दूसरे को दोष दे रहे हो।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिए, अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य यहां पर खड़े होकर के इस संकल्प का विरोध करते हैं तो मेरे मन में यह होता है कि दरअसल में उनकी फीलिंग जेनुइन नहीं है। इस संकल्प को लाने का कारण केवल एक मात्र यह है कि हमारी जुडिसियरी का एक तरीका हो गया है, जो चीज स्पष्ट रूप से लिखी हुई नहीं है, उसको वह अपने ढंग से इन्टरप्रेट करते हैं। हमारे कान्स्टीट्यूशन में यह साफ लिखा हुआ नहीं है। महारावल साहब ने कहा, 1935 से लेकर आज तक एमर्जेन्सी को किसी कोर्ट ने जस्टिसेबल है—ऐसा नहीं कहा है। नहीं कहा, यह सही है लेकिन फिर जस्टिसेबल है या नहीं— यह लिखा हुआ नहीं है इसलिए साफ कहने की जरूरत है, जस्टिसेबल नहीं है ताकि डाउट न रहे। इसका कारण क्या है? कारण यह है, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मुल्क के अन्दर 185, 184 विदेशी स्मगलर पकडे गये, पकडे जाने को थे किन्तु यहां की अदालतों ने उनको एन्टीसिपेटरी बेल दे दी और उनमें से 84 आज भी भाग चुके हैं, वह एक्सकोंड कर चुके हैं, नहीं आ रहे है पकड़ में। हम एक

(श्री हरिदेव जोशी)

तरफ स्मगलिंग रोकना चाहते हैं, हम एक तरफ डी-होर्डिंग करना चाहते हैं, दूसरी तरफ अदालतें जो हैं वह इन सोशल क्राइम के लिए कहते हैं, केवल अमुक लाइन बिटविन लाइन्स पढ़ना चाहते हैं, वह सोशल जस्टिस को यह कहते हैं कि अगर ठीक ठीक स्पष्ट लिख दें तो ठीक ठीक पढ़ें। अदालतें जब कहती हैं, ठीक ठीक लिख दें तो ठीक ठीक पढ़ेंगे तब फिर ठीक ठीक लिखने में गुनाह क्या है। जो चाहते हैं वह करें। मैं महारावल साहब से निवेदन करना चाहता हूं जब आप इस बात में विश्वास करते हैं कि एमरजेन्सी डिक्लेअर करने का जुडिसियरी का काम नहीं है। उस पर विचार करना जुडिसियरी का काम नहीं है, उस पर फैसला करना जुडिसियरी का काम नहीं है, तो मैं भी यह कहता हूं, आप भी यही कहते हैं, मैं और आप एक बात कहते हैं, तो आपका विरोध क्या है इसमें लिखने के बारे में...

श्री **लक्ष्मणसिंह** : मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं, प्रासीक्यूशन में कमी होगी, टेन्बिलिटी में कमी होगी। अध्यक्ष महोदय, जब पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई हुई और संकटापन्न स्थिति घोषित की गई तो तहेदिल, तन मन धन से हमने सरकार का साथ दिया हर वक्त सरकार का साथ दें यह आवश्यक नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं कहता नहीं हूं।

श्री **लक्ष्मणसिंह** : मुख्य मंत्री को अधिकार है लेकिन संकटापन्न स्थिति के ऊपर संकटापन्न स्थिति घोषित की गई है।

श्री **हरिदेव जोशी** : यह सही है मैं एक बात दोहरा रहा हूं। आपने कहा है। उसी बात को दोहरा रहा हूं। आपने यह कहा कि एमर्जेन्सी जस्टिसेबल नहीं होनी चाहिए। एमर्जेन्सी घोषित करना पालिटिकल डिसीजन है। हम इसको कान्स्टीट्यूशन में क्लीअर कर लेना चाहते हैं। फिर आपके और हमारे बीच में मतभेद क्या है। फण्डामेंटल चीज के ऊपर। इसलिए जिन लोगों के बीच में मतभेद है मैं केवल उन्हीं की बात कहता हूं। दुनियां के अन्दर कई प्रकार के यूज करते जा रहे हैं इसको हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं। कई अपने आपको डेमोक्रेटिक कहते हैं, याह्या खां की रिजीम डेमोक्रेसी नहीं थी यह खूब अच्छी तरह से जानते हैं।

परन्तु अपने आपको डेमोक्रेसी कहने वाले अमरीका ने पाकिस्तान में याह्या खां के शासन को हथियार दिए। आज अमरीका हमारे विरोधियों को फिर भी हथियार दे रहा है डेमोक्रसी के नाम पर संसार में कुचक्र चला रहा है, उनकी एजेन्सीज काम कर रही हैं और वे एजेन्सीज न केवल सरकारों को गिराने का काम कर रही हैं बल्कि अब तो गेग्ड प्रेस कहते हैं वह तो फ्री प्रेस था उस फ्री प्रेस ने कैसे लिखा था कि एंडले की हत्या कैसे की गई, चिल्ली और क्यूबा में क्या हुआ, दुनिया के दूसरे देशों में सी. आई. ए. और दूसरी एजेन्सीज क्या करती हैं। आज भी जिसको ग्रेग्ड प्रेस कहते हैं, उसमें निक्सन ने क्या आदेश सी. आई. ए. को दिए थे। ये चीजें आज भी वहीं की वहीं हैं, सरकार ने कान्ट्रेडिक्ट नहीं किया। क्या हम डिफिट होते होते उस जगह पहुंच जाय जहां से निकलने का रास्ता ही न मिले ? हम क्या ऐसी जगह पहुंच जायं कि जहां पर किसी के जबडों में अपने आप फंसा हुआ

(श्री हरिदेव जोशी)
पायें और सिवा सर पर हाथ रखकर रोने के चारा न रहे ?

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि जयप्रकाश नारायण ने सेना को विद्रोह करने की जो बात कही अथवा पुलिस को विद्रोह करने की बात कहीं, उस बात को हम उचित नही मानते हैं। मैं उनकी इस बात का स्वागत करता हूं मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं साथ साथ कि किसी एक आदमी के एक बात कहने से यह अर्थ नहीं निकलता कि जब तक वह पोलिटिकल पार्टी अपनी थीसिज साफ नहीं करती है। क्या भारतीय जनसंघ ने आबू में कोई प्रस्ताव पास किया है कि जे.पी. ने यह गलत कहा है और हम उसका साथ नहीं देंगे जब तक वह ये शब्द वापस नहीं लेता है? क्या बी. एल. डी. ने प्रस्ताव पास किया, क्या पी.एस.पी. ने प्रस्ताव पास किया? न केवल यह नहीं किया बलिक वह दिल्ली नहीं आ रहे थे तो आप लोग अगवानी करने के लिए दिल्ली गए थे। इनका माइने क्या है? वह यह है कि आपकी पार्टी के अन्दर दो प्रकार की विचारधारायें हैं। एक आदमी माडरेट हो सकता है और कहने का हक रखता है व्यक्तिगत तौर पर कि मैं इस बात की विचारधारा से सहमत नहीं हूं मगर आपकी पार्टी का यह आयंटिक वर्शन नहीं है क्योंकि आपकी पार्टी ने जे. पी. के साथ में खुले रूप में अपने आप को एसोसिएट किया है। आपने अपनी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को वहां की संघर्ष समिति का जनरल सेक्रेटरी बनाया। इसलिए जो कुछ भी मोरारजी देसाई अथवा जे. पी. कहता है उससे आप अपने आपको अलग मानकर चले, वह व्यक्तिगत आपकी राय है, लेकिन आपकी पार्टी की नहीं मानी जा सकती। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज चाहे कितनी ही फीबुल आवाज क्यों न हो मगर देश की सेनाओं को विद्रोह करने की आवाज खड़ी की जाती है तब उसको कोई सरकार नहीं सुने न समझे तो वर्थ रहने की वह सरकार नहीं कही जा सकती। मुझे वह जमाना याद आता है, महारावल को भी याद आता होगा कि बम्बई के समुद्र में ब्रिटिश हुकूमत में नौसेना ने विद्रोह किया था। उस समय कुछ लोगों ने चाहा था कि उस विद्रोह को शह दी जाय लेकिन सरदार पटेल और कांग्रेस हाई कमांड ने उस बिद्रोह को किसी भी तरह से प्रश्रय देने की बात नहीं कही थी। देश के आजाद होने के साथ में हम समझते थे कि सारी जिम्मेदारियां हमें अपने सर पर लेनी हैं। आज जब अमरीका पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, चीन के साथ कम्बाइन करता है, उस समय सेना में, देश के नौजवानों के मन में भावना पैदा की जाय कि तुम पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात को मत मानों, यह बात हम नहीं मानें तो गुनाह नहीं है। यह देश भक्ति मानी जा सकती है?

किसी भी शासन की परिपाटी वही अच्छी है जो सेना और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का उल्लंघन न करे। पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की लीडरशिप की आज्ञा का उल्लंघन न करे। वही उत्कृष्ट परिपाटी है। सबसे बडी दुर्भाग्यपूर्ण चीज यह है कि हमारे देश में बहुत ही बचकाना ढंग से इन सारी चीजों को लिया गया। क्या ये पोलिटिकल पार्टियां अपने आप केवल मदारी की तरह डमरू बजायं और हम बच्चों की तरह खड़े हो जायं और बिखर जायं? क्या विवेकपूर्ण

(श्री हरिदेव जोशी)

है क्या अविवेकपूर्ण है, इसको देखा है ? हमारी जिम्मेदारी है और हमारी पार्टी का आरोप है आप पर कि आर्थिक विकास के लिए जब जब भी हमने कहा तो विरोधी पक्ष ने उसका विरोध किया है...

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : साथ देने की बातों में साथ भी दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे मालूम है कि आपने क्या किया है। इसलिए में कह सकता हूं कि आज की घड़ी में अन्दर जब एक्सटरनल थ्रेट तो है ही, हमें लग रहा है कि इस देश में ऐसे विध्वंश के तत्व हैं जो हमारी डेमोक्रेसी को कमजोर कर सकते हैं। इस देश में इन्टरनल सिक्योरिटी को खतरा है, इसमें दो राय नहीं। महारावल साहब ने कहा कि आज ऐटेमिक हथियारों का युग है उसमें तलवार, भाले और लाठियों से क्यों परेशान हैं ?

श्री खेतसिंह (मंत्री संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव कहता हूं कि सदन का समय जब तक शासकीय संकल्प पारित हो न जाय तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय और साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आज कार्यसूची में जो विधायी कार्य रह गया है, उसको कल ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि जो शासकीय संकल्प आया है उसके पारित होने तक समय बढाया जाए ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि यह ऐटेमिक युग है और इस युग में इस प्रकार के छोटे मोटे हथियारों से ऐटेमिक बम्ब का मुकाबला नहीं किया जा सकता, अगर एटम बम्ब का उपयोग केवल एक बार हीरोशिमा में किया गया है उसके बाद उपयोग नहीं हुआ है। फिर भी संसार क्यों ग्रस्त है सारे कन्वेन्शनल हथियारों से ? क्यों आरमामेंट्स की रेस से त्रस्त है ? ऐटेमिक पावर तो अंतिम परिणिति है। कन्वेन्शनल हथियारों और छोटे मोटे हथियारों का अपनी जगह पर महत्व है और खास तौर से इन्टरनल सँबोटेज की जो लोग बात करते हैं, उन्हें एटम बम्ब की आवश्यकता नहीं हैं, उन्हें केवल तलवार भाले छुरे और लाठियां चाहिए और इसलिये अगर मेरे देश के किसी कोने के अन्दर कोई एटम बम्ब पड़ा हुआ हो तो मेरे देश को कोई खतरा नही हो सकता। लेकिन एटम बम्ब की जगह मेरे देश के कोने कोने में चाकू, छुरे, तलवारें और भाले तथा बर्छियें पड़ी हो और वह भी छिपाकर रखे हुए हैं जो कि इस देश की सार्वभोमिकता को इस देश की डेमोक्रेसी को खतरा पैदा कर सकती है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कोई भी व्यक्ति एटम बम्ब को या मिजाइल्स को लेकर किसी कोने में नहीं रखेगा वह छिपा कर नहीं लायेगा। एटम बम्ब और मिजाइल्स का उपयोग साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है उसका उपयोग तो ट्रेन्ड व्यक्ति ही कर सकते हैं। लेकिन तलवार, बर्छी, छुरों, का उपयोग गली कूचों का कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। उसमें किसी भी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं हैं। और हमारे देश में उनका उपयोग

(श्री हरिदेव जोशी)

किया गया है। इसका प्रमाण हमारे देश के सामने है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं वरन अपने देश में धर्म के नाम पर भगवें कपडे पहनने वाले धर्मोपदेश देकर हमारे यहां की भोली भाली जनता को बरगलाकर हमारे देश में जगह जगह पर दंगे किये जाते हैं। आपको लोगों के नर-मुन्ड मिले है और तलवार बछिया और छुरे मिले और यह कहा जाता है कि देश को कोई खतरा नही है। आज देश में जगह जगह मार काट की जाती है और कहते हैं कि देश की अखण्डता को खतरा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं यह लोग हमारे देश को ऐसी योजनायें बनाकर निश्चित तौर पर आर्थिकरूप से कमजोर करने जा रहे थे और हमारे देश को साम्राज्यवादी देशों की मदद से इन तलवारों हथियारों, बन्दुकों और बछियों की मदद से बरबाद करने जा रहे थे और कहते हैं कि खतरा नहीं है। आज हमारे देश की आर्थिक हालत को इस तरह से कमजोर किया जा रहा है कि उसका दिवाला ही निकल जाय। जब आप अपने मुल्क को आर्थिक दिवालिया ही करना चाहते हैं तो फिर आप किस पर टिकोगे। आपकी डेमोक्रेसी किस पर टिकेगी। और उसका नतीजा यह होगा कि आपके पास कोई चोईस ही नहीं रहेगी और उसके जिये आपको उनके आगे घुटने टेकने पड़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर आप राष्ट्र के प्रधान मन्त्री की ही इमेज खराब करेंगे अगर डेमोक्रेसी की इमेज ही खराब करना हो तो आप फिर किस प्रकार अपने देश की डेमोक्रेसी को चला सकेंगे और किस तरह से आप अपने देश का विकास करेंगे। यह हमें नहीं भूलना चाहिये कि देश को ऊपर उठाने के लिये डेमोक्रेसी को कायम रखने के लिये देश के नेताओं के व्यक्तित्व को देखा जाता है। अध्यक्ष महोदय यह तो हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के अन्दर पंडित जवाहरलाल नेहरु, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसे व्यक्तित्व के लोग पैदा हुए। यह इन महान लोगों की बुद्धिमता थी कि इन्होंने हमारे देश की जनता की और हमारे देश की नब्ज को पहचाना और उन्हीं की सूझ बूझ के कारण हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्लोरिश हो सकी। अगर यह लोग नहीं होते और इन्होंने सूझ-बूझ से काम नहीं किया होता तो हमारे देश की स्थिति कुछ और ही होती। वैसे तो अध्यक्ष महोदय हमारे देश की डेमोक्रेसी को उखाड़ने की कोशिश तब से शुरू हो गयी जब से हमारा देश आजाद हुआ। अध्यक्ष महोदय जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उसी दिन हमारे देश के उपर हमला हुआ और अध्यक्ष महोदय वह हमलावर देश आज भी हमारे देश की डंके की चोट से खिलाफत कर रहा है। आज भी वह हमारे देश को खतरा पैदा करने की कोशिश में है। यह बात सभी जानते है लेकिन उस विरोधी देश को उसके लिए कोई भी शर्म नहीं है। फिर भी मैं समझता हूं कि कोई भी खतरा नहीं है। आज यह कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के नाम पर लोगों का बोलना बन्द किया जा रहा है लेकिन बोलना उनका बन्द किया जा रहा है जो कि देश के खिलाफ बोलते हैं देश की डेमाक्रेसी को समाप्त करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय यहां पर यह

(श्री हरिदेव जोशी)
कहा गया कि आज देश के लोगों का लिखना बन्द हो गया है तो उसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि लिखना वह बन्द हुआ है जो कि हमारे देश की शान के खिलाफ में लिखा जाता था। आज भी अखबार में लिखा जाता है लेकिन यह लिखा जाता है कि इतने होर्डिंग करने वाले लोगों को पकड़ा गया इतने ब्लैक मार्केटियर्स को पकड़ा गया। आज भी हमारे देश में उन लोगों को खतरा नहीं है जो कि सही मायने में डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हों लेकिन उन लोगों को खतरा है जो कि ऊपर से कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी के हामी हैं लेकिन सही मायने में देश की डेमोक्रेसी को खतरा पैदा करना चाहते हैं। जब तक सही मायने में लोग यह विश्वास नहीं दिला देंगे कि वह देश की अखन्डता को कायम रखना चाहते हैं और जब तक हमें विश्वास नहीं हो जाता और जब तक हम यह नहीं देख लें कि इनसे डेमोक्रेसी को खतरा नहीं है उन्हें खतरा बना रहेगा। हमें यह अच्छी तरह समझने और देखने की जरूरत है इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कहीं कोई फरेब तो नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर लिख कर माफी मांगली हो तो आप मान जायेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो प्रस्ताव आपके सामने आया है यह कोई नई बात नहीं है पहले भी सन् 1935 के कोन्स्टीट्यूशन में स्पष्ट था जैसा कि महारावल साहब ने कहा उसको और अधिक स्पष्ट किया है। यह प्रस्ताव डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन को दबाने के लिए नहीं लाया गया है, इसमें डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन में ज्यूडिशियरी अच्छी तरह से काम कर सके ज्यूडिशियरी के जजमेन्ट को ठीक ढंग से लागू किया जा सके उसके लिए है। इसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है इसमें कोई प्रकार का सन्देह करने की बात नहीं है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव इसलिए आया है कि हमारे देश की जो 60 करोड़ जनता है उसके अच्छे के लिए है। आज इस देश के वह लोग जो कि अपने आप को एलाइट समझने वाले लोग हैं जो आज यह चाहते हैं कि देश में पार्लियामेंट होनी चाहिए, विधान सभायें होनी चाहिए और वह ठीक ढंग से काम करें तो मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव जरूरी है और अगर ऐसा नहीं हुआ जो हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। मगर मोहरसिंहजी आपने . . .

श्री मोहरसिंह : मैं समझ गया आप डंडे के जोर से लोगों का मुंह बन्द करके, लोगों को जेल में ठूस करके समझना चाहते हैं। आप गोलियों के बल पर डेमोक्रेसी चलाना चाहते हैं तो मैं यह साफ साफ कह देता हूं कि इस प्रकार डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। मैं आपके डंडों से नहीं डरना चाहता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मुल्क के अन्दर . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप (मोहरसिंह जी की तरफ इशारा करके) इनको एक दिन के लिये तो अन्दर भेज दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, 26 तारीख को आपातकालीन स्थिति की

(श्री हरिदेव जोशी)
घोषणा जब की थी तो प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधीजी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि ला एण्ड ग्रार्डर में रहने वालों को कोई खतरा नहीं है जो लोग इस देश का विकास करने में भागीदार हैं उन्हें कोई खतरा नहीं है। मैं तो यह स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री मोहरसिंह : कर दिया, कर दिया।

श्री हरिदेव जोशी : जो लोग देश के विकास के ग्रन्दर भागीदार बनना चाहते हैं जो लोग यह समझते हैं कि यह मेरा देश है मेरी पितृ भूमि है, मेरी पुन्य भूमि है, उनके लिए ग्राज भी कोई खतरा नहीं है।

श्री मोहरसिंह : लेकिन यह तरीका नहीं है हमने ग्राजादी की लड़ाइयां लड़ी हैं। लेकिन ग्राप डंडे के जोर से, जुल्म के जोर से लोगों पर झूठे इलजाम लगा कर, लोगों के पीछे पुलिस लगा कर लोगों को डरा धमका कर कहलाना चाहते हैं तो उससे हम नहीं डरेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : मोहरसिंहजी ग्राप ग्रगर जीते जागते ग्रादमी को डंडा समझते हो तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि देश की ग्राजादी के बाद में फिर से ग्रवसर ग्राया है, पहली मर्तबा कर रहे हैं इन ग्रधिकारों का प्रयोग जो संविधान में दिये गये हैं, इस देश की 60 करोड़ जनता के सामने ग्रन्तर्मुखी होकर सोचें कि जो विश्व व्यापी क्राइसिस है भारत को इसमें से पार निकलना चाहिये ग्रथवा नहीं ग्रौर निकलना चाहिये तो डिसिप्लिन रहना चाहिये ग्रथवा नहीं ग्रौर डिसिप्लिन रहना चाहिये तो हमारा योगदान क्या होना चाहिये, इस बात को हम सोच लेंगे तो जवाब ग्रपने ग्राप में मिल जावेगा। जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा गया है मैं ग्राशा करता हूं कि सदन उसका समर्थन करेगा।

श्री लक्ष्मणसिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार मीसा के द्वारा सारे भारतवर्ष के ग्रन्दर लोगों को पकड़ धकड़ करके गिरफ्तार किया जा रहा है, न जाने कितने गिरफ्तार हुए होंगे, छापे पर बिलकुल कन्ट्रोल, एकदफा इमरजेन्सी हुई उसका समर्थन किया था। मैं चाहूंगा कि 21 सूत्री कार्यक्रम सफल हो। मुझे ग्राशा नहीं है कि यह सफल होगा। यह सब बातें देखने के बाद वर्तमान परिस्थिति में घोर ग्रसंतोष प्रकट करते हुए हमारे सामने ग्रौर कोई चारा नहीं है कि बहिर्गमन करें।

(जनता मोर्चे के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : ग्रध्यक्ष महोदय, जनता के ग्रधिकारों को छीनने का जो प्रस्ताव रखा है उसका पूर्ण विरोध करके वाक ग्राउट करता हूं।

एक माननीय सदस्य : क्या नाराजगी है ?

श्री मोहरसिंह : इस प्रकार जनता के ग्रधिकारों के साथ कुठाराघात होता है ग्रौर कल क्या होगा, ग्रापका ग्रोर्डर तस्लीम है...

(व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : ग्रार. एस. एस. से सम्बन्धित है।

श्री मोहरसिंह : आर. एस. एस. से सम्बन्धित आपके कई आदमी हैं। हमारी स्टेज पर आपका आदमी, दूसरा कोई आदमी बोलता है तो हमारा दुश्मन नहीं है। हमने जयप्रकाशजी की कुछ बातों का भ्रष्टाचार की बात का समर्थन किया है। वे आये हैं क्या ? जोशीजी का यह कहना मैं समझता हूं। फण्डामेन्टल राइट्स को कर्ब करते हैं उसके विरोध में सदन से वाकआउट करता हूं।

एक माननीय सदस्य : महारावल साहब का साथ कर रहे हैं ?

श्री मोहरसिंह : किसी का साथ नहीं कर रहा हूं।

[श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) ने सदन से बहिर्गमन किया]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो शासकीय संकल्प माननीय मुख्य मंत्रीजी ने संविधान के 39 वें संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री हरिदेव जोशी : सर्व सम्मत है।

श्री अध्यक्ष : हां पक्ष जीता।

(स्वीकृत)

संकल्प सर्व सम्मति से पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 29 जुलाई, 1975 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5.15 बजे मंगलवार दिनांक 29 जुलाई, 1975 के म. पू. 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)